खण्ड-314, अंक-2
सोमवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1896
(17 मार्च, 1975 ई0)

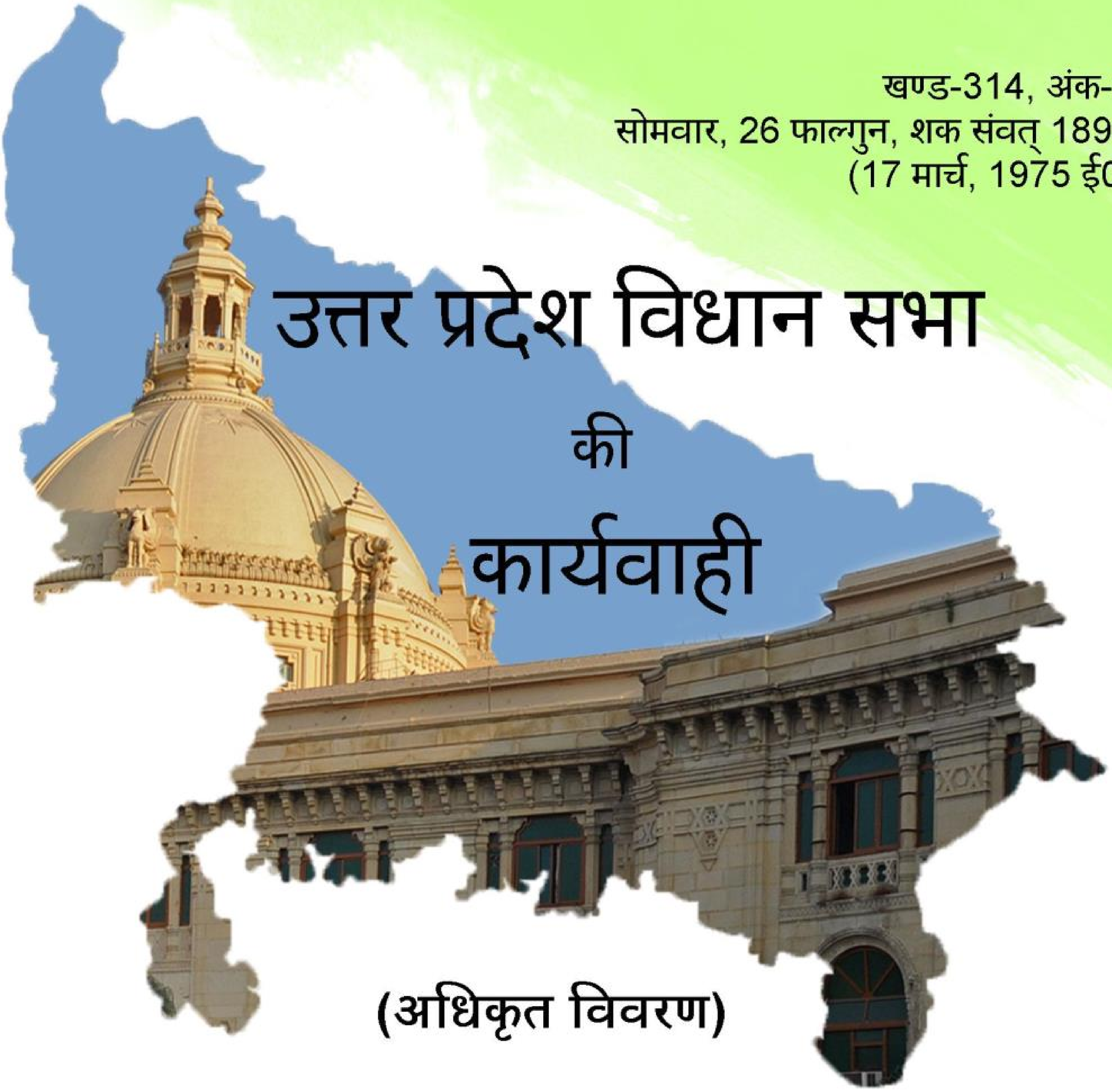

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 17 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—345

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, यादव
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
जंग बहादुर, श्री
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद वर्मा, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
ज्ञान लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री

अध्यक्ष सभा

बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मोला दत्त मकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतारसिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री

राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
रामनाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
राम रती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह मेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री

विधान परिषद सचिवालय

सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसैन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 17 मार्च, 1975

तारांकित प्रश्न

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर के घुर्मा खदान के बारूद भंडार में अग्निकांड

*1.—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुर्क सीमेन्ट (मिर्जापुर) फैक्ट्री के गुरमा खदान भंडार के बारूद भंडार में अक्तूबर, 1974 में लगी आग में क्वैरी मैनेजर के विरुद्ध अन्य आरोप लगे हैं जिसमें विभागीय उच्चस्तरीय जांच हुई है? क्या बारूद भन्डार से बारूद गायब होने की भी शिकायत थी, जिसकी जांच की जा रही थी?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी हां। चुर्क सीमेंट फैक्टरी की घुर्मा खदान में अक्तूबर, 1974 में लगी आग के सम्बन्ध में क्वैरी मैनेजर के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसमें बारूद भण्डार से बारूद गायब होने की भी शिकायत की गई थी। इन शिकायतों की जांच सीमेंट कारपोरेशन द्वारा की जी रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उसमें कहा गया है कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो वे क्या हैं और कब प्राप्त हुईं और जो बारूद गायब होने के बारे में शिकायत मिली थी, वह कितनी बारूद है और वह शिकायत कब मिली थी?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, कोरम तो अभी तक है नहीं। कुछ भी हो मंत्रिगण भी नहीं आए हैं और लोग भी नहीं आए हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि हाउस को चलाएं। यह न चलाएं तो हम चलाने को तैयार हैं। आप कोरम पहले कराएं।

(कुछ देर बाद)

श्री अध्यक्ष—

अब पूरा हो गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो शिकायतें मिलीं, वे इस प्रकार हैं कि आग स्वतः नहीं लगी, वरन् लगाई गई, खदान व्यवस्थापक का आग लगने का सायरन बजने के बाद भी देर से घटनास्थल पर पहुंचना, उपस्थित लोगों को आग बुझाने से रोकना, हीट कन्ट्रोल टैंक में पानी न भरवाना, मैगजीन के चारों तरफ अंधेरा रखना, मैगजीन क्लर्क के स्थापन पर एक कैजुवल आदमी को मैगजीन क्लर्क बनाये रखना और उस पर दवाब डालकर गलत काम करवाना, कम बारूद जलने पर भी अधिक, मात्रा में जलजाने की रिपोर्ट करना, ताकि चोरी से बिक्री की गई बारूद की कमी पूरी की जा सके। यह आग 22 अक्तूबर को करीब साढ़े 7, पौने आठ बजे लगी, बाद में यह दी गई, उसकी तिथि मेरे पास निश्चित इस समय नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

आग लगने से पहले बारूद, गायब करने की जो शिकायत मिली थी, वह कितने की और कब मिली थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो बारूद, गायब होने की बात थी, चूंकि उसका इस प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं था, उसके बारे में पूर्व जानकारी के अनुसार और स्मृति से ही अपनी कुछ कह सकता हूं, उसकी अलग से जांच हुई, नाइट्रोट कोई बारूद गायब हुई और उसकी रिपोर्ट आई है कि कुछ कम पाई गई है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मंत्री जी ने कहा इससे सम्बन्धित बारूद गायब होने की भी शिकायत थी, जिसकी जांच की जा रही है और मंत्री जी ने यह.....

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है, तो आप इसे आज स्थगित कर दें, और किसी दूसरे दिन के लिए रख दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आग लगने से कम बारूद के बारे में समझा था। यदि उनका तात्पर्य अक्तूबर, 74 के पहले बारूद कम होने से है तो मैं अपनी स्मृति से ही कुछ कह सकता हूं, चूंकि पत्रावली मेरे पास वह नहीं है। मैं उनको अधूरा और असत्य उत्तर नहीं देना चाहता हूं। जो मेरी स्मृति में था, दे दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

आग लगने से पूर्व जो बारूद गायब हुई थी, क्या उसकी जांच हो चुकी है ? क्या रिपोर्ट उसकी आई ? कितनी बारूद कम पाई गई ? ये मैं सारी जानकारी चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह सूचना बाद को दे दूंगा।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

यह बड़ा महत्व पूर्ण प्रश्न है, बारूद का गायब हो जाना और बारूद भंडार में आग लग जाना। किस अधिकारी द्वारा यह जांच हो रही है और कब से जांच हो रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह जांच माइन्स सेफ्टी ऐक्ट की पद्धति के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशक (डाइरेक्टर जनरल आफ माइन्स सेफ्टी, केन्द्रीय सरकार) और चीफ कन्ट्रोलर आफ ऐक्सप्लोसिव्ज

(लखनऊ) के अधीन क्षेत्रीय ऐक्सप्लोसिव्ज कंट्रोलर, आगरा द्वारा हो रही है। इसके साथ-साथ दूसरी विभागीय जांच हो रही है, सीमेंट कारपोरेशन की ओर से जिसमें डिप्टी डाइरेक्टर, जो एक वरिष्ठ आई० ए० एस० आफिसर हैं और कारखाने के मुख्य अभियन्ता अलग से जांच कर रहे हैं। अभी जांच चल रही है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह---

कब से जांच कर रहे हैं, यह तो बता दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

नवम्बर, 1974 से कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी ने जिन जांच करने वाले अधिकारियों का नाम लिया उससे ऐसा लगता कि सिर्फ गोडाउन में आग लगने की जांच कर रहे हैं। यहां स्पष्ट एलीगेशन लगाया गया है कि बारूद के अन्दर कमी पायी गयी, पुलिस के द्वारा भी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इसकी जांच पहले डिप्टी डाइरेक्टर, सीमेंट कारपोरेशन और मुख्य अभियन्ता, चुर्क के द्वारा हो रही है। उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो वह भी की जायगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो जांचों का उन्होंने जिक्र किया है उसमें किन-किन चीजों का आरोप है, जिसकी जांच हो रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आग लगने का कारण, कैसे आग लगी, जितने इसमें आरोप लगाये गये हैं....

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो पहले पढ़ दिया।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच कर्ताओं की कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अभी प्राप्त नहीं हुई है। यह मैंने आदेश दिये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाय।

गोंडा जिले की नवाबगंज चीनी मिल पर गन्ने के मूल्य का बकाया

*2---श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवाबगंज, चीनी मिल गोंडा पर गन्ना किसानों का कितना पैसा 1 जनवरी, 1974 से 16 जनवरी, 1975 तक का बकाया है ? इस पैसे के भुगतान हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

नवाबगंज चीनी मिल (जिला गोंडा) पर वर्तमान सीजन 1974-75 के पूर्व का कुछ भी गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। दिनांक 31-12-74 को उक्त मिल पर वर्तमान सीजन

1974--75 का गन्ना मूल्य रु0 26'40 लाख अवशेष था जो दिनांक 31--1--75 को घट कर रु0 12.35 लाख रह गया। यह मिल बैंक से किये गय अनुबन्ध के अनुसार भुगतान कर रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो कहा गया है कि यह मिल बैंक से किये गये अनुबन्ध के अनुसार भुगतान कर रही है, इसका क्या मतलब है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद क्रय कर वसूली अधिनियम की धारा 2 और 5 के अन्तर्गत किसानों को गन्ना मूल्य सुनिश्चित करने के लये जिला अधिकारी को अधिकार दिये गये हैं कि वह प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित चीनी बोरों का एक प्रतिशत निश्चित कर देगा और बैंक से सीधा पेमेंट केन सोसाइटी को, चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान के लिये, कर दिया जायगा। इसी के अनुसार जिला अधिकारी ने बैंक को आदेश दे दिया है कि नवाबगंज चीनी मिल किसानों को भुगतान के लिये इतने प्रतिशत रिजर्व कर दें। 79 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया गया है, मिल के चीनी बोरों के मूल्य का।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 7 दिसम्बर से गन्ने के मूल्य जो बढ़ा दिये गये थे उसी आधार पर पेमेंट के रेकार्ड बनाये गये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

श्री हिम्मत सिंह--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि नबाबगंज चीनी मिल का कितना स्टाक बकाया है और क्या इससे किसानों का भुगतान हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, स्टाक की सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन भरोसा है कि जो चीनी का वर्ष भर उत्पादन होगा और मूल्य ठीक रहेगा, और एक्सपोर्ट के लिये चीनी भेजी गई तो बकाया नहीं रहेगा।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, अगर हम हाइपोथेटीकल सवाल करते हैं तो आप रिजेक्ट कर देते हैं, और मंत्री जी यदि अगर लगा कर उत्तर देते हैं तो आप कहें कि ऐसा उत्तर न दें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, यह मिल बकाया देने में बहुत लापरवाही करती है। 12 लाख बकाया दिखाया लेकिन इससे भी ज्यादा है। क्या मंत्री जी, जो इसके पास 53 लाख का बकाया है, उसकी जानकारी करायेंगे और दिलवाने की कोई कार्यवाही करगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मेरे पास 3--1--75 तक का बकाया है। इसके बाद कितना बढ़ा है, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को ज्यादा होगी।

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस मिल के खिलाफ कोई ऐक्शन होगा या नहीं या खाली जवाब दे दिया जायेगा। आप देखें कि कितना पैसा बकाया है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा मालूम होता है कि आपको पूरी जानकारी है ।

*3--श्री बाबू लाल वर्मा--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जरवल रोड चीनी मिल, जिला बहराइच पर किसानों तथा मजदूरों का बकाया और मिल को स्थायी रूप से चालू करने की मांग

*4--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

दिनांक 25 जून, 1974 को नियम 51 के अधीन प्रदेश के विभिन्न जिलों में चीनी मिलों से सम्बन्धित उत्पन्न समस्याओं के विषय में दिये गये वक्तव्य के सन्दर्भ में क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जरवल रोड चीनी मिल, जिला बहराइच पर किसानों तथा मजदूरों की बकाया धनराशि को अदा करने हेतु सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह अधिगृहीत चीनी मिल है और अधिग्रहण के विरुद्ध याचिका उच्च न्यायाय में चल रही है । पुरानी बकाया के बारे में विधिक रुप से न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कोई योजना बनाई जा सकती है ।

*5--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास मिल को स्थायी रूप से चालू रखने के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसका कार्यान्वियन कब किया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उक्त मिल को स्थाई रुप से चालू रखने के सम्बन्ध में किसी योजना का कार्यान्वियन मिल के अधिग्रहण के विरुद्ध याचिका पर निर्णय प्राप्त हो जाने पर ही किया जा सकता है ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्तमान सीजन में अब तक कितना गन्ना खरीदा गया और कितनी बोरी चीनी बनी ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता । आप दूसरा प्रश्न करें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

इस समय गन्ने का मूल्य कितना बाकी रह गया है और मजदूरों का कितना बाकी रह गया है ? 1968 से अब तक किसान और मजदूरों का कितना बाकी रह गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, अब तक कुल बकाया 4,726 हजार पया बाकी है और मजदूरों का जो कुल बकाया है वह 7 लाख 88 हजार है ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

इस सीजन का कितना बकाया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, 1968-69 का 5 लाख, 21 हजार रुपया बकाया है और 1969-70 का 13 लाख, 5 हजार रुपया बकाया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1974-75 का कितना बकाया है यह प्रश्न पूछा जा रहा है ।

श्री बाबूलाल वर्मा--

श्रीमन्, इस सीजन का कितना बकाया है मैं यह पूछ रहा हूं । इस समय जो चालू सीजन है 1974-75 का, इसका कितना बकाया है ? अगर आपको सूचना न हो तो मैं बता दूं ?

श्री अध्यक्ष--

आपको सूचनाएं सब हैं तो सवाल क्यों करते हैं ?

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न सं0 4-5 से संबंधित है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह तमाम समस्याएं मिल के संबंध में जो हैं इन मिलों को प्रापर ढंग से चलाने केलिये सरकार की जो राष्ट्रीयकरण की नीति है, उस नीति के अनुसार सरकार इन मिलों के राष्ट्रीयकरण करने में क्यों देर कर रही है ? क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इन मिलों का ही केवल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सम्पूर्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण करके इस समस्या को हल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

राष्ट्रीयकरण नीति से सम्बन्धित जो प्रश्न आपने किया है वह इससे नहीं निकलता है ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, राष्ट्रीयकरण से मजदूरों की समस्यायें हल हो जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

तर्क न कीजिए ? आप बैठिये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, किसानों का जो बकाया होता है उसका बैंक के जरिये भुगतान कराने की व्यवस्था है, लेकिन जो मजदूरों का बकाया है, इसके संबंध में सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो मजदूरों का बकाया है उसका भुगतान, किसानों के भुगतान करने से जो बच जाता है, उससे किया जाता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, मंत्री जी ने जबाब दिया था कि मामला याचिका के जरिये विचाराधीन है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मजदूरों का लाखों रुपया बकाया है, और आप स्वयं सिक मिलों के संबंध में विधेयक लाये थे, मिल की प्रापरटी से तत्काल मजदूरों के बकाये को चुकता करा दिया जाय, क्या ऐसी व्यवस्था सरकार के पास है ? न्यायालय में रिफरेंस क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, 1969-70 तक बकाया बहुत हो गया था। 1972 से इस फैक्टरी में रिसीवर की नियुक्ति की गई और रिसीवर की नियुक्ति करने के बाद हाईकोर्ट में मामला चला गया, तब से यह विचाराधीन है। हाईकोर्ट अब इस समय नियंत्रण कर रहा है। जो हम मिल की मरम्मत कर सकते हैं, उसको मरम्मत के लिये भी हाईकोर्ट ही कर सकता है। सिक मिल पर हम कितना रुपया लगायेंगे इसका निर्णय हाईकोर्ट दे रहा है। इस समय हम केवल सिक मिल की मरम्मत के लिये 8 लाख 46 हजार रुपया खर्च कर सकते हैं। हमारी ओनर-शिप का मामला ही तय नहीं हुआ है। 1970-71 तक जो बकाया है, वही ज्यादा है। रिसीवर-शिप के बाद 1972-73का 2 लाख, 65 हजार रुपया और 1973-74का 7लाख के लगभग बकाया है। तो रिसीवरशिप के बाद बकाया बहुत कम है और उसके भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

चालू वर्ष 1974-75 में गन्ना किसानों का कितना बकाया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं इतनी और सूचना दे दूं कि इस समय पंजाब नेशनल बैंक को सारी चीनी प्लेज है। बैंक ने 167 रु0 प्रति बोरा कीमत निश्चित किया है, 140 रुपया किसानों के भुगतान के लिये निश्चित कर दिया है और बाकी 27 रु0 में कमीशन वगैरह दिया जाता है। यह पद्धति चल रही है। मुझे आशा है कि किसानों का बकाया वसूल हो जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप बोल क्यों पड़ते हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

उत्तर नहीं मिला।

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि 13 करोड़ 46 लाख रूपया किसानों का बकाया है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो इतने दिनों का बकाया है उसको भुगतान कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप अलग प्रश्न पूंछ सकते हैं, लेकिन इससे नहीं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

हमको इन्हें हटाना पड़ेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री ओझा को समय दिया है उसके बाद आप खड़े होइये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी ने जो दिया है.....

श्री अध्यक्ष--

(श्री बाबू लाल वर्मा के कुछ कहने पर) मुझे कुछ नहीं समझ में आया।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा यह निवेदन था कि मुझे कई प्रश्न करने हैं इसलिये इसको नियम 51 में स्वीकार करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। यह मामला एक फैक्टरी का नहीं है, यह पूरे प्रदेश का है। इन मिलों पर तमाम रुपया बाकी है।

श्री अध्यक्ष--

कुछ भी बाकी हो आपको तो सवाल करना है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो मिलें गन्ने की कीमत का भुगतान करने का प्रबन्ध नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। मान्यवर, यह प्रदेश का मामला है और माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है। उन्होंने कहा कि अनुबन्ध हुआ है और जो मिलें उस अनुबन्ध का पालन नहीं कर रही है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है। तो ये कैसे कार्यवाही करेंगे ? आप ऐसे सवाल ही क्यों करते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि बैंक से अनुबन्ध हुआ है जिससे वे किसानों को 79 प्रतिशत दिला देंगे। तो जिन मिलों ने इस अनुबन्ध का पालन नहीं किया है, क्या माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जरवल मिल ने फरवरी के आखिर तक सभी किसानों और मजदूरों के बकाया पैसे का पेमेंट कर दिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

चूंकि यह प्रश्न 25 जून, 1974 के संदर्भ में था इसलिये उसके बाद की सूचना नहीं मांगी गई।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जरवल मिल से किसानों का इस वर्ष का बकाया नहीं रह जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैंने विनम्रतापूर्वक अभी निवेदन किया कि बकाया न रहे इसके लिये शासन पूरा प्रयास करता ही है। अगर मान लीजिये कि बकाया ही हो गया, किसी कारण तो....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

1974-75 का किसानों का बकाया आप कितने दिनों में भुगतान करा देंगे ? आप यह भी बताने की कृपा करें कि गन्ना सप्लाई करने के कितने दिनों बाद आप उनका पैमेंट कराते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

नियमानुसार 15 दिन में हो जायगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जरवल मिल वाले गन्ना सप्लाई करने के बाद कितने दिनों बाद भुगतान कर रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शुगर केन ऐक्ट में प्राविधान है कि 15 दिन में भुगतान हो जाना चाहिये। लेकिन अगर 15 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करते हैं तो किसानों को 12 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज भी देना होता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

15 दिन के बाद हुआ है या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिला अधिकारी ने यह बताया है कि पंजाब नेशनल बैंक प्रति बोरा 167 रुपया एडवान्स करता है। उसमें से 140 रुपया गन्ना किसानों को देने के लिये निर्दिष्ट कर दिया है। शेष 27 रुपया में दूसरा खर्च चलायेंगे। तो माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि सरकार की ओर से काफी प्रयास किया जा रहा है।

श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)--

अगर मिल मालिक कोर्ट में चला जाता है और उस पर किसानों और मजदूरों का इतने-इतने दिनों तक रुपया रह जाता है तो क्या सरकार उनको मय ब्याज के दिलाने का कष्ट करेंगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस मिल में अब रिसीवर काम कर रहा है। मिल मालिक हाईकोर्ट में गये हुए हैं। मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।

(श्री बाबू लाल वर्मा व श्री त्रिवेणी सहाय के एक साथ खड़े होने व बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाबूलाल वर्मा व त्रिवेणी सहाय बार-बार दूसरों के सवालों में अड़चन पैदा कर रहे हैं। अगर आप दूसरों के प्रश्नों में रुकावट डालेंगे तो ठीक नहीं है।

*6--श्री त्रिवेणी सहाय--

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बुलन्दशहर जिले में गेहूं की खरीदारी के सम्बन्ध में विभिन्न कर्मचारियों का निलम्बन

*7—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के आदेश पत्रांक 528, दिनांक 22 जुलाई, 1974 के द्वारा चार ग्राम सेवक, तीन पंचायत सेवक (विकास क्षेत्र डिबाई) जिला बुलन्दशहर और चार लेखपालों को सरकारी गेहूं क्रय योजना के सन्दर्भ में निलम्बित किये जाने के आदेश निर्गत किये थे? यदि हां, तो किन-किन का निलम्बन किया गया और निलम्बन के कारण क्या थे?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जी हां।

जिन कर्मचारियों को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के आदेश संख्या 528, दिनांक 22 जुलाई, 1974 द्वारा निलम्बित किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं:—

1—श्री इन्द्र पाल सिंह	..	..	..	ग्राम सेवक
2—श्री पूरन सिंह	..	..	..	ग्राम सेवक
3—श्री रोशन सिंह	..	..	..	,,
4—श्री हरज्ञान शर्मा	..	..	..	,,
5—श्री बिशन सिंह	..	..	..	पंचायत सेवक
6—श्री रहमत अली	..	..	..	,,
7—श्री छोटे लाल	..	..	..	,,
8—श्री जगदीश सरन	..	..	..	लेखपाल
9—श्री जगदीश गोयल	..	..	..	,,
10—श्री हर स्वरूप	..	..	..	,,
11—श्री मनोहर लाल	..	..	..	,,

उपरोक्त सभी कर्मचारियों को निलम्बित किये जाने का कारण यह था कि उन्होंने रबी 1974 में गेहूं खरीदारी में उचित परिश्रम तथा कार्य कुशलता का प्रदर्शन नहीं किया। कर्त्तव्य पालन के प्रति इनकी रुचि पर्याप्त नहीं रही तथा समय-समय पर पारित आदेशों, जिनमें प्रत्येक कर्मचारी को गेहूं खरीद में सतर्कता तथा कर्त्तव्य निष्ठा से योगदान करने को कहा गया था, की ओर इन कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकानों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*8—श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के विरुद्ध 1973–74 में भ्रष्टाचार के प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुये तथा कितने प्रार्थना–पत्रों की जांच की गयी? कितने प्रार्थना–पत्रों के आरोप सही मिलें? यदि आरोप सत्य सिद्ध हुए तो क्या इनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो,क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मिर्जापुर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित 29 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में 24 शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। इन सभी प्रार्थना-पत्रों की जांच की गई। चार प्रार्थना-पत्र जो सात दुकानों से सम्बन्धित थे निराधार पाये गये तथा 20 प्रार्थनापत्रों के आरोप जो 22 दुकानों से सम्बन्धित थे पूर्ण या आंशिक रूप में सही पाये गये। सम्बन्धित 22 दुकानदारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई।

श्री आशा राम यादव--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 22 दुकानों के विरुद्ध आरोप सही पाये गये और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की गयी। तो 22 दुकानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के क्या आरोप थे और उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मिर्जापुर के नगरपालिका क्षेत्र में कुल 57 दुकानें हैं जिनमें से 29 के खिलाफ 24 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे। उनमें से जब जांच की गयी तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सही पाये गये। जो कार्यवाही हुई वह अलग-अलग है। शिकायतें अनियमितता के बारे में और भी बहुत सी चीजों के बारे में थीं जो मैं पढ़ कर बता दूंगी और जो कार्यवाही की गयी वह इस प्रकार है। 9 दुकानों के अनुबन्ध समाप्त किये गये। 3 दुकानों की प्रतिभूति जब्त की गयी। 4 दुकानों को चेतावनी दी गयी। 1 दुकान का अनुबन्ध समाप्त करने के साथ-साथ प्रतिभूति भी जब्त की गयी। 14 दुकानदारों को प्रतिभूति की जब्ती के साथ-साथ चेतावनी भी दी गयी। एक दुकान के विरुद्ध यह शिकायत थी कि उसका स्थान ठीक नहीं है तो वह उचित स्थान पर खोली गयी। 22 की बात थी तो 21 के साथ इस प्रकार कार्यवाही हुई और एक ठीक स्थान पर नहीं थी उसे ठीक स्थान पर कर दिया गया। शिकायतें अलग-अलग थीं। एक के खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप थे। तो आरोपों की गम्भीरता को देखते हुये 8 अक्तूबर को उसका अनुबन्ध खत्म कर दिया गया और पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। श्री नूरुल्ला के नाम से गनेशगंज में वह दुकान थी। शिकायतें मैं आपको पढ़ कर सुना दूं। काफी लम्बी चौड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब इतना समय नहीं है।

श्री आशा राम यादव--

मंत्री महोदय ने बताया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। जिस दुकान को कैन्सिल करन की बात मंत्री महोदया ने कही है उसको 95 राशन कार्ड मैंने स्वयं दिये थे। यह सूचना गलत है कि वह कैन्सिल हो गयी। दूसरी चीज विन्ध्याचल के राजसी पंडा की पांच दुकानें हैं। सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी हुई लेकिन उसको दबा कर पुनः दे दी गयीं। और बाकी दुकानें, 200 रुपये जुरमाना करके वापस दे दी गयीं। कोई दुकान कैन्सिल नहीं की गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि विन्ध्याचल की 1 से लेकर 5 नम्बर तक की दुकानों की सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी हुई ? यदि हां, तो आरोप सिद्ध होने के बावजूद क्यों अभी तक दुकानें उनके हाथ में हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिनकी भी शिकायतें थी सब की जांच की गयी और जिस रूप में पाया गया उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

विन्ध्याचल की केवल 5 दुकानों के बारे में बता दें चूंकि गम्भीर आरोप थे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

किस दुकान के सम्बन्ध में आप पूछ रहे हैं ?

श्री आशा राम यादव—

मैंने कहा था कि एक ही आदमी के पास 5—5 दुकानें हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजापेयी—

यह हमारे स्पष्ट आदेश हैं कि एक के पास एक से अधिक दुकानें न रहें। ऐसी जब भी कोई शिकायत आती है उसके खिलाफ कार्यवाही हम करते हैं। फर्जी काड्र्स की शिकायत जब हमारे पास आयी हमने कार्यवाही की।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री महोदया, जिन दुकानदारों के खिलाफ यह आरोप हैं कि वे एक छटांक गल्ला भी वितरित नहीं करते, उनके लाइसेन्स कैन्सिल करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह तो हम करते ही हैं। जैसे सत्य नारायण दुबे के बारे में शिकायत थी 95 फर्जी राशन काड्र्स पकड़े जाने की, उसकी जांच की गयी और उसकी स्क्रूटनी आदि करके दूकान को निलम्बित किया गया, उससे स्पष्टीकरण मांगा गया। उसके बाद उसे कड़ी चेतावनी देते हुये दुकान को बहाल कर दिया गया। लेकिन जब यह मामला हमारी नोटिस में आया तो हमने सोचा कि यह ठीक नहीं हुआ है। हमने दोबारा जांच करने के लिये आदेश दिया। खाद्य आयुक्त से पत्रावली मंगाकर दूकान रद्द करने एव उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी माननीय सदस्य हमारी नोटिस में कोई चीज लाते हैं हम तुरन्त उस पर कार्यवाही करते हैं।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

फर्जी काड्र्स के आरोप करीब-करीब सभी दूकानों के संबंध में हैं, तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि हर राशन की दूकान पर कार्ड होल्डर्स की एक लिस्ट टंगी रहा करे ताकि इस तरह की शिकायत न रहे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आपका जो सुझाव है ठीक है, सरकार स्वयं भ्रष्टाचार दूर करने के लिये और बोगस काड्र्स को समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है और हम बराबर उसके लिये कदम उठा भी रहे हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीया मंत्री जी ने बतलाया कि दुकानों पर फर्जी काड्र्स पकड़े गये और ये दूकानें निलम्बित की गयीं। और निलम्बित करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर वे दूकानें बहाल भी कर दी गयीं। तो उन दूकानों को किस आफिसर ने बहाल किया और जब उस

आफिसर ने दुकानों पर अनियमितता पकड़ी, उसके बावजूद फिर उसे बहाल कर दिया तो उस आफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उस वक्त जो जिलाधिकारी थे उनसे उसके बारे में फिर से आख्या मांगी गयी और जब वे चले गये, उनका ट्रांसफर हो गया तो जो दूसरे स्थानापन्न जिलाधिकारी आये, उन्होंने कड़ी चेतावनी देकर दुकानों को बहाल किया था लेकिन शासन उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ और शासन की तरफ से फिर उसके ऊपर कार्यवाही करने की बात की गयी। उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया है कि क्यों उन्होंने किया ?

श्री आशाराम यादव--

यह आरोप गम्भीर है कि विन्ध्याचल में किसी नागरिक को एक छटांक गल्ला नहीं मिलता। सारी चीनी और गेहूं राजसी पंडे द्वारा ब्लैक में चला जाता है। क्या माननीया मंत्री महोदय उन गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में विन्ध्याचल की नं0 1 से 5 नं0 तक की दुकानों के बारे में जांच करा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

ठीक है, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसके बारे में पुनर्विचार करके गल्ले के ठीक वितरण की व्यवस्था का प्रबन्ध करेंगे।

कानपुर जिले के बान ग्राम में शकर की दुकान का निरीक्षण

*9--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया विधान सभा के दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 29 के सन्दर्भ में बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के बान ग्राम के शकर रिटेलर के स्टाक की जो जांच अगस्त, 1974 में की थी उसके स्टाक में कितना अन्तर पाया गया था और इस सम्बन्ध में थाना मंगलपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी ? वह रिपोर्ट किसने दर्ज करायी और इस सम्बन्ध में थाना मंगलपुर की पुलिस ने अब तक क्या जांच तथा कार्यवाही की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

तहसीलदार डेरापुर द्वारा अगस्त 26, 1974 को बान ग्राम के शकर के रिटेलर श्री राम बाबू की दुकान का निरीक्षण किया गया और 6 बोरी चीनी जो 22 अगस्त, 1974 को उक्त रिटेलर द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से प्राप्त की गयी थी इसको न तो स्टाक में पाया गया और न इससे सम्बन्धित इन्दराज दुकानदार द्वारा कागजों में किया गया। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा थाना मंगलपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। मंगलपुर थाने की पुलिस द्वारा इस मामले में तफतीश की गयी और तफतीश में अभियुक्त श्री राम बाबू के विरुद्ध जुर्म स्थापित नहीं पाया गया। अतः मुकदमें में पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी।

*10--श्री रामपति--

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*11--डाक्टर मलखान सिंह--

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*12-13--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*14--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद पर बकाया गन्ना मूल्य तथा मिल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*15--श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कुन्दन शुगर फैक्टरी, अमरोहा, मुरादाबाद, पर किसानों की कुछ धनराशि गन्ने के मूल्य की बकाया है ? यदि हां, तो कितनी और किन-किन वर्षों की और उस बकाया धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा (जिला मुरादाबाद) पर किसानों के गन्ने के मूल्य का वर्षवार बकाया दिनांक 31-12-74 तक की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार है :--

वर्ष	गन्ना मूल्य बकाया (लाख रुपयों में)
1969-70 से पूर्व का	7.63
1973-74 का	5.13
1974-75 का	12.42
योग ..	25.18

पुरानी बकाया देयों की वसूली हेतु इस चीनी मिल के विरुद्ध जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत उसमें रिसीवर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत इस मिल को अधिगृहीत भी कर लिया गया, किन्तु इस मिल को उच्च न्यायालय से अधिग्रहण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त हो गये हैं। इस समय यह मिल रिसीवर के नियंत्रण में कार्यरत है। बकाया के शीघ्र भुगतान करने के सम्बन्ध में रिसीवर प्रयत्नशील है।

*16--श्री मुहम्मद हयात--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुन्दन शुगर फैक्टरी, अमरोहा, मुरादाबाद जो सरकार के नियन्त्रण में है और दिनांक 25 नवम्बर, 1974 से चल रही है, के सम्बन्ध में

अनेकों प्रकार की शिकायतें इस वर्ष प्राप्त हुयीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कुन्दन शुगर मिल अमरोहा के वर्तमान सीजन में चालू होने की तिथि (25-11-74) के बाद शासन को उक्त मिल की स्थिति की जांच कराने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का एक पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच करा ली गई तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुहम्मद हयात--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि 25 लाख 13 हजार रुपया किसानों का अभी बकाया है, इसी सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि जब सरकार ने कुन्दन शुगर फैक्टरी को अपने नियन्त्रण में लिया, उस समय मिल पर कितनी धनराशि बकाया थी, और इस समय कितनी है और टोटल सब मिलाकर कितना हुआ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

फैक्टरी को रिसीवरशिप में 8-10-69 को लिया गया। इसके पूर्व जैसा कि मैंने प्रश्नोत्तर में बतलाया है, इसके पूर्व का 7 लाख 63 हजार बकाया है। 70-71, 71-72 और 72-73 का कोई रुपया बाकी नहीं है। 73-74 का 5 लाख 13 हजार रुपया बाकी है। 3 करोड़ 11 लाख रुपये में से कुल 5 लाख 13 हजार रुपया बाकी है। बाकी का भुगतान हो चुका है। जो सीजन चल रहा है इसका अभी 12 लाख 42 हजार रुपया बाकी है।

श्री मुहम्मद हयात--

मैंने मान्यवर, दूसरी बात कही है। मैंने यह कहा था कि सरकार ने मिल को अपने नियंत्रण में लिया तो उस समय फैक्टरी पर क्या बकाया था और अब कितना बकाया रह गया है, और कुल योग कितना है ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने अभी यही बताया है, इसी बात का जवाब दिया है।

श्री मुहम्मद हयात--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों का कुल गन्ने का मूल्य जो बकाया है वह कितना है और जब सरकार ने टेक ओवर किया उस समय कितना था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, अधिग्रहण के समय इस मिल पर केवल 50 लाख 80 हजार रु० बकाया था और अब यह घटकर केवल 7 लाख 63 हजार रह गया है।

श्री मुहम्मद हयात---

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था उसमें मुख्य आरोप क्या है ? कौन सी बेईमानियां उस पत्र में दी गयीं थीं और क्या इसके अलावा कुछ मिल मजदूरों की भी शिकायतें आपको मिली हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, आरोपों की सूची लंबी है। आज्ञा हो तो पढ़ दूं। इस संबंध में माननीय सदस्य ने स्वयं 20 दिसम्बर, 74 को एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजा था, जिसके आरोप हैं--

कि कोयला जलाया हुआ दिखाया जाता था, वह केवल कागजी कार्यवाही के लिये था अब खोयी नहीं बचती है, सेठ के टाइम खोयी बेची जाती थी। अब खोई की जगह लकड़ी जलाई जाती है।

सरदार इन्दर सिंह,चीफ इंजीनियर के भाई सरदार सेवा सिंह 63 वर्ष की आयु में रिटायर हो गये तो इंदर सिंह को क्यों नहीं रिटायर किया जाता।

रानीगंज तथा बाम्बे वाला इंजिन पूरी क्षमता से नहीं चल रहा है। बाम्बे इंजिन चीफ इंजीनियर साहब के दामाद की देख-रेख में रिपेयर किया गया था, उस पर ऐक्शन नहीं लिया गया ?

25 सितम्बर को मिल चली, 26 सितम्बर को सबसे छोटा वैकूम खराब निकला उस पर रिपेयर करने वाले पर ऐक्शन नहीं लिया गया।

1974 में सीजन कर्मचारियों के होते हुये टेम्परेरी कर्मचारी रखे गये हैं जिससे कम्पनी का नुकसान हो रहा है।

रिपेयर के लिये जो सामान खरीदा.....

श्री अध्यक्ष--

आदि आदि हैं--अब इतनी काफी शिकायतें बता दी गयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, इसके अलावा मुरारी जाटव का पत्र मिला जो 15-8-74 को भेजा गया, अध्यक्ष कुंदन शुगर मिल्स मजदूर संघ यूनियन अमरोहा का पत्र मिला जो 8 नवम्बर, को भेजा गया। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य का पत्र भी 16-11-74 को भेजा गया।

श्री मुहम्मद हयात--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही कब तक होगी क्या मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, इस संबंध में सहकारी चीनी मिल संघ के इंजीनियर-इन-चीफ श्री आर० पी० सिंह की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है।

श्री अध्यक्ष--

यह पूछ रहे हैं, कब तक हो जायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, इसमें कार्यवाही तुरन्त की जा रही है। कुछ हिस्से पर तुरन्त की जा रही है, और कुछ हिस्से पर थोड़ा समय लगेगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, जो जांच रिपोर्ट आ गयी है, उसको कब तक लागू कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

कह तो रहे हैं कि तुरन्त लागू कर देंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं चाहूंगा कि जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर वह कब तक लागू की जायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया जो भाग तुरन्त लागू किया जा सकता था, वह तुरन्त लागू किया जा रहा है। खोई के बारे में शुगर कारपोरेशन को दोबारा जांच कराने के लिये दिया गया है। इंजन के बारे में जिन्होंने गलत रिपेयर किया था उनके लिये आदेश दिया गया है कि इनको निकाल दिया जाय। एक मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी वजह से ऐक्शन नहीं लिया जा सकता। जो रिसीवर की त्रुटि थी वह नहीं पायी गयी। इंजिन मरम्मत के सम्बन्ध में चीनी निगम टेक्निकल कार्यवाही कर रहा है और इसमें थोड़ा समय लगेगा।

बदायूं जिले में शहरी व देहाती क्षेत्र में राशन की दुकानें खोलने का आधार

*17--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक जिले के शहरी क्षेत्र में राशन की दुकाने व ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की दुकाने कितने यूनिट की संख्या के आधार पर खोली गयी हैं। क्या उसी आधार पर जनपद बदायूं के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोली गयीं हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

शहरी क्षेत्रों में राशन की प्रत्येक दुकान पर 3000 से 3500 तक यूनिट सम्बद्ध किये जाने के तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यदि प्रत्येक गांव सभा में एक लेवी चीनी की दुकान खोलना संभव हो तो प्रत्येक न्याय पंचायत में दो दुकाने खोली जाने के आदेश हैं। जनपद बदायूं के शहरी क्षेत्र में दुकाने उपरोक्त आधार पर खोली गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 164 न्याय पंचायतों में से 96 में दो-दो लेवी चीनी की दुकानें है और 68 में एक एक। इन 68 न्याय पंचायतों में भी उपरोक्त आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगी कि प्रत्येक गांव सभा में चीनी की दुकानें खोलना सम्भव नहीं है। तो सम्भव से मतलब मैं नहीं समझा कि कैसे दुकानें नहीं खुलेंगी। यदि कोई मांग करेगा तो वहां दुकान खोली जायेगी कि नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अभी तो नीति यही है कि कम से कम न्याय पंचायत तक पहुंचे और न्याय पंचायत में दो दुकानें दें। गांव सभा में एक-एक या दो-दो बोरी तक पहुंचे और जो व्यक्ति वितरित करेगा उसको जो मुनाफा मिलना चाहिये वह शायद उतना इकोनामिकल नहीं पड़ता है। इसलिये गांव सभा तक सम्भव नहीं हो सका है। वितरण की दृष्टि से प्रत्येक गांव सभा तक पहुंच सके तो, जनता की दृष्टि से ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी ग्रामीण क्षेत्र में चीनी जाती है, वह बिकती नहीं है, बल्कि शहर में ही ब्लैक हो जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें क्या कठिनाई या आपत्ति है कि प्रत्येक गांव सभा के लोग एक बोरी चीनी ले जाकर वहां दें ? वरना चीनी ब्लैक हो जाती है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हमने जनरल आर्डर वितरण का जो है उसको बताया। फर्रुखाबाद जिलेमें जिलाधीश ने अपने स्तर और जिला प्रतिनिधियों की मीटिंग करके खाद्य सलाहकार समिति के सलाह पर प्रत्येक गांव सभा की चीनी देने की व्यवस्था कर रखी है। यह जब हमारी नोटिस में बात आयी तो हमने कहा कि यदि यह प्रणाली ठीक से चल सकती है, तो हम इस पर विचार करेंगे कि इसी तरह पूरे सूबे में किया जाय तो अच्छा होगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यूनिट तय किया है, तीन और साढ़े तीन हजार यूनिट पर शहर में दुकाने खोलने का और अदालत पंचायतों में दो दुकानें खोलने का। तो हमारे यहां गोरखपुर में बहुत से लोगों के कार्ड नहीं हैं, और उनकी चीनी बच जाती है जो कि ब्लैक हो जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह यूनिट कब के बढ़े हुये हैं क्या इसके अनुसार सबका कार्ड बनवा दिया गया है ? यदि नहीं तो अविलम्ब बनवा देंगे ताकि ब्लैक न हो सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, कार्ड पूरे सूबे में बने हुये हैं। कहीं से सूचना नहीं है कि कार्ड नहीं बने हैं। यह माननीय सदस्य यदि किसी खास गांव की बात बतायेंगे तो जिलाधीश उसके अनुसार कार्ड बनवा देंगे। निश्चित आदेश हैं कि कार्ड पर ही चीनी वितरित की जाय।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)—

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि असरार साहब का जो सवाल है कि गांव तक चीनी नहीं पहुंचती तो यही हाल मेरे जिले का भी है। मैं मंत्री जी से यह माग करूंगा कि वह ग्रामों में इन दुकानों को समाप्त कर दें क्योंकि गांव वालों को चीनी मिलती नहीं और सारी चीनी ब्लैक में चली जाती है। क्या सरकार इन दुकानों को समाप्त करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं दुकानें समाप्त नहीं करूंगी बल्कि और बढ़ाऊंगी।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आज पूरे प्रदेश में यह शिकायत है कि गांवों में चीनी नहीं पहुंचती और दुकानदार लोग चीनी का कोटा शहर में ब्लैक कर देते हैं। जिस प्रकार आपने सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लिया और उसकी कीमत गिर गयी क्या इसी तरह मंत्री जी चीनी पर से भी कंट्रोल हटाने पर विचार करेंगी ? अगर आप चीनी पर से कंट्रोल तोड़ देंगी तो खुले बाजार में वह जनता को मिलने लगेगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। अगर हमने चीनी पर से कंट्रोल तोड़ दिया तो जो हम 65 प्रतिशत लैवी लेते हैं और फिर जनता को 2 रु० 15 पैसे पर देते हैं वह नहीं दे सकेंगे और फिर इससे जनता को परेशानी होगी। चीनी पर से कंट्रोल हटाना जन हित में नहीं होगा।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

मैं मंत्री जी के पास शिकायत भी कर चुका हूं कि जिला इटावा में केवल साढ़े 3 छटांक प्रति यूनिट चीनी मिलती है। क्या मंत्री जी एक किलो प्रति यूनिट करने की कृपा करेंगी जिससे कि दूसरे जिलों के अनुसार वहां भी व्यवस्था हो सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह बात माननीय सदस्य ने मेरे नोटिस में लाई थी और मैंने विभाग को कहा है कि उचित व्यवस्था की जाय।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जबकि एक जनपद में दो दुकानें होनी चाहिये बदायूं में लगभग आधी न्याय पंचायतों में दो दुकानें नहीं हैं, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस विषय में यह सूचना प्राप्त हुई है कि इस क्षेत्र में दुकानदारों की आवश्यकता दर्शाते हुए कोई मांग नहीं आयी है। फिर भी शासन की ओर से जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इन 68 पंचायतों में दो दुकानें खोलने की व्यवस्था करायें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगी कि वह इस बात का पता लगायेंगी कि वाकई में दरख्वास्तें आयी हैं या नहीं ? मेरी जानकारी में दरख्वास्तें आयी हैं और वहां सलाहकार समिति ने भी कहा कि दुकानें दी जायं लेकिन नहीं दी गयी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने अभी कहा कि जिलाधीश को आदेश दिया गया है कि वहां पर दुकानें खोलने की व्यवस्था करायें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

उन्होंने गलत सूचना दी है कि दरख्वास्तें नहीं आईं। मेरा कहना है कि दरख्वास्तें आयीं और पेंडिंग हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अगर आप इतने मजबूत होते हुए भी दुकानें नहीं खुलवा सके तो मैं क्या करूं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

बदायूं में ब्लैक करने वाले ही ज्यादा दरख्वास्तें देते हैं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो तमाम गड़बड़ी वितरण प्रणाली में चल रही है इसको देखते हुए क्या वह 65 प्रतिशत लेवी के बजाय सारी शकर मिलों से लेकर फिर सरकार की ओर से उसे वितरण कराने की व्यवस्था करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह भी सरकारी वितरण प्रणाली का ही दूसरा रूप है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

जो गांवों में दुकानें खुली हैं उनसे गांवों में चीनी का वितरण नहीं हो रहा है। और न इस तरह की कोई सुविधा रखी है जिससे गरीब आदमियों और किसानों को चीनी मिल सके। चूंकि यह चीनी कुछ चंद लोग बेच लेते हैं तो क्या आप गांवों का कोटा खतम करेंगी। मैं यह सरकार के भले के लिये ही कह रहा हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह जो शिकायत शासन के पास आती रही कि देहातों में न तो चीनी पहुंच रही है और पहुंच रही है तो पुर्जियों पर बटती है, उससे दिक्कत यह थी कि हिसाब नहीं रखा जा सकता था। इस लिये शासन ने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में कार्डों की व्यवस्था की है। इससे हम चेक कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं। पहले से चीनी के ब्लैक में काफी कमी हुई है और ग्रामीण अंचलों में अब काफी चीनी पहुंच रही है।

श्री ओम प्रकाश सक्सेना, सुपरवाइजर गन्ना सोसाइटी, सहसपुर, जिला बिजनौर द्वारा गबन

*18—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवहरा, जिला बिजनौर गन्ना सोसायटी के श्री ओम प्रकाश सक्सेना, सुपरवाइजर, सहसपुर लगभग 58 हजार रुपया गन्ना सोसायटी का लेकर जून, 1974 में फरार हो गये हैं? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्योहारा, जिला बिजनौर गन्ना सोसायटी के श्री ओम प्रकाश सक्सेना, समिति भोगी सुपरवाइजर, सहसपुर रु0 52,640.32 गन्ना सोसायटी से लेकर जून, 1974 से फरार हैं। श्री सक्सेना को निलम्बित कर दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

बिक्रीकर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा व्यापारियों का सर्वेक्षण

*19—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिक्री-कर विभाग के गुप्तचर शाखा द्वारा सितम्बर, अक्तूबर, 1974 में व्यापारियों के यहां मारे गये छापे से कितने करोड़ बिक्री-कर की चोरी का पता चला? इस छापे से ऐसे कौन-कौन व्यापारी पकड़े गये जिनके ऊपर 50 हजार से अधिक की चोरी करने का आरोप है? ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सितम्बर, अक्टूबर, 1974 में बिक्री-कर विभाग को विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा व्यापारियों के सर्वेक्षण किए गए थे उनमें से कुछ मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मामलों में जांच अभी जारी है। जिन मामलों में जांच पूरी हो चुकी है उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट सम्बन्धित कर-निर्धारण अधिकारियों को भेज दी गई है। इन मामलों में कर-निर्धारण की कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के उपरान्त ही यह पता चल सकेगा कि किस-किस व्यापारी ने 50 हजार रुपये से अधिक कर की चोरी की है। कर-निर्धारण अधिकारी के आदेश भी अपील तथा पुनरीक्षण के अधीन होंगे। बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर-निर्धारण के बाद ही की जा सकती है।

मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज में बोमेल की कथित खान का पाया जाना

*20—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मिर्जापुर जिले के राबर्ट्सगंज नामक स्थान पर बोमेल की भारी मात्रा की खानों के पाये जाने की जानकारी हाल ही में मिली है? यदि हां तो वास्तविकता क्या है तथा उसके खनन की दृष्टि से क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जमुना दास अहिरवार, हाट निरीक्षक की पुनर्नियुक्ति

*21—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र संख्या खाद्य/रसद/कानपुर झांसी/74-75, दिनांक 7 अगस्त, 1974 को विपणन निरीक्षकों की सेवायें समाप्त करने सम्बन्धी आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश को दिया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। प्रश्नगत पत्र श्री जमुना दास अहिरवार, भूतपूर्व हाट निरीक्षक की सेवा समाप्ति के बारे में था। श्री अहिरवार की सेवायें पदों में कमी होने के कारण कनिष्ठतम होने के नाते दिनांक 31-8-73 को समाप्त की गयी थी। पुनः अतिरिक्त पद स्वीकृत होने पर छटनी शुदा कर्मचारी होने के नाते उपरोक्त कर्मचारी को 1-1-1974 को हाट निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

मेरठ जिले की फर्जी फर्म का निरसन

*22—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में कितनी फर्में फर्जी रूप में चल रही हैं तथा इन फर्मों का शासन ने गत छः माह में पता लगाया? और इन फर्मों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

मेरठ जिले में दिसम्बर, 1974 तक 972 इकाइयां अकार्यरत पाई गयीं। इन्हें मिलने वाले कच्चे माल जैसे लोहा, कोयला का आवन्टन बन्द कर दिया गया तथा उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया।

*23— श्री अछई राम—

[1ले सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत उत्तरित।]

बलिया जिले की रानीगंज बाजार एवं बिहार के सीमा क्षेत्र में खाद्यान्न के संचालन पर प्रतिबन्ध

*24—श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतलायेंगी कि रानीगंज बाजार जो द्वाबा विधान सभा क्षेत्र जनपद, बलिया की मुख्य मन्डी बाजार है, बिहार की सीमा से 8 किलोमीटर के बाहर है? यदि हां, तो वहां पर खाद्यान्न (गेहूं, चावल) के यातायात पर क्या सीमा का प्रतिबन्ध लगा हुआ है और यदि हां, तो उस क्षेत्र की जनता के लिये खाद्यान्न की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। जनपद बलिया का रानीगंज बाजार बिहार की सीमा से लगे हुये 8 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में स्थित है। इसी कारण सीमा क्षेत्र में खाद्यान्न के संचालन पर सामान्य प्रतिबन्ध वहां भी लागू है।

इस क्षेत्र की जनता के लिये खाद्यान्न की पूर्ति के लिये निम्न व्यवस्था की गई है:

(क) सीमा क्षेत्र के बोनाफाइड निवासी अपने निजी उपभोग के लिये एक समय में सीमा क्षेत्र के बाहर 10 किलोग्राम गेहूं / गेहूं उत्पाद और 20 किलोग्राम चावल / धान और उनके उत्पादन (भूसी तथा चोकर छोड़कर) बिना किसी प्रतिबन्ध के ला सकते हैं।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित मात्रा से अधिक खाद्यान्न भी जिला मजिस्ट्रेट के अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक के परमिट से सीमा क्षेत्र में लाया जा सकता है।

खांडसारी एवं गुड़ बनाने वाली इकाइयों द्वारा क्रय किया गया गन्ने का मूल्य

*25—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि प्रदेश में खान्डसारी इकाइयों तथा गुड़ बनाने वाली इकाइयों द्वारा गन्ना औसतन किस मूल्य पर खरीदा जाता है? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उपरोक्त इकाइयों से गन्ना उत्पादकों को वही मूल्य मिल सके जो चीनी मिलों द्वारा प्राप्त होता है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, खाण्डसारी एवं गुड़ बनाने वाली इकाइयों द्वारा जो गन्ना मूल्य दिया जाता है वह प्रदेश भर में समान नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 1975 में खाण्डसारी तथा गुड़ बनाने वाली इकाइयों द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 रु0 से 13 रु0 प्रति क्विन्टल की दर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 रुपये से 15 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से, मध्य उत्तर प्रदेश में 7 रुपये से 14 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से एवं रुहेलखंड क्षेत्र में 7 रुपये से 12 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से गन्ना क्रय किया गया था।

खाण्डसारी एवं गुड़ बनाने का उद्योग एक लघु एवं कुटीर उद्योग माना जाता है एवं प्रदेश के कोने-कोने में फैला हुआ है और इन इकाइयों की संख्या लगभग 5,000 है और क्योंकि जिस वर्ष में गन्ने की बाहुल्यता प्रदेश में होती है उस समय यह इकाइयां बफर का काम करती हैं एवं गन्ने की खपत करती हैं और दूसरी ओर जिस वर्ष गन्ने का उत्पादन कम होता है उस वर्ष यह इकाइयां गन्ने का मूल्य चीनी मिलों द्वारा बढ़वाने में सहायक सिद्ध होती हैं अस्तु खाण्डसारी एवं गुड़ इकाइयों द्वारा वही मूल्य लगातार दिलवाना जो चीनी मिलों द्वारा दिया जाता है आज की परिस्थितियों में व्यावाहरिक नहीं है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित होता है।

दो वर्ष तक सरकारी नौकरियों में नियुक्ति न करने का कथित आदेश

*26—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले दो वर्षों तक किसी को नौकरी नहीं मिल सकेगी ? यदि हां, तो शासन उन बेकार लोगों की आयु सीमा को भी दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय लेगी जिससे ऐसे लोगों के नौकरी प्राप्त करने के प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

*27—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त।]

*28—श्री मधुकर दिवे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

गन्ना शोध केन्द्रों के लेबोरेटरी असिस्टेन्ट के बकाये वेतन का भुगतान

*29—श्री मधुकर दिवे—

क्या गन्ना मन्त्री बतायेंगे कि गन्ना शोध केन्द्रों पर कृषि सेवा वर्ष 4 के अन्तर्गत कार्य करने वाले लेबोरेट्री असिस्टेन्ट को नया वेतन मान 170—2—190—3—205—4—225 लागू करके उनके उत्पन्न वेतन के पुराने बकाया आदि उन्हें दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 3 अप्रैल, 1974 तथा 5 जून, 1974 को इनकी कोई शिकायत अधिकारियों के पास पहुंची है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*30—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

अकार्यरत औद्योगिक इकाइयों द्वारा आयात लाइसेंस का दुरुपयोग

*31—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में सैकड़ों बोगस कारखानेदारों को दरआमदी लाइसेंस विगत वर्ष में दिये गये हैं, जिसका दुरुपयोग करके उन्होंने लाखों रुपया कमाया और जिसकी जांच प्रान्त के उद्योग विभाग ने की। यदि हां, तो सरकार ने उन जालसाज फर्मों के मालिकों व जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इस्तफा हुसैन—

कतिपय औद्योगिक इकाइयों ने जो बाद में अकार्यरत पाई गईं, आयात लाइसेंस प्राप्त किये और उनके दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई? ऐसी फर्मों के आयात लाइसेंस निरस्त करने के लिये उप नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात, कानपुर को लिख दिया गया है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बारे में जांच की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत देवरिया जिले के कप्तानगंज थानेमें अंकित किये गये मुकदमे

1— श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1974 में एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत देवरिया जिले के कप्तानगंज थाने में कितने अभियोग दर्ज हुये तथा उनसे कौन-कौन सी वस्तुयें बरामद हुयीं और इस प्रकार से प्राप्त वस्तुयें क्या हुयीं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

देवरिया जिले में वर्ष 1974 में एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत कप्तानगंज थाने में 13 मुकदमे दर्ज हुये। इन मुकदमों में बरामद की गयी वस्तुओं तथा उनके निस्तारण का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 218–219 पर)

छिबरामऊ में सस्ते गल्ले की दुकानें

2—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उचित मूल्य की दूकान कितनी आबादी वाले शहर में और कितनी संख्या में स्वीकार की जाती है और इस प्रकार छिबरामऊ में जो दूकानें हैं वह वहां की आबादी को देखते हुये काफी कम हैं? क्या सरकार वहां की दूकानों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करेगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

10,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जाती हैं और प्रत्येक दुकान से 3,000 से 3,500 तक यूनिट सम्बद्ध किये जाने के आदेश हैं।

छिबरामऊ में 19,231 यूनिटों पर 6 दूकानें कार्यरत हैं जो कि पर्याप्त हैं। अत: दुकानों की संख्या बढ़ाने का विचार नहीं है।

पन्नी जी शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स कम्पनी, बुलन्दशहर के रिसीवर द्वारा की गयी नियुक्तियां एवं प्रमोशन

3—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर के रिसीवर ने 1 जनवरी, 1973 से आज तक कितनी नियुक्तियां कीं, कितने प्रमोशन किये तथा कितनों को नौकरी से निकाला और सितम्बर महीने में रिसीवर महोदय किन कारणों से कलकत्ता गये और उन्होंने यात्रा का कितना खर्चा लिया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पन्नी जी शुगर ऐन्ड जनरल मिल्स कम्पनी, बुलन्दशहर के रिसीवर ने दिनांक 1 जनवरी, 1973 से दिनांक 31 जनवरी, 1975 तक 65 कर्मचारियों की नियुक्ति की, 18 कर्मचारियों को प्रमोशन किये, और 27 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। रिसीवर महोदय सितम्बर माह में कलकत्ता नहीं गये।

नियोजन कार्य के लिये जीवन बीमा निगम से धन की मांग

4—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की पंचवर्षीय योजना की पूर्ति हेतु 300 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में लेने के सम्बन्ध में एल० आई० सी० को गत मास लिखा गया है। यदि हां, तो वह रुपया किन-किन मदों में खर्च किया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, गत वर्षों में जीवन बीमा निगम से नियोजन कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश में उस अनुपात में धन उपलब्ध नहीं हुआ जिस अनुपात में यहां से जीवन बीमा निगम को प्रीमियम के रूप में धन उपलब्ध होता रहा है। इस विषमता को दूर करने तथा नियोजन कार्यों में तीव्रता लाने के उद्देश्य से जीवन बीमा निगम को पांच साल का ब्योरा भेजा गया और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं के लिये अपने बजट में 328 करोड़ रुपये का प्राविधान कर लें जिसका ब्योरा संलग्नक 'अ' में दर्शाया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 220 पर)

बहराइच तहसील में स्थापित लघु उद्योग इकाइयां

5—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बराइच जनपद के बहराइच तहसील में कितनी लघु उद्योग इकाइयां वर्ष 1972 से अब तक खोली गईं और उनमें से कितनी अब तक चालू हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जनपद बहराइच की बहराइच तहसील में वर्ष 1972 में से 21 नयी लघु उद्योग इकाइयां स्थापित हुईं और उनमें से 18 इकाइयां चालू हैं।

6-7—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[मन्त्री पद ग्रहण करने के फलस्वरूप निरस्त]

प्रदेश की वनस्पति घी बनाने वाली मिलों की उत्पादन क्षमता

8—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की वनस्पति घी बनाने वाली प्रत्येक मिल की अलग-अलग उत्पादन क्षमता क्या है तथा मास जुलाई, 1974 से अक्तूबर, 1974 तक प्रति माह प्रत्येक ने कितना-कितना क्विन्टल घी का उत्पादन किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रदेश में वनस्पति घी बनाने की कुल 10 मिलें हैं। उनमें से मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) में स्थित मिल सितम्बर, 1973 से बन्द है। शेष 9 मिलों के सम्बन्ध में वांछित सूचना नीचे उल्लिखित है :—

क्रम-संख्या	वनस्पति मिल का नाम	मिल की रेटेड मासिक क्षमता	उत्पादन (आंकड़े कुन्तल में) जुलाई, 1974	अगस्त, 1974	सितम्बर, 1974	अक्तूबर, 1974
1	2	3	4	5	6	7
1	नरायन वेजीटेबुल प्रोडक्ट्स, सीतापुर।	15000	6500	1950	5600	1250
2	हिन्दुस्तान लीवर, गाजियाबाद	21750	4020	1850	2060	2400
3	मोतीलाल पद्मपत उद्योग, कानपुर	15000	3820	1450	शून्य	1800
4	गणेश फ्लोर मिल, कानपुर	22500	5300	3400	4400	2600
5	अमृत वनस्पति कम्पनी, गाजियाबाद।	30000	4060	1350	2070	2880
6	मोदी वनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, मोदीनगर।	30000	8340	8250	7250	6200
7	जैन शुद्ध वनस्पति, गाजियाबाद	15000	4050	1250	50	2650
8	प्राग वनस्पति, अलीगढ़	15000	4110	1900	420	850
9	केशव वनस्पति, लखनऊ	15000	1350	600	शून्य	400
	योग ...	179250	41550	22000	21850	21030

देवरिया जिले के अरोरा अल्युमिनियम ऐन्ड एलाइड वर्क्स लि० को दिये गये ऋण की वसूली

9—श्री श्रीनारायण—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अरोरा अल्मुनियम ऐन्ड एलाइड वर्क्स लि0 को सरकार की तरफ से प्रारम्भ से अक्तूबर, 1974 का कितना लोन किन शर्तों पर दिया गया उसमें से कितना वसूल हो पाया है, शेष के वसूली हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उपरोक्त अल्मुनियम वर्क्स लि0 पर फैक्टरी ऐक्ट कब से लागू हुआ ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—

इस इकाई को राज्य सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया। परन्तु इस इकाई को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर द्वारा रु0 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) का ऋण 1965 में स्वीकृत किया गया था जिसकी अदायगी 10 वर्ष में रु0 22,500 प्रति वर्ष के हिसाब से की जानी थी। प्रथम किस्त ऋण लेने के 18 माह बाद देय होती थी। अभी तक 9 किश्तें देय हुई हैं जिनका भुगतान इस इकाई द्वारा किया जा चुका है। केवल एक किश्त जो दिसम्बर, 1975 में देय होगी उसका भुगतान इस इकाई द्वारा दिसम्बर, 1975 में किया जाना शेष है। अत: निगम द्वारा वसूली की कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह इकाई फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 1 अक्तूबर, 1965 को पंजीकृत हुई थी और इसी दिनांक से उक्त ऐक्ट इकाई पर लागू हुआ है।

बुड़वल चीनी मिल (बाराबंकी) द्वारा उत्पादित चीनी

10—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना वर्ष 1973-74 में चीनी मिल बुड़वल, जिला बाराबंकी में कुल कितने क्विन्टल चीनी का उत्पादन किया गया है ? इस वर्ष चीनी व शीरे की बिक्री कितने रुपये की हुयी है ? इस वर्ष यह मिल घाटे पर चली या मुनाफे पर ? यदि मुनाफा पर चली तो किसानों का गन्ना मूल्य बाकी रहने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बुड़वाल चीनी मिल (बाराबंकी) में वर्ष 1973-74 में 57,435 क्विन्टल चीनी का उत्पादन हुआ। इस वर्ष 1972-73 के शेष स्टाक से तथा 1973-74 के उत्पादन से कुल चीनी की बिक्री रुपया 144.44 लाख की तथा शीरे की बिक्री रुपया 0.34 लाख की हुई जिसमें रुपया 29.17 लाख इक्साइज ड्यूटी भी शामिल है। उक्त मिल इस वर्ष घाटे पर चली।

मिर्जापुर शहर में सरकारी गल्ले के गोदामों से संबंधित भुगतान किया गया किराया

11—श्री आशाराम यादव—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगी कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत शहर में जो सरकारी गल्ले के स्टोर का गोदाम है वह कब और कितने किराये पर लिया गया था ? इस गोदाम का मालिक कौन है और अब तक किराये का कितना भुगतान किया जा चुका है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत शहर में सरकारी गल्ले के स्टोर हेतु कुल 10 गोदाम हैं। उनके सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 221 पर)

बांदा जिले के विकास खण्ड, जसपुरा के अन्तर्गत सरकार द्वारा खरीदा गया गेहूं

12--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगी कि जनपद बांदा के विकास खंड जसपुरा में इस वर्ष सरकार द्वारा 105 रु0 क्विन्टल की दर से किसानों से कुल कितना गेहूं खरीदा गया और उसमें कितना गेहूं जिले को भेज दिया गया व कितना ब्लाक केन्द्र में रक्खा गया? और ब्लाक केन्द्र में इस गेहूं का विक्रय किस-किस को कितना-कितना किया गया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जनपद बांदा के विकास खंड जसपुरा में सरकार की ओर से पी0सी0 एफ0 द्वारा 30 जून, 1974 तक 105 रु0 प्रति क्विन्टल की दर से किसानों से 682.88 कुन्तल गेहूं खरीदा गया जो पूरी मात्रा में केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को दे दिया गया। ब्लाक केन्द्र पर गेहूं की कोई मात्रा नहीं रखी गई। अतः ब्लाक केन्द्र पर इस गेहूं का विक्रय किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना किया गया इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रदेश में न्यूजप्रिन्ट फैक्टरी की स्थापना

13--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में न्यूज प्रिन्ट फैक्टरी कायम करने की अनुमति भारत सरकार ने दी है? यदि हां, तो कब और यह कहां कायम की जायेगी तथा कितनी लागत से?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

एक इकाई मैलानी, जिला लखीमपुर-खीरी में तथा दूसरी प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किये जाने हेतु दो पार्टियों के आशय-पत्र प्राप्त हुये हैं। पहली इकाई की लागत 85 करोड़ रुपये तथा दूसरी की 5 करोड़ रुपये अनुमानित है। सम्बन्धित पार्टियों के अनुसार, स्थापना का कार्य यथासमय आरम्भ किये जाने पर पहली इकाई को पूर्ण करने में तीन वर्ष तथा दूसरी को दो वर्ष का समय लगेगा।

प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग के लिये दिये गये नवीन लाइसेंस

14--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने खाण्डसारी उद्योग के लिये अक्तूबर, 1974 से जनवरी, 1975 तक लाइसेंस किन-किन स्थानों के लिये दिये गये हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग के लिये अक्तूबर, 1974 से जनवरी, 1975 तक 71 नवीन लाइसेंस जारी किये गये हैं, जिनके स्थानों का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 222-223 पर)

जिला गोंडा की सादुल्ला नगर इन्डस्ट्रीज के पंजीकरण का निरसन

15--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि गोंडा जिले में निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर द्वारा पंजीकृत एस0एस0आई0यूनिट डी0 आई0/यू0पी0जी0डी0ए0/26538, सादुल्लानगर इन्डस्ट्रीज, सादुल्लानगर, गोंडा में स्थापित की गयी है ? यदि हां, तो यह उद्योग कब पंजीकृत हुआ और इसका मालिक कौन है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां। इस इकाई को दिनांक 10 नवम्बर, 1970 को पंजीकृत किया गया था। श्री मोहिउद्दीन हाशिमी इसके मालिक थे।

16--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार यह बतायेगी कि इस उद्योग को राज्य सरकार द्वारा सन् 1973-74 में लोहा, स्टील आदि का कितना-कितना कोटा दिया गया ? क्या यह उद्योग सादुल्लानगर में काम कर रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वर्ष 1973-74 में लोहा, स्टील आदि का कोई भी कोटा इस इकाई को उद्योग विभाग द्वारा नहीं दिया गया। यह उद्योग सादुल्लानगर में काम नहीं कर रहा है। इस इकाई का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है।

17--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

न्याय पंचायतों में नियंत्रित कपड़े की दुकान खोलने की मांग

18--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगी कि उन्होंने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की हर न्याय पंचायतों में मोटे कपड़े की सरकारी दूकानें खोलने की घोषणा इस वर्ष की है ? यदि हां, तो ये दूकानें कब से प्रारम्भ होंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

हर न्याय पंचायत में नहीं बल्कि दो न्याय पंचायतों के बीच कम से कम एक नियन्त्रित कपड़े की दुकान खोलने के लिये समस्त जिलाधिकारियों एवं उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को दिनांक 27 जुलाई, 1974 को निर्देश भेजे जा चुके हैं। उक्त निर्देश के अन्तर्गत अब तक 425 दुकानें खोली जा चुकी हैं ?

बिजनौर जिले में मेवा नवादा व सर्किल रैनी स्थित केन सोसाइटी में अनियमितता व भ्रष्टाचार

19—श्री अब्दुल वहीद—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि सेन्टर मेवा नवादा व सर्किल रैनी जोन स्योहारा, जिला बिजनौर में केन सोसाइटी, स्योहारा में भारी गड़बड़ी व गोलमाल हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सोसाइटी के हिसाब की जांच कराने हेतु सरकार विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेवा नवादा में स्थित खाद गोदाम के स्टाक में अंकन रु0 52,640.32 पैसे की कमी प्रकाश में आई है। इस केस की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को की जा चुकी है तथा उक्त खाद गोदाम के पर्यवेक्षक को निलम्बित किया जा चुका है। सम्पूर्ण धनराशि समिति को पर्यवेक्षक के माध्यम से अब तक प्राप्त हो चुकी है और पर्यवेक्षक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रगति में है।

2—सर्किल रैनी में वर्ष 1963-64 तथा 1964-65 में मूल्यांकन रु0 26,484.89 पैसे के फर्जी ऋण वितरण के मामले प्रशासनिक कार्यविही में चले थे जिनमें श्री यशपाल सिंह, पर्यवेक्षक तथा ऐजाज नबी, गन्ना ग्राम सेवक दोषी पाये गये और उन्हें दन्डित करते हुये सेवा से विमुक्त कर दिया गया, तथा व्यपहृत धनराशि की वसूली के आदेश पारित कर दिये गये थे।

3—उक्त गड़बड़ियों की जांच हेतु चीफ आडिट आफीसर, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ को लिखा गया है।

प्रदेश में शुगर प्लान्ट हेतु दिये गये लाइसेन्सों में हरिजन लाइसेन्सी

20—श्री देवी सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश में शुगर प्लान्ट के लिये सन् 1970 ई0 से अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा उनमें कितने हरिजनों को दिये गये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1970 से अब तक शुगर प्लान्ट के लिये जारी किये गये लाइसेंसों की वर्ष-वार संख्या निम्नलिखित है :—

1970–71	..	3,826
1971–72	..	3,637
1972–73	..	3,962
1973–74	..	4,883
1974–75	..	4,382

जहां तक हरिजनों को जारी किये कये लाइसेंसों का सम्बन्ध है किसी वर्ग विशेष के लिये अलग से अभिलेख रखने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश न्यालाय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मार्च, 1975 को वापिस प्राप्त हो गया है।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1975 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 1975 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 मार्च, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 के उपवेशन में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 1975, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 मार्च, 1975, को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग, विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 अगस्त, 1974 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 फरवरी, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का षष्टम प्रतिवेदन†

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का षष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा]

भारतीय विधान मन्डलों के पीठासीन अधिकारियों के पदों की संवैधानिक स्थिति, उनके अधिकार तथा कार्य विधि के सम्बन्ध में विदेशों में तथा भारत में स्थिति की छानबीन तथा अध्ययन करने का निश्चय संसदीय अध्ययन समिति (1972-73) में किया था।

उक्त महत्वपूर्ण विषय को अध्ययन हेतु 1972-73 की गठित उपसमिति (1) को निर्दिष्ट किया गया। उक्त उप समिति ने 16, 21 तथा 22 फरवरी, 1973 को इस विषय पर विचार-विमर्ष किया किन्तु समिति का कार्य-काल शीघ्र ही समाप्त हो जाने के कारण यह कार्य सम्पन्न न हो सका।

संसदीय अध्ययन समिति (1973-74) ने अपने गठन के पश्चात् इस विषय पर दिनांक 9, 17 तथा 18 मई, 7 व 8 जून, 19 एवं 20 नवम्बर, 3, 4, 13, 14, 24, 26, 28 तथा 31 दिसम्बर, 1973 को अग्रेतर विचार किया किन्तु समयाभाव के कारण उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

वर्तमान संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति ने दिनांक 21 अक्तूबर, 20, 21 तथा 22 नवम्बर, 1974 को प्रतिवेदन के आलेख्य पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया।

मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचार लाभकारी सिद्ध होंगे।

समिति श्री देवकी नन्दन मिश्रल भूतपूर्व सचिव, विधान सभा, तथा श्री सत्य प्रिय सिंह, सचिव, विधान सभा एवं सचिवालय के अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस विषय के अध्ययन और इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अपना सराहनीय योगदान दिया।

विशेषाधिकार की अवहेलना के कतिपय प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अब मैं ले रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

एक प्रश्न मैंने दिया था सोमवार को, उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है.....

श्री अध्यक्ष--

अभी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ले रहा हूं। आपका आश्वासन समिति सम्बन्धी जो प्रश्न है उसको मैं आज नहीं ले सकूंगा। आज सभापति, आश्वासन समिति, नहीं हैं। जब माधव प्रसाद त्रिपाठी जी होंगे तो उसे लूंगा। जब वह आ जायेंगे तो उसका निपटारा कर दिया जायगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

14 तारीख को एक संवैधानिक आपत्ति मैंने उठाई थी और उसे आपके समक्ष रखी थी।

श्री अध्यक्ष—

अभी आऊंगा उस पर। पहले विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न जो औपचारिक रीति से सामने आये हैं उनको मैं ले रहा हूं।

एक सूचना यह भी दे दूं कि कार्य सूची 8 पर जो विषय हैं, आजमगढ़ जिले में चल रहे हरिजनों के अनशन के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का वक्तव्य उस पर होना है, इसको मैंने 12 (क) पर दिया है। इसे बाद में लिया जायगा।

नीति सम्बन्धी निर्णय सदन के बाहर समाचारपत्रों में प्रकाशित करने के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को ले रहा हूं जो इस प्रकार है :—

"दिनांक 13 मार्च, को उत्तर प्रदेश के मन्त्रि-मन्डल की बैठक मुख्य मन्त्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की अध्यक्षता में हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि खांडसारी की कीमत 200 रुपया से 235 रुपया प्रति क्विन्टल कर दिया जावे तथा लेवी 33 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाये। उक्त दोनों ही निर्णय नीति विषयक हैं तथा ऐसे समय में लिये गये जब विधान सभा सत्र में है। यह निर्विवाद है कि विधान सभा के सत्र के रहते नीति विषयक घोषणा माननीय सदन के समक्ष ही की जाती है और निर्णयों को गोपनीय रखा जाता है। मन्त्रि-परिषद् के सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं।

खेद का विषय है कि 14 मार्च, 1975 के अनेक दैनिक समाचार-पत्रों के प्रात: संस्करण में मन्त्रिमन्डल के उक्त निर्णय प्रकाशित हुए थे और उसी दिन के सत्र के अपराह्न में वित्त मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने मन्त्रि-मन्डल के उक्त सम्बन्धी निर्णयों पर वक्तव्य सदन में दिया तथा खाद्य मन्त्री डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने भी वक्तव्य दिया।

मन्त्रि-परिषद् का निर्णय कैसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है और किसने इस गोपनीयता को भंग किया यह एक गम्भीर विषय है तथा इसकी जांच होना भी आवश्यक है जिससे सम्पूर्ण तथ्य प्रकाश में आ जायं। अत: मैं माननीय मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।"

अब प्रश्न यह है कि दूसरे पैराग्राफ में यह लिखा है "मन्त्रि-परिषद् का निर्णय कैसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ और किसने इस गोपनीयता को भंग किया यह एक गम्भीर विषय है तथा इसकी जांच होना भी आवश्यक है जिससे सम्पूर्ण तथ्य प्रकाश में आ जावें।" इससे ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य स्वयं ही आश्वस्त नहीं हैं और जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी हो सके। यह मांग अपनी जगह ठीक है। उसके अनुरूप मैं इसको शासन के पास भेज देता हूं तथा शासन उनको तथ्य की जानकारी करा देगा लेकिन यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) —

मेरा कहना यह है कि 13 मार्च को विधान मण्डल की बैठक हुई थी.....

श्री अध्यक्ष--

इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न होने का सवाल नहीं होता। औचित्य का प्रश्न हो सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ निर्णय लिया गया है यह सदन में जानकारी में आने के पहले समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गया। मन्त्रि-परिषद् की बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री जी अध्यक्षता करते हैं। वित्त मन्त्री भी उसमें रहते हैं और खाद्य मन्त्री भी उसमें हैं। तो 13 मार्च को बैठक हुई उनमें जो कुछ निर्णय लिया गया दूसरे दिन कैसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गया जब कि सदन सत्र में था और पहले वह निर्णय सदन में आना चाहिये था। इस प्रकार मुख्य मन्त्री जी ने, वित्त मन्त्री जी ने और खाद्य मन्त्री ने इस माननीय सदन की अवहेलना की है। इस विषय को माननीय नारायण दत्त तिवारी ने मौखिक रूप से यह विषय सदन में उठाया भी था। जांच करने पर यह सवाल भी पैदा होगा कि कैसे गोपनीयता भंग हुई है। इस प्रकार यह सीधे-सीधे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय मालवीय जी ने जो इबारत लिख कर दी है वह स्वयं विशेषाधिकार की इबारत का विषय नहीं है .....

श्री मुहम्मद अमरार अहमद (जिला बदायूं)--

वकील जरूर पहले बोल लेंगे ..... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मुझे भी बोलने का अधिकार है .....

श्री अध्यक्ष--

लोग आपको सुनना नहीं चाहते हैं। अधिकार तो आपको है। सवाल यह है कि मालवीय जी ने अपनी बात पर प्रकाश डाला.... (व्यवधान)। पहले तो जो आपने कहा वह मैंने सुना। मालवीय जी ने कोई निश्चित विषय नहीं उठाया। उन्होंने पहले अनुच्छेद में .....

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

निर्णय देने के पहले आप हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

जो मैं कह रहा हूं, उसे आप गौर से सुनें। जो इसमें लिखा गया है वह बड़ी कुशलता के साथ लिखा गया है। उन्होंने कोई नाम इसमें नहीं दिया है। मैं इसे पढ़ता हूं .....

श्री मोती लाल देहलवी--

आप वकील नहीं हैं, प्रोफेसर हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप किसान हैं या मजदूर हैं, तो ऐसे संवैधानिक प्रश्नों पर क्यों उलझते हैं? मैं आपके सामने वह रख रहा हूं। प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेना का नहीं है, औचित्य का है। औचित्य की पृष्ठभूमि में इसे देखा जाना चाहिये। आपने प्रथम अनुच्छेद

में लिखा कि 13 मार्च, को मन्त्रि-परिषद् की बैठक हुई बहुगुणा जी ने उसकी अध्यक्षता की। उसमें यह निर्णय लिया गया। फिर आपने लिखा कि नीति विषयक घोषणा माननीय सदन के समक्ष ही की जाती है और निर्णयों को गोपनीय रखा जाता है। तब तक गोपनीय समझते हुये उसे प्रकाशित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने लिखा कि 14 मार्च को दैनिक समाचार-पत्रों में वह प्रकाशित हुआ और उसमें खाद्य मन्त्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने भी वक्तव्य दिया। तीसरे अनुच्छेद में उन्होंने लिखा है "मन्त्रि-परिषद् का निर्णय कैसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ, किसने गोपनीयता को भंग किया यह एक गम्भीर विषय है तथा इसकी जांच होना भी आवश्यक है जिससे सम्पूर्ण तथ्य प्रकाश में आ जावें।"

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष--

पहले आप सुनिये। श्री सत्यप्रकाश मालवीय स्वयं तथ्यों के बारे में निश्चित नहीं हैं। हो सकता है जो उन्होंने कहा है वह ठीक है। क्योंकि औचित्य की बात तो सही है। अगर कोई बयान ऐसा हो जब कि विधान सभा चल रहा हो और वह विधान सभा के बाहर दिया गया हो तो औचित्य का प्रश्न बनता है। लेकिन यहां आप स्वयं संदिग्ध हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं संदिग्ध नहीं हूं। मैंने उसमें अन्त में लिखा है "अतएव माननीय सदन के विशेषाधिकार भंग करने, गोपनीयता भंग करने व शपथ तोड़ने की सूचना में मुख्य मन्त्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, वित्त मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी तथा खाद्य मन्त्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के विरुद्ध देते हुए यह भी निवेदन करता हूं कि उक्त तीनों मन्त्री तथा सम्पूर्ण मन्त्रि-मन्डल अब अयोग्य हो गया है तथा पद पर बने रहने का हकदार नहीं रह गया है क्योंकि मन्त्रि-परिषद् द्वारा संविधान की अवहेलना की गयी है।

तो मान्यवर, मैं इस बात पर निश्चित हूं कि गोपनीयता भंग की गई है और यह विशेषाधिकार का प्रश्न ठीक है? तो उसमें मैंने तीनों मन्त्रियों के नाम दिये हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो आपका कहना है वह अनिश्चित है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने मन्त्रि-परिषद् के तीनों मन्त्रियों के नाम लिये हैं। तीनों ने विशेषाधिकार भंग किया है यह मैंने कहा है.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले शुक्रवार को इस सदन में माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने आश्वासन समिति का.....

श्री अध्यक्ष--

यह मामला दूसरा है। जो माननीय मालवीय जी ने उठाया उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान पीठासीन अधिकारी पद से दिये गये निर्णयों की ओर दिलाता हूं। जो संकलन

[श्री अध्यक्ष]

किये गये उसमें पेज 524 में 90—'मन्त्रि-परिषद् के नीति सम्बन्धी निर्णयों का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन परम्परा के विरुद्ध और अनुचित होते हुये भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता।'

29 फरवरी, 1960 को श्री गौरी शंकर राय ने "नया भारत" नामक समाचार-पत्र में "उत्तर प्रदेश में सहकारिता का विकास" शीर्षक से छापे गये लेख के बारे में तीन मन्त्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया।

श्री गौरी शंकर राय को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने कहा —

". . . . अब रह गयी एक महत्वपूर्ण बात यह कि कैबिनेट ने एक पालिसी डिसीजन लिया और उसके अनुसार कोई विधेयक बना तो उसके सम्बन्ध में विधेयक को सदन में आने के पहले पब्लिसिटी होना चाहिये या नहीं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि यह कर्तव्य कैबिनेट का है कि जो फैसला वहां पर हो इसको वह प्रकाशित करे या न करे। आमतौर पर जो कैबिनेट की नीति के सम्बन्ध में फैसले होते हैं, छपते रहते हैं कि इस प्रकार के फैसले हुए।"

आगे उन्होंने फिर कहा —

"इसी प्रकार के प्रश्न लोक सभा में और हाउस आफ कामन्स में भी उपस्थित किये गये थे, लोक सभा में Leakage of Bank Award Commision Report before presentation to the House के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था और उस सम्बन्ध में मैं माननीय मावलंकर जी ने जो व्यवस्था दी थी उसे पढ़ दूं तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की आसानी होगी'। तो वह बैंक एवार्ड के बारे में अंग्रेजी में है जिसका अनुवाद कर देता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

तो फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की प्रक्रिया क्या होगी ? वह किसी मन्त्रि-परिषद् की गोपनीयता को भंग करने के बारे में आये, तो प्रक्रिया क्या होगी ? विशेषाधिकार में नहीं आये, तो अन्य क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष—

संसदीय ढंग से अविश्वास का प्रस्ताव, गवर्नमेन्ट और जनता उसे समझती है। दिघे जी जो प्रश्न कर रहे हैं, वह मुझसे पूछने की बात नहीं है।

श्री मधुकर दिघे—

क्योंकि उसमें प्रक्रिया नहीं दी गई है, मालवीय जी ने जो प्रश्न उठाया है, यदि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है, यद्यपि यह उसके दायरे में नहीं आया, तो भी गोपनीयता भंग हुई। यदि आप निर्णय देते हैं कि इसको मन्त्रि-परिषद के पास जांच के लिये भेजे दे रहा हूं, तो यह उस तरह का केस नहीं है। या तो कोई जांच समिति बने या मन्त्रि-परिषद का कोई सदस्य यहां कहे कि हम कोई जांच बिठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में जो लोक सभा का अंग्रेजी में है, उसको मैं नहीं पढ़ता। हाउस आफ कामन्स का जो है इस पर, वह भी अंग्रेजी में है, उसको भी मैं नहीं पढ़ता, लेकिन उसमें

भी स्पीकर साहब ने कहा है—मैं बहुत साफ हूं अपने दिमाग में—अर्थात् आई ऐम क्लियर इन माई मायन्ड दैट दियर इज नो क्वेश्चन आफ प्रिविलेज। यह यूनाइटेड किंगडम का है। इस सदन की भी यह प्रथा रही है, जिसके अनुसार मन्त्रियों से औचित्य का, शिष्टाचार का नाता है कि वह सदन में कोई बयान पहले दें, न कि बाहर दें। यह शिष्टता का परिचायक होगा मन्त्रि-परिषद् के लिये कि बाहर वक्तव्य देने के बजाय, जब सत्र चलता है, मन्त्रिगण इसी सदन में कोई नीति विषयक मामला घोषित करें अर्थात् सदन को सूचित करें। यह औचित्य का प्रश्न होगा कि बाहर की अपेक्षा यहां पहले दें। यह एक अच्छी प्रथा हो गई है, यह अच्छा रिवाज हो गया है और इस सदन की यह मान्य परम्परा है, किन्तु इससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। यह न यूनाइटेड किंगडम में है न लोक सभा में यहां भी वह औचित्य का प्रश्न नही हो सकता है।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने जो प्रश्न उठाया है उसको भी इसके साथ ले लें।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं खारिज करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि कोई ऐसा बयान हो तो उसे पहले सदन में होना चाहिये। यद्यपि मुझको पता नहीं कि वह हुआ या नहीं। जो बाहर छपा है, वह माना नहीं जा सकता है कि वह मन्त्री द्वारा बयान हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्रीमन् 5-6 अखबारों में छपा है, मैंने कटिंग भी लगा दी है।

आश्वासन समिति के 40 वें प्रतिवेदन के एक अंश के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरी भी सुन लें, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है हमारी आश्वासन समिति के सम्बन्ध में कि उसका अपमान किया गया है इस मामले को जांच के लिये मैं उसके पास भेज दूंगा।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) —

आप सुन लें फिर कोई उस पर निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—

वह कहेंगे कि प्रिविलेज का केस बनता है तब हम उसको सुनेंगे ..... और अगर नहीं भी कहेंगे तब भी आप कहें बरबस कि अपमान है ही तब भी मैं सुनूंगा। आज कहने का प्रश्न नहीं है। अभी एक प्रश्न उठा। एक समिति के अवमान का प्रश्न है। उस समिति के पास हम भेज देंगे। सुनने का अवसर तब आयेगा जब वहां से समिति का....

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

समिति ने लिख दिया है।

श्री अध्यक्ष--

अभी इस पर हम नहीं जायेंगे।

माननीय सदस्य मधुकर दिघे और श्री सत्य प्रकाश मालवीय.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री अध्यक्ष--

अभी निर्णय नहीं दिया है। भेजा है। समिति को फिर जानकारी होनी चाहिये कि अवमान हुआ या नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 63 को पढ़।

"विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न का उठाया जाना --

किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से--

(1) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,
(2) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,
(3) याचिका द्वारा, अथवा
(4) समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा।"

समिति का प्रतिवेदन आपके सम्मुख है। इस प्रतिवेदन के पैरा 2 का अवलोकन करें। तदनुसार सचिव, नगरपालिका विभाग 16 फरवरी, 1973 को समिति के समक्ष उपस्थित हुये थे, परन्तु आश्वासन की पूर्ति उस समय तक भी नहीं हो सकी थी। अतः उन्हें निदेश दिया गया कि वह 5 दिन के अन्दर विस्तृत सूचना समिति को भेज दें। वांछित सूचना के लिये उन्हें दिनांक 23 अप्रैल, 1973, 21 जून, 1973, 14 अगस्त, 1973, तथा 1 अक्तूबर, 1973 को स्मरण भी कराया गया। समिति को अत्यन्त खेद है कि शासन के एक सर्वोच्च अधिकारी होते हुए भी उन्होंने समिति के आदेशों की उपेक्षा की और वांछित सचना 10 माह तक भी न भेजकर समिति का अपमान किया।" यह समिति के प्रतिवेदन के अन्तर्गत है। इसी सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा। मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के 18 वें एडीशन के पृष्ठ 135 को देखें। उसमें लिखा है, अंग्रेजी का उद्धरण है। अगर एतराज हो तो नहीं सुनाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

हिन्दी में कह दें तो बेहतर होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उसमें साफ लिखा है।

श्री अध्यक्ष--

जो हम तर्क देना चाहते हैं वही आप दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी --

अगर किसी कमेटी के आदेशों का कोई अधिकारी उल्लंघन करता है, तो सदन के अवमान का प्रश्न हो जाता है। और आगे पृष्ठ 136 पर देखें। उसमें लिखा हुआ

है---समिति के आदेशों के पालन में रुकावट डालना और विलम्ब करना। इसी तरह से कौल और शकधर में पृष्ठ 235 पर देखें। उसमें यह लिखा है---सदन या सदन की समिति के किसी आदेश का अगर कोई अधिकारी पालन नहीं करता है तो वह सदन के अवमान का दोषी है। पृष्ठ 236 के बीच में यही लिखा गया है। अगर कोई समिति के आदेशों का पालन नहीं करता है तो वह.....

श्री अध्यक्ष---

आपकी बात मैं हिन्दी में कर रहा हूं। समिति किसी व्यक्ति को समिति के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दे तो उसकी अवज्ञा, समिति के सामने कागजों अथवा दस्तावेजों को पेश करने की अवज्ञा, और तीसरे समिति के आदेशानुसार पुस्तकों अथवा कागजों को दिखाने से इनकार करना।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यह क्या व्यवस्था है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) ---

श्रीमन्, यह क्या व्यवस्था है। आप बोल रहे हैं और वह बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं यह समझता हूं कि माननीय काशीनाथ जी मेरी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि वह योग्यता पर जा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि आप यह सिद्ध कर रहे हैं कि बनता है या नहीं। मेरा यह दृष्टिकोण नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

सुनने का क्या सवाल है। किस बात की आप व्यवस्था चाहते हैं। मैं इसको अव्यवस्थित नहीं मानता हूं। बात यह है कि अभी मैंने कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने कहां माना है कि बनता है। आप इसके गुण पर जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आप काग्नीजेंस लेंगे या नहीं। मैं यह चाहता हूं कि पनिशमेन्ट देने का अधिकार समिति को नहीं है, पनिश तो सदन ही कर सकता है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि नियम 63 में आप इसके ऊपर काग्नीजेन्स ले सकते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष---

अभी माननीय नेगी जी को अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाता है। 15 दिन में अगर आप कोई चर्चा चाहते हैं तो चर्चा दी जाती है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

चर्चा का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष --

आप पहले सुनें कि मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने यह कैसे समझ लिया, कैसे आपको यह मालूम हो गया, प्रतिवेदन तो आपने अभी पढ़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक सवाल उठाया गया है। हो सकता है कि वह बने हो सकता है कि न बने। अभी समिति का प्रतिवेदन रखा गया। आप कैसे सारी बात का तुरन्त अध्ययन कर लेंगे। ऐसा प्रतिवेदन हो सकता है जिसको समझने की आवश्यकता हो। इस तरह से खड़े होकर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। हम अभी निर्णय नहीं दे रहे हैं। इस सदन का जो छोटा सदन (मिनी सदन) है, आश्वासन समिति, उसके पास हम भेज रहे हैं। यही कारण है कि आप नहीं समझ रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो इसमें आपकी व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था हमें देनी है। लेकिन अभी यह प्रश्न व्यवस्था का नहीं है। यह सवाल व्यवस्था का नहीं है, मैं नहीं कहता कि मैं इसको खारिज करता हूं, मैं नहीं कहता कि नहीं बनता है मैं नहीं कहता कि अवमान नहीं हुआ है, आप क्या चाहते हैं। हां, अगर आश्वासन समिति कहेगी कि अपमान नहीं है, तब भी आप बोलेंगे कि हां बनता है, क्योंकि आप सदन के सदस्य हैं। ऐसी बाध्यता क्या स्पीकर के लिये है कि तुरन्त ही वह निर्णय दे ? कौन नियम है ऐसा। मैं इसको पढ़ता हूं। इस पर निर्णय नहीं देता। आश्वासन समिति से पूछता हूं कि क्या बात है कौन सी ऐसी नजीर है जिसमें किसी अध्यक्ष को बाध्य किया जाय ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

आपने मेरी बात मान ली, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

आपके जो आपसी हैं, वह तो मामले चलते रहेंगे, आखिर में प्रतिपक्ष के आप हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, यह सब कसूर माननीय काशीनाथ जी का है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप कह ही सकते हैं।

खेलकूद मंत्री द्वारा प्रेस सम्मेलन में विभागीय योजनाओं को बताने के सम्बन्ध में संवैधानिक आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री मधुकर दिघे तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने एक संवैधानिक आपत्ति इस बात पर उठायी है कि दिनांक 12 मार्च, 1975 को माननीय वित्त मन्त्री द्वारा इस सदन में वर्ष 1975-76 का बजट पेश करने के पहले खेलकूद मन्त्री माननीय लोकपति त्रिपाठी ने 10 मार्च, 1975 को हुए एक प्रेस सम्मेलन में बयान देकर बजट की गोपनीयता को भंग किया है और इस प्रकार मन्त्रि-परिषद् के निर्णय और बजट की गोपनीयता का उल्लंघन करके संविधान की अवहेलना की है तथा मन्त्रि-परिषद् में बने रहने के वह हकदार नहीं है। माननीय सदस्यों ने संविधान की गरिमा बनाये रखने के लिये मेरे द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री

से आग्रह किया है कि माननीय श्री त्रिपाठी को मन्त्रि-परिषद् से हटा दिया जाय। यानी आपने मुझसे कहा है कि मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूं कि मन्त्रि-परिषद् से उन्हें हटा दिया जाय। बहरहाल यह निश्चित विषय है जो माननीय दिघे और माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने उठाया है। माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना के साथ दिनांक 11 मार्च, 1975 के "स्वतन्त्र भारत" को संलग्न किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खेलकूद मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी द्वारा यह कहा गया है कि --

(1) लखनऊ-कुर्सी रोड पर एक खेलकूद कालेज की स्थापना करने का निर्णय सरकार ने लिया है, जिसके लिये एक पृथक भवन बनाने की व्यवस्था है।

(2) सरकारी सेवाओं में १ प्रतिशत कोटा खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित करने का फैसला भी सरकार ने किया है।

माननीय वित्त मन्त्री ने दिनांक 12 मार्च, 1975 को सदन में वर्ष 1975-76 का बजट प्रस्तुत करते हुए अपने बजट भाषण में पृष्ठ 27 पर उपर्युक्त बातों के सम्बन्ध में इस प्रकार घोषणा की है--

(1) "यह निश्चय किया गया है कि जुलाई, 1975 से लखनऊ में क स्पोर्ट्स कालेज खोला जाय जिसमें कक्षा 9 से प्रारम्भ करके कक्षा 12 तक उदीयमान खिलाड़ियों को भर्ती किया जायगा।"

(2) "इसके अतिरिक्त आयोग के विचार क्षेत्र के बाहर वर्ग 3 के पदों के लिये अच्छे खिलाड़ियों के वास्ते 1 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये गये हैं और आयु सीमा में उन्हें 5 वर्ष की छूट दी गयी है।

अब ये दोनों माननीय मन्त्री ने जो यह कहा, माननीय वित्त मन्त्री जी ने और माननीय खेलकूद मन्त्री जी ने तो यह स्थिति आपके समक्ष रख दिया। अब माननीय दिघे जी आपको क्या कहना है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर जैसा मैंने कहा है कि 11 तारीख को अखबारों में यह छप गया कि खेलकूद के लिये एक स्कूल की स्थापना की जा रही है और निश्चित रूप से एक राशि भी बता दी गयी कि एक लाख रुपया इस वर्ष और 10 लाख रुपया आगे खर्च किया जायेगा। इसी प्रकार इलाहाबाद के म्यो हाल में खेलकूद काम्प्लेक्स खोलने की बात। मान्यवर म्यो हाल की चर्चा यहां पर हो चुकी है। ये दोनों बातें बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर कही हैं। मैं यह जानता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनेगा। मैंने जो प्रश्न उठाया है वह संवैधानिक है। संविधान की धारा 164(3) में है कि "किसी मन्त्री के अपने पद ग्रहण करने के पहिले राज्यपाल उससे तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रपत्रों के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शपथ करायेगा"। अनुसूची 3 में है कि "राज्य मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़ कर जबकि ऐसे मन्त्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट

[श्री मधुकर दिघे]

नहीं करूंगा"। मान्यवर, मैं आखिरी शब्दों पर जोर दे रहा हूं। इस सम्बन्ध में लोक सभा में भी प्रश्न उठा था 1956 में। उस सम्बन्ध में जो उदाहरण दिया गया है वह ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का है। 1916 में वाल्डविन की सरकार थी। दो मन्त्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। ए० जे० थामस और आल्फ्रड बट को ट्रिब्युनल के निर्णय में वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किये गये थे उनको मैं पढ़े देता हूं वह अंग्रेजी में हैं उसके बाद में मैं हिन्दी बता दूंगा---

"Tribunal was considering whether there had been a leakage of any kind whether purely accidental, careless or deliberate and the unanimous conclusion reached by the tribunal is that there was in fact an unauthorised disclosure".

चाहे जानबूझ कर किया गया हो या बिना जानकारी के लेकिन इस तरह का डिसक्लोजर हो जाये तो ऐसे प्रश्न के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में प्रश्न आया तो दो मन्त्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। मैंने भी मांग की है कि बजट आने के पहले जो उसमें प्राविजन किया गया था उसका डिसक्लोजर एक मन्त्री ने कर दिया। उन्हें मन्त्रि-परिषद् में एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। न तो नैतिकता की दृष्टि से और न कानून की दृष्टि से उन्हें मन्त्रि-परिषद् में रहना उचित नहीं है। तो इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कहें कि वे इस मामले को किसी ट्रिब्यूनल को देने को तैयार हैं या यह कहें कि चूंकि गोपनीयता को भंग किया गया है इसलिये मन्त्री को निकाल दिया गया है। यह प्रश्न प्रजातन्त्र के लिये जरूरी है जब किसी बजट आने के पहले गोपनीयता भंग होती है तो उसे जिसने गोपनीयता भंग की है और वह मन्त्री-परिषद का सदस्य है। एक क्षण भी मन्त्रि-परिषद् में रहना नहीं चाहिये। प्रजातन्त्र की बुनियाद को मजबूत करने की दृष्टि से और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि माननीय लोकपति को जिन्होंने 11 मार्च को अखबारों में बयान दिया कि म्यो हाल में हम एक काम्पलेक्स खोल रहे हैं जिसके बारे में यहां पर चर्चा हो चुकी है। ऐसा करके इन्होंने मन्त्रि-मन्डल की गोपनीयता को भंग किया है और बजट की गोपनीयता को भी भंग किया है। इसलिये उन्हें मन्त्रि-परिषद् से हटाया जाना चाहिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, बजट भाषण के पृष्ठ 27 पर दिया है कि "यह निश्चय किया गया है कि जुलाई, 1975 से लखनऊ में एक स्पोर्ट्स कालेज खोला जाय जिसमें कक्षा 9 से प्रारम्भ करके कक्षा 12 तक उदीयमान खिलाड़ियों को भर्ती किया जायगा।" इससे अगले पैरा में दिया हुआ है "म्यो हाल इलाहाबाद में एक खेल-कूद काम्पलेक्स स्थापित किया जा रहा है जहां पर बड़े पैमाने पर बैडमिन्टन, टेनिस, फुटबाल, बास्केटबाल तथा टेबुल टैनिस इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी और उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध भी किया जायगा"। ठीक इसके 2 दिन पूर्व माननीय लोकपति, मन्त्री ने समाचार-पत्र में अपना एक वक्तव्य देकर, शायद वाराणसी में, इसकी चर्चा की अत: मेरी समझ से यह स्पष्ट है कि माननीय लोकपति वर्तमान मन्त्रि-मन्डल के सदस्य रहने के काबिल नहीं हैं और वे या तो स्वयं त्याग-पत्र दे दें या माननीय मुख्य मन्त्री जी उनको तत्काल मन्त्रि-मन्डल से हटा दें?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय दिघे और माननीय मालवीय ने कहा कि गोपनीयता भंग हुई है। मैं नहीं जानता कि यह संवैधानिक है या नहीं लेकिन अगर वे साबित करते हैं तो यह संवैधानिक है और माननीय अध्यक्ष तत्काल माननीय मुख्य मन्त्री से कह सकते हैं कि इस मन्त्री ने गोपनीयता भंग की। लेकिन गोपनीयता भंग हुई, माननीय सदस्य को अख्तियार है कि वे साफतौर पर इस सदन को बतायें कि फलां मन्त्री ने बजट की गोपनीयता को भंग किया है और बजट के सदन में आने के पूर्व अपना वक्तव्य प्रेस में दिया। उसके लिये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है यह उनको यहां पर साबित करना पड़ेगा ?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

जहां तक साबित करने का प्रश्न है जैसा कि श्री .....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय लोकपति जी को इसकी प्रतिलिपि गई थी, और उन्होंने इसको इन्कार नहीं किया है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जैसा कि माननीय काशीनाथ जी ने कहा है कि इसकी विवेचना कर ली जाय। माननीय मालवीय और दिघे जी ने जो प्रश्न उठाये हैं, वे अपनी जगह पर संवैधानिक हैं। जब बजट की गोपनीयता भंग होती है, तो इस प्रकार के प्रश्न उठाये जा सकते हैं और उठाये भी हैं। श्रीमन्, आप इसकी छानबीन कर लें क्योंकि इस परम्परा को आगे तोड़ना ठीक न होगा। माननीय मुख्य मन्त्री को मौका मिला है। ये उनको अपने मन्त्रि मन्डल में शामिल नहीं करना चाहते थे। अब माननीय दिघे और माननीय मालवीय ने आपको मौका दिया है, अब आप अपनी मंशा पूरी कर लें।

श्री अध्यक्ष—

ये 2 प्रकार के बयान हैं। एक जो अखबारों में आया और एक जो माननीय मन्त्री ने कहा, वे मैंने आपके सामने रख दिये। इस प्रकार जहां तक इन 2 बातों का सम्बन्ध है इनमें कोई भिन्नता नहीं है। सारतः वे एक हैं। श्री लोकपति त्रिपाठी, खेल कूद मन्त्री द्वारा समाचार-पत्र में प्रकाशित बातों में एवं माननीय वित्त मन्त्री के कथन में सारत : कोई भिन्नता नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उपर्युक्त निर्णयों का बजट प्रस्तुत होने से पूर्व प्रकाशन, बजट के रहस्यों का उद्घाटन माना जायगा या नहीं, कौल-शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 667 पर कहा गया है कि "मन्त्री के बजट भाषण के दो भाग होते हैं, भाग 'क', जिसमें देश का सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण और भाग 'ख' जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें होती हैं"। दो भाग हैं, एक तो कराधान सम्बन्धी और दूसरा सामान्य नीति सम्बन्धी। इसके पश्चात् कौल और शकधर की किताब में पृष्ठ 669 पर यह भी लिखा हुआ है कि "सामान्य बजट को बहुत सावधानी पूर्वक गुप्त रखा जाता है, क्योंकि वित्त मन्त्री के भाषण के भाग 'ख' में कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें होती हैं"।

उक्त कथनों से यह प्रतीत होता है कि बजट की प्रस्थापनाओं के रहस्योद्घाटन से तात्पर्य बजट में वित्तीय प्रस्थापनाओं से अर्थात् कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनाओं से है न

[श्री अध्यक्ष]

कि बजट भाषण में कही गयी अन्य बातों से। इस बात की पुष्टि अब तक हाउस आफ कान्मस के 2 और लोक सभा के एक मामले से होती है जो माननीय दिघे जी ने कहा लेकिन पूरा उन्होंने रखा नहीं। इंग्लैन्ड में एक मामला 1936 में श्री थामस का उठा था जो कालोनीज के मन्त्री थे। हाउस आफ कामन्स की मई-जून, 1936 की डिबेट्स को देखने से यह प्रतीत होता है कि इस मामले में आरोप यह था कि बजट की गोपनीय प्रस्थापनाओं का रहस्योद्घाटन होने से लायड्स का स्पेक्युलेटिव व्यापार काफी बढ़ गया था। यह मामला हाउस आफ कामन्स में उठने पर इस पर जांच के लिये एक ट्रिब्युनल बिठाया गया था। श्री थामस ने ट्रिब्युनल की सार्वजनिक बैठक समाप्त होते ही मन्त्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया।

यह स्थिति है। मान लीजिये कि आप इसकी जांच भी करायें.....

श्री मधुकर दिघे--

एक और मन्त्री जो सम्बन्धित थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

इसी प्रकार दूसरा मामला 1947 में चान्सलर आफ दि एक्सचेकर श्री डाल्टन का हुआ था। अच्छा है कि कुछ न कुछ जानकारी हो जाती है सभी सदस्यों को। इस मामले में विज्ञापन कर की वापसी की सूचना सदन में बजट प्रस्तावों द्वारा घोषणा के पूर्व प्रेस को दी गई थी। फलस्वरूप श्री डाल्टन ने इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा में 1956 में वित्त मन्त्री श्री सी० डी० देशमुख के विरुद्ध भी बजट प्रस्तावों के रहस्योद्घाटन का मामला उठा था। इसमें भी कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों की साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियों को, बम्बई में बजट प्रस्तावों के प्रस्तुत होने से पूर्व वितरित किये जाने का आरोप लगाया गया था और जिसे स्वीकार भी किया गया था। इस मामले का उल्लेख कौल-शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 669-70 पर किया गया है, जिसके अनुसार प्रधान मन्त्री ने सभा को बताया कि उक्त रहस्योद्घाटन उक्त छापाखाने में हुआ है, जहां बजट छपता है, और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कुछ और व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करने की बात कही गयी थी। इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देते हुये लोक सभा के अध्यक्ष ने यह कहा था कि :

"हाउस आफ कामन्स में यह विचार प्रचलित है कि जब तक वित्तीय प्रस्थापना हाउस आफ कामन्स के सामने नहीं रखी जाती है, वे सरकारी रहस्य होती हैं.....यद्यपि बजट की प्रस्थापनाओं का रहस्योद्घाटन सभा के विशेषाधिकार का भंग न हो, संसद को इस बात की समुचित शक्ति प्राप्त है कि वह रहस्योद्घाटन के सम्बन्ध में किसी मन्त्री के आचरण की जांच समुचित प्रक्रिया के माध्यम से कर सकती है और यह भी पता लगा सकती है कि किन परिस्थितियों में रहस्योद्घाटन हुआ है .....। इस मामले में न तो यह आरोप लगाया गया है और न ही इस बात की ओर संकेत किया गया है कि वित्तीय प्रस्थापनाओं के अनधिकृत रूप से रहस्योद्घाटन के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री स्वयं किस प्रकार से जिम्मेदार हैं।"

उपर्युक्त मामलों से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बजट प्रस्थापनाओं के रहस्योद्घाटन का तात्पर्य बजट में उन वित्तीय प्रस्थापनाओं के रहस्योद्घाटन से है जिनका कराधान से सम्बन्ध है ।

श्री मधुकर दिघे--

एक निश्चित राशि एक लाख रुपये की बतायी थी, वही बात बजट में भी है।

श्री अध्यक्ष--

कराधान से सम्बन्धित है।

श्री मधुकर दिघे--

कराधान सम्बन्धी होती तब तो पूरे मन्त्रि-मन्डल को इस्तीफा देना पड़ता। जब एक लाख रुपये की बात कह दी है तो स्वयं उसमें कारधान शामिल हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

यह भी तो देखना होगा कि असावधानी या नासमझी में कह दिया है या क्या स्थिति है ? मन्त्री जी सभी बातों के तो जानकार नहीं होते। किसी झंझावात में किसी ने कोई प्रश्न मन्त्री जी से कर दिया और उन्होंने कुछ कह दिया तो वह चीज अलग है। सदाशयता या बदनीयती है, दूसरे को फायदा पहुंचता है, आदि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखना होगा।

श्री मधुकर दिघे--

यहां म्यो हाल के सम्बन्ध में चर्चा उठ चुकी है। उनका इन्टेरेस्ट इसमें इन्वाल्व है। वह हाई कोर्ट भी जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो तर्क आपने दिये हैं उनके अलावा यदि आप कुछ और तथ्य या तर्क देना चाहते हों तो आप लिख कर दे दें, मैं उनको भी देख कर अपना निर्णय तब दूंगा। यदि कोई नया तर्क नहीं है .....

श्री कालीचरण यादव (जिला गाजीपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का, एक विशेषाधिकार का प्रश्न चल रहा है, अभी मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री कालीचरण यादव--

मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन का आधा समय तो आप ही स्वयं ले लेते हैं, आधा समय ही सदस्यों के लिये बचता है .....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। इस तरह से कहना अध्यक्ष का अपमान है। आपको यह नहीं कहना चाहिये। जो व्यवहार आपका है यह गलत है। आपको लज्जा का अनुभव होना चाहिये। यह अध्यक्ष पर आक्षेप है। आप आक्षेप कर रहे हैं। आपको स्वयं पता नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। आप बैठें।

एक सदस्य--

वे होश में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

हमको क्या पता कि होश में हैं या नहीं।

मैं यह कह रहा था दिघे जी, यदि आपके पास कोई अन्य तर्क हों तो आप दे सकते हैं लिखकर कि जानबूझ कर, किसी को लाभ पहुंचाने के लिये यह किया, तो हम उसको देख लेंगे और बाद में फैसला देंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत मेरे पास 5 सूचनायें आयी हैं। इनमें से एक तो माननीय श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री जमुना प्रसाद बोस, श्री जगन्नाथ सिंह परमार और श्री देव कुमार यादव का है--"बांदा जिले में आंधी तूफान तथा ओला-वृष्टि से रबी की फसल को क्षति"।

तो इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य होने वाला है उसमें बांदा जिला भी जोड़ दिया जायेगा और आपके नाम भी जोड़ दिये जायेंगे। यह स्वीकार किया गया।

दूसरा है श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री श्रीनारायण और श्री आशाराम यादव, का जो इस प्रकार है--"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर पुलिस द्वारा तथाकथित गुन्डागर्दी एवं छात्रावास खाली करने की घटना।"

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। विस्तार से तो श्री ओम प्रकाश सिंह जी इस पर प्रकाश डालेंगे। हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थिति इस समय बड़ी भयंकर है। शान्ति और व्यवस्था के नाम पर वहां पुलिस बुला ली गयी है। कारण स्पष्ट है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी में जब यूनियन का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार न जीत सका और विरोध पक्ष द्वारा समर्थित उम्मीदवार जीत गया। इससे सरकारी पक्ष के उम्मीदवारों के दिलों पर सांप लोट गया और उन सब ने वाइस चान्सलर के साथ मिल कर इस तरह की कोशिश की कि श्री जय प्रकाश की मीटिंग जो वहां होने वाली है वह किसी तरह से वहां से हट जाय और इसलिये इस तरह की झूठी स्थिति उत्पन्न की गयी। झूठे आरोप लगाये गये कि वहां शान्ति-व्यवस्था को खतरा है। कुछ लोगों ने कहा भी कि इनकी यह गमला राजनीति है। कुछ गमले शायद इन्हीं के किसी आदमी ने तोड़ दिया और शायद एक खिड़की का शीशा भी टूट गया था। पहले से उनकी पुलिस से सांठ-गांठ थी और शायद प्रान्तीय सरकार का इशारा था इसी आधार पर वाइस चान्सलर ने कहा कि हजारों आदमियों ने हमारे घर पर हमला कर दिया जिससे इतना हमारा सामान टूट गया, हमारे यहां डकैती पड़ी। ये सारी बातें झूठ लिख कर उन्होंने अधिकारियों के पास भेज दीं।

मेरी सूचना है कि यह प्रान्तीय सरकार की और उनकी सांठ-गांठ थी जिससे श्री जय प्रकाश जी की मीटिंग वहां न होने पावे। इसलिये इस प्रकार के झूठे आरोप लगाये गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां के विद्यार्थी यूनियन के सेक्रेटरी ने बतलाया कि आरोप बिलकुल बेसलेस और गलत हैं। आज, गांडीव, जनवार्ता आदि अखबारों में इस सम्बन्ध में जो बयान निकले हैं उनको आप पढ़ें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। तमाम यूनिवर्सिटी बन्द है, होस्टल खाली हो चुके हैं। एक अजीब अशान्ति का वातावरण वहां पर व्याप्त है। चारों तरफ विद्यार्थी खाली घूम रहे हैं। परीक्षा का समय है। इस समय सरकार की तरफ से विद्यार्थियों पर यह चोट की गयी है। राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर इस सरकार ने और वहां के वाइस चान्सलर ने मिल कर यह काम किया है। मैं जानता हूं कि यह यूनिवर्सिटी केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। उसके अन्दर की कोई चीज मैं नहीं कहना चाहता लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि क्या यह शोभा की बात है कि हमारी प्रान्तीय सरकार को इस आधार पर कि वहां शान्ति-व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें इन्टरफियर करना पड़े? मेनोवरिंग करके, षड़यन्त्र करके जो तथ्य है उसको छिपाया गया है और विद्यार्थियों पर बिलकुल गलत आरोप लगा करके उनको मारा पीटा गया है। इसलिये मेरा कहना है कि आप इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें ताकि इस पर अलग से बहस हो।

मान्यवर, आप जवाब दे सकते हैं कि बजट के ऊपर चर्चा चल रही है, इसमें आप उन बातों को कह सकते हैं लेकिन हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसमें इन्टरेस्टेड हो उसी पर प्रकाश डाले और दूसरे विषय पर कुछ न कह सके। सरकार का कर्त्तव्य है कि यूनिवर्सिटी को तुरन्त खोलवाये और विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर दे। इन सब के बारे में इस सदन में पूरी तरह से डिस्कशन हो जाय, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्वविद्यालय बन्द होने से लड़के बेहाल घूम रहे हैं। इसलिये मैं आपसे मान्यवर, बार-बार कह रहा हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

जैसा आपने अभी कहा कि यह केन्द्रीय सरकार का विषय है . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

चूंकि मैंने कहा, मान्यवर, वहां शान्ति और व्यवस्था के नाम पर जो हुआ है वह उचित नहीं है। मान्यवर, सरकार इसमें शामिल है, पुलिस इसमें शामिल है, सी० आई० डी० इसमें शामिल है। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार खोलने का काम करे। यह तो केन्द्र का विषय है, लेकिन यह सरकार केन्द्र से स्थिति को बता सकती है। मान्यवर, मेरा तो कहना है कि झूठे आरोप लगाकर लड़कों का भविष्य न बर्बाद किया जाय। इसलिये मैं कह रहा हूं कि मान्यवर, इसको स्वीकार करें।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जैसे हमारे संतुलित सदस्य जब किसी बात को कहें तो उसकी जानकारी उनके पास पूरी न हो तो बड़ा कष्ट होता है। मैं इस बात को सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर या किसी भी अधिकारी के साथ किसी भी प्रकार की कोई वार्ता इस सम्बन्ध में न तो की है और न किसी मन्त्री ने या किसी अधिकारी ने जय प्रकाश नारायण जी के काम में कोई दखल डाला है। उत्तर प्रदेश में जय प्रकाश नारायण जी ने घूमा है और जगह-जगह पर वह गये हैं लेकिन किसी भी

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

एक जगह पर न तो हमारे दल ने और न सरकार ने कोई रुकावट का भाव उनके लिये प्रकट किया है। क्योंकि हम प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं और मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सभाओं पर माधव बाबू के दल के लोगों ने चाहे पत्थर फेंके हों पर हमने किसी की सभा हुयी है तो उसमें कतई, तनिक भी बाधा नहीं डाली है। मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र का पहला लक्षण भाषण की स्वतन्त्रता और खुली बहस है। वह कहते हैं कि बनारस में 2 लाख की मीटिंग हुयी। 2 लाख थे या कितने थे यह मैं कह नहीं सकता। वह कहते हैं कि 2 लाख की हुयी। तब 5 हजार की मीटिंग से हम क्यों डरने वाले थे। इसलिये स्वयं उन्हीं के भाषण में हमारी सफाई मौजूद है। मान्यवर, पहली बात यह है कि सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में और न सरकार ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे विश्वविद्यालय बन्द हो।

दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वाइस चान्सलर ने जब सरकार के जो स्थानीय अधिकारी हैं, उनसे न्याय और व्यवस्था की मांग की तो उन्होंने सहायता दी।

मैं कहता हूं कि जब भी कोई हमसे .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जानबूझ कर ऐसा किया गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

मैं कहता हूं माधव बाबू आपकी बुद्धि का दिवाला हो गया है। क्षमा कीजियेगा। जिस दिन से आप बस्ती से चुन कर आये हैं उस दिन के आपकी बुद्धि का दिवाला हो गया है। हमारी बदकिस्मती है, आप लांछन लगा रहे हैं। आदमी के ईमान पर भरोसा करने की बात भी होती है .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपसे सूचना मांगी गयी आप नाराज हो गये। यानी आपसे कहा न जाय ..

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

मैं स्वयं देखूंगा, कि जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गड़बड़ी कराना चाहते हैं और मैं देखूंगा कि कैसे गड़बड़ी होती है ....

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, जो कुछ यह कह रहे हैं यह बिल्कुल गलत है ....

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

यह धमकी देना चाहते हैं ....

(कई सदस्य खड़े होकर साथ-साथ बोलने लगे)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

अध्यक्ष जी, मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कोई वाइस चान्सलर हमसे सहयोग मांगेगा, न्याय और व्यवस्था के नाम पर हमारी सहायता मांगेगा तो

सहायता दी जायगी। हमने इसके पहले भी न्याय और व्यवस्था के लिये सहायता मांगने पर सहायता दी है

(शोरगुल)

उस सहायता को देने का हमारा उत्तरदायित्व है। एक बात मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि न्याय और व्यवस्था को कायम रखने में हम हिचकिचाने वाले नहीं हैं। न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिये हम आजाद हैं। मैं उसके लिये अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से प्रजा के सामने, जनता के सामने, अपनी बातों को न्याय के साथ रखूंगा। मैं एक बात और साफ कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार का इस घटना से न तो सम्बन्ध था और न सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जब मुख्य मन्त्री जी अपनी बात कह रहे हैं तो आप लोगों को चाहिये कि जब वह कह चुकें तब कहें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हमारी बात सुनकर बहुत आवेश में कुछ ऐसी बातें कह दीं जिनको कि वह न कहते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि बस्ती के लोगों ने मुझे भेजकर बुद्धि का दिवाला कर दिया है। लेकिन मैं कहूं कि आपको चुनकर भेजा गया तो आपने पूरे प्रदेश का दिवाला कर दिया है। तो उसका जवाब आपके पास नहीं है। दूसरी बात जो सूचना मुझे मिली उसके आधार पर मैंने उनसे कहा तो जनसंघ और आर० एस० एस० की बात कह कर कौनसी नई बात आपने कह दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया कि कम्युनिस्ट हैं, आपने मालवीय जी को भी कम्युनिस्ट कह दिया। तो आपकी बात को हम कैसे वजन दे सकते हैं कि जनसंघ और आर० एस० एस० को मिटा देंगे। इसकी चिन्ता नहीं है। आपने कहा कि हमारा कोई षड्यन्त्र नहीं था। तो इसमें सरकार का हाथ था। विद्यार्थियों पर आधे से ज्यादा ऐसा खर्चा होता है कि विद्यार्थी हुड़दंग न मचायें। उनको गुण्डा एक्ट की नोटिस दी जाती हैं। मुझे टेली फोन से सूचना मिली है और वैसे भी सूचना मिली है इसलिये मैं पुन: गर्व के साथ दोहराता हूं कि इस सरकार का इसमें षड्यन्त्र है कि विद्यार्थियों को मारो, गुंडा ऐक्ट में उनको बन्द करो और यूनिवर्सिटी बन्द करो।

प्रजातन्त्र आपके राज्य में कहां है? प्रजातन्त्र की हत्या आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। इसके फैसले के लिये एक दिन इस पर ही बहस कर लें। मैं इसलिये इसको नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो यह कहना चाहता था कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये कार्य-स्थगन का प्रस्ताव हमारा स्वीकार करें। सरकार की बड़ी संख्या है, सरकार के पास पुलिस है और हमारे पास केवल आवाज है। यह बात आप न निकालते यदि आपके पास पुलिस न होती। आप आइडियल फार्म से दमन नहीं कर सकते हैं लेकिन शक्ति से दमन करेंगे। तो बहुगुणा जी के इस बात का हमसे बदला लेंगे इसकी चिन्ता नहीं है। लेकिन आपने यह बात कही इसलिये मुझे दुख है। हमारे माननीय सदस्य यहां यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि जनतन्त्र का यहां गला घोंटा जा रहा है। चुने हुये विद्यार्थी किसी को बुलाकर भाषण करवाना चाहते हैं तो ला एन्ड आर्डर का सवाल खड़ा करके पुलिस या फौज बुला ली जाती है और छात्रों को होस्टल से निकाल दिया जाता है। इस पर चर्चा करने का अवसर दें। बजट के समय इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री सत्यपाल मलिक--

मैंने एक आपत्ति उठायी थी। मुख्य मन्त्री का जो कथन है वह किसी भी दल के लिये अलोकतन्त्रीय कथन है। आप कार्यवाही को निकलवाकर देखें। जो बात उन्होंने कही और जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है उनको कार्यवाही से निकलवा दें। यह जो दिमाग आज बोला है वही दिमाग चुने हुये छात्र नेता और विद्यार्थियों के ऊपर गुन्डा ऐक्ट का प्रयोग कर दमन कर रहा है। किसी भी पार्टी के प्रति इस तरह के शब्द प्रयोग करना गलत है। इसी दिमाग ने एक पोस्टर निकलवाया है जिसमें लिखा हुआ है कि पांच साल तक आन्दोलन नहीं होने देंगे। आन्दोलन करने का हमें हक हासिल है। मुझे आपत्ति है उनके सेन्टेन्स पर। जो उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुख है और आप उनसे कहें कि वह अपने शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष--

इसको देख लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

आप मुझे भी मौका दें और हमारी बात सुन लें। मुख्य मन्त्री जी ऊटपटांग बातें कहें तो हम भी अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप के नेता को तो सुन लिया।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मेरा भी नाम कार्य-स्थगन के प्रस्ताव में है। मुझे भी सुनने का मौका दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इनको भी कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

तो क्या आप चाहते हैं कि जितनों के भी नोटिस पर नाम हैं उनको मौका दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

वह स्थानीय आदमी हैं। मुमकिन है इनको ज्यादा मालूम हो।

श्री अध्यक्ष--

तब तो बहस यहीं छिड़ जायगी।

*श्री ओम प्रकाश सिंह--

13 तारीख को श्री शतरुद्ध प्रकाश ने कार्य-स्थगन दिया था तो हमने सदन को आगाह किया था कि एक नियोजित योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत कोई न कोई नया षड्यन्त्र यूनिवर्सिटी को बन्द करने के लिये किया जा रहा है जिससे जय प्रकाश जी का भाषण यूनीवर्सिटी कैम्पस के अन्दर न होने पाये। 13 तारीख को हमने आगाह किया था कि कांग्रेस समर्थित गुन्डे छात्रों को धमका रहे हैं कि क्यों नहीं वोट दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस दिन शपथ समारोह हुआ उस दिन छात्र नेता जो कि वहां के छात्रों द्वारा चुना गया वह यह कहता है कि आज से विश्वविद्यालय के अधिकारियों की गुन्डागीरी नहीं चलेगी, सारी अनियमिततायें बन्द होंगी, अगर इतने मात्र से कोई अधिकारी निकाला जा सकता है तो क्या प्रजातन्त्र में इतना भी अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। पिछले कुछ महीने में 500 लड़के निष्कासित किये गये हैं। इतना ही नहीं जो वहां के अखबार हैं उन्होंने भी विश्वविद्यालय और वाइस चान्सलर के स्टेटमेंट को गलत ठहराया है। जिन्होंने तथ्य देखे हैं उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में मांग करने गये कि जिनका निष्कासन किया है उसे रद्द करें। दूसरे दिन जब पत्रकार वहां गये तो कुछ गमले जरूर टूटे हुये पाये। लेकिन यह जो बयान निकला कि सामान लूट लिया और शीशे तोड़ दिये, कितना गलत है। जो अध्यक्ष निर्वाचित है इतना ही नहीं मान्यवर, अध्यक्ष पद के लिये जो छात्र थे, उसको पहले ही निकाल दिया गया। इसका क्या कारण था, क्या भाव था इसके पीछे? केवल भाव यह प्रगट करता है कि वह चुनाव न लड़ सके।

दूसरी चीज मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने आर0 एस0 एस0 और जनसंघ का नाम लिया। सन् 1947 से लेकर आज तक इस बात की कोशिश की जा रही है कि इसको उखाड़ फेंके और कुचल दें, मान्यवर मैं चेलेंज करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी पूरी शक्ति लगा दें जनसंघ और आर0 एस0 एस0 को कुचलने की, लेकिन यह नहीं कुचल सकते क्योंकि इसकी जड़े काफी गहरी हैं। मान्यवर, वह यह भी नहीं सिद्ध कर सकते कि जितने साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं उनके पीछे संघ और जनसंघ का हाथ था। आप एक समिति बैठा दीजिये जिसमें उनके भी सदस्य रहें और विरोध पक्ष के, लेकिन वह सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सी समिति बैठाई गई लेकिन आज तक यह नहीं कहा किसी समिति ने कि आर0 एस0 एस0 और जनसंघ का हाथ है। मान्यवर, यह एक अहम मसला है। आज वी0 सी0 के रवैये के कारण समय और धन की हानि हो रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर एक महीने के लिये यूनीवर्सिटी को बन्द कर देना और शासन का उसमें सहयोग देना उचित नहीं है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इसी सवाल को लेकर मैंने भी कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है। काशी विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ जिसके अध्यक्ष पद के लिये श्री मोहन प्रकाश जी ने चुनाव लड़ा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव के पहले ही वी0 सी0 ने उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन अदालत से स्टे आर्डर लाने के कारण ऐसा न हो सका और चुनाव लड़ा। मान्यवर, इसी सदन में इस बात की चर्चा थी कि श्री जय प्रकाश जी छात्र संघ का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मान्यवर, जब अन्तर्राष्ट्रीय छात्र संघ का सम्मेलन हो रहा था तो वी0 सी0 ने सत्ता पक्ष के छात्र नेताओं का सम्मेलन बुलाया था। इस तरह से यह बात सिद्ध होती है कि वहां का वी0 सी0 सत्ता पक्ष के छात्र नेताओं का पक्षपात एवम् विरोध पक्ष के छात्र नेताओं को निकालने के लिये कटिबद्ध हैं ताकि श्री जय प्रकाश जी छात्र संघ का उदघाटन न कर सकें और ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा कर दिया है जिससे सदन का भी ध्यान आकर्षित हुआ। मेरी यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

निश्चित सूचना है कि जब शपथ समारोह हो रहा था तो जो महामंत्री पद के लिये प्रत्याशी थे उनको भी निष्कासित करने का आदेश कर दिया गया। उन्होंने क्या कहा, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नौजवान छात्र नेता हैं, जोश भी है, हो सकता है कि कुछ असंसदीय बातें कह दी गई हों जो नहीं कहना चाहिये। इसका परिणाम तो यह नहीं होना चाहिये कि यूनीवर्सिटी को बन्द कर दिया जाय। हम मानते हैं कि उन्हें असंसदीय शब्दों का और अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, लेकिन एक व्यक्ति के पीछे 10 हजार छात्रों के जीवन के सामने आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया और यूनीवर्सिटी को बन्द कर दिया तथा यूनीवर्सिटी को पुलिस के हवाले कर दिया। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सारी बातों को एक तरफ छोड़ कर वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करें। माना कि यह केन्द्र का विषय है, लेकिन 10 हजार जो छात्र हैं वह इस प्रदेश के रहने वाले हैं। अतः इस सदन का, सरकार का, मुख्य मंत्री का यह दायित्व है कि ऐसी परिस्थिति पैदा करें ताकि लड़कों की परीक्षा हो, विश्वविद्यालय से पुलिस हटा ली जाय और जिन छात्र-नेताओं के नाम काट दिये गये हैं, जिनको निकाला गया है उनको पढ़ने का अवसर दिया जाय।

मान्यवर, सारे प्रदेश में ऐसा लगता है कि सरकार इस प्रकार का एक आन्दोलन चला रही है कि छात्र युवा वर्ग जो वर्तमान समाज के प्रति विद्रोहात्मक भावना रखता है ऐसे समाज को और प्रचलित शिक्षा पद्धति को बदलने की अभिलाषा रखता है उसको यह सरकार प्रतिषोध की भावना से दमन कर रही है। लखनऊ, गोरखपुर तथा बनारस विश्वविद्यालयों में यही हुआ। लिहाजा मेरा निवेदन है कि यह एक अहम सवाल है और मेरा पुनः निवेदन है कि जो प्रस्ताव हरि केवल जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने विचार के लिये रखा है उसे आप स्वीकार करें।

श्री सत्यपाल मलिक---

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और आपकी इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने छात्र आन्दोलन के सिलसिले में कहा कि सारे सूबे में छुटपुट छात्र आन्दोलन हो रहे हैं। उसे ला ऐंड आर्डर की बिगड़ती स्थिति बतला कर तथा आर0 एस0 एस0 तथा जनसंघ की साजिश बतला कर जिस तरह से दबाने की बात मुख्य मंत्री महोदय ने अभी कही उससे मेरे दिल पर यह असर पैदा हुआ कि यह सरकार छात्र आन्दोलन को जो सिर्फ आर0 एस0 एस0 अथवा जनसंघ के हाथ में नहीं है बल्कि राजनैतिक तथा गैर राजनैतिक सभी समूहों के युवा वर्ग के नेतृत्व में चलाया जा रहा है उसे कुचल देने की धमकी दे रही है और उसके लिये गुण्डा ऐक्ट लगाये हुए है जिस टोन में उन्होंने यह बात कही है उसके लिये मुख्य मंत्री महोदय माफी मांगें और यह व्यवस्था दें आप कि यह उचित है या नहीं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया गया है उसके दो पहलू हैं। एक तो काशी विश्वविद्यालय तथा उनकी व्यवस्था से सम्बन्धित है। उसका इस सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस बात का उत्तर देने के लिये मैं खड़ा हुआ था वह सिर्फ एक बात थी कि माननीय नेता जनसंघ ने यह कहा था कि सरकार ने साजिश की है और सरकार ने साजिश करके छात्र उपद्रव के नाम पर बनारस विश्वविद्यालय को बन्द करने के लिये पुलिस को अन्दर भेजा। यह लांछन उनका हम पर था और उनका यह कहना था कि उनको यह सूचना

है। हमारा कहना यह था कि सूचना का आधार क्या है? जब कोई आधार वह नहीं बतला सके तो उत्तर में मैंने यह कहा कि हमारी जानकारी है कि आर0 एस0एस0 तथा जनसंघ ऐसा कर रहे हैं ताकि न्याय व्यवस्था में गड़बड़ी हो। उन्होंने जब अपनी जानकारी दी तो हमारी जो जानकारी थी उसे सदन के सामने रखना कोई औचित्य के विपरीत नहीं था। फिर इस उपद्रव की घटना के पहले वाइस चांसलर ने न तो सरकार के किसी मंत्री या सचिव से अथवा स्थानीय अधिकारी से कोई परामर्श लिया था। हां उन्होंने खबर दी कि कहजार लड़कों ने बंगले को घेर लिया है तोड़-फोड़ शुरू कर दी है, पुलिस अन्दर नहीं आती है तो जान-माल का खतरा है। यह जरूर है अगर पूरा कांड हो जाय तब पुलिस अन्दर जाय यह व्यवस्था यह सदन दे दे तो दूसरी बात है। वाइस चांसलर मार दिये जांय, हत्या कर दी जाय तभी न्याय व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो सकेगा और तभी पुलिस अन्दर जा सकेगी, अगर सदन यह व्यवस्था दे दे तब तो बात अलग है वर्ना साधारण नियम यह है कि अगर वाइस चांसलर बुलायेंगे तो पुलिस कैम्पस में जायगी और अगर नहीं बुलायेंगे तो कैम्पस की जिम्मेदारी उनकी होगी। मैं अपने नौजवान दोस्त से कहूंगा कि वाइस चांसलर्स की मीटिंग में मैंने कहा था कि पुलिस को कैम्पस में भेजने में इस सरकार को तकलीफ होती है। अगर वह मोरेलिटी से विश्व-विद्यालय को नहीं चला सकते तो पुलिस के सहारे से यूनीवर्सिटी चलाने में यह सरकार विश्वास नहीं रखती। लेकिन शान्ति व्यवस्था के खातिर उचित इच्छा के बावजूद अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हमें खेद के साथ दखल देना पड़ता है।

दूसरी बात माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि कांग्रेस गुण्डा ऐक्ट, मुझे नहीं मालूम कि मैं भी अगर उस शब्द को दुहरा दूं तो कितना गुस्सा उनको लगेगा। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसके साथ गुण्डे हैं और किसके साथ नहीं हैं, यह तो प्रदेश की जनता समझेगी और विद्यार्थीगण समझेंगे। यही कारण है कि इतने बड़े सूबे में दो-चार केन्द्रों में कभी-कभी विद्यार्थियों का एक छोटा सेक्शन जो गलत रास्ते पर लग जाता है, फिर अपने रास्ते पर वापस आ जाता है। मुझे खुद अफसोस है कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी बन्द हुई। मुझे यह कहने में तकलीफ नहीं है, बदकिस्मती से बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के जो इम्तिहान होते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। उस पर यदि आप विचार कभी करें तो देखेंगे कि वहां पर इम्तिहान दिसम्बर के महीने तक चलते हैं। कब से वहां पर एकेडेमिक सेशन शुरू होता है और कब तक चलता है, इसे देखकर बड़ा दुख होता है। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वहां पर शांति का वातावरण लौटे। सभी दल चाहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार न हो। सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय ओझा जी ने जो राय दी है, उस राय को कार्यान्वित करने में हम सभी लोगों को जोर लगाना पड़ेगा।

मैं सरकार की तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी ख्वाहिश होगी और खुशी होगी कि यूनिवर्सिटी जरूरत से ज्यादा बन्द न रहे। जैसे ही वहां के वाइस चांसलर हमें कहेंगे कि बाहर हो जाओ पुलिस एक क्षण भी वहां नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी में पुलिस का हस्तक्षेप करने में हमें खुशी नहीं होती है। यह कहना कि हमारे सारे विद्यार्थी समाज से दुश्मनी है, इससे ज्यादा सत्य से परे कोई बात नहीं हो सकती है। मैं प्रदेश के विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि इसी कारण साधारणतया 90 फीसदी छात्रों ने पढ़ने-लिखने में दिलचस्पी दिखाई है। 90 फीसदी जगहों में शांति भी रही है। कुछ जगहों में एक छोटे वर्ग ने अशांति और संकट का वातावरण पैदा किया है। इससे सरकार चिंतित है। मुझे खुशी है कि इस सदन के अन्य दल भी कैम्पस में शांति व्यवस्था रखने के लिये जागरूक हैं।

श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, मैंने आपसे व्यवस्था चाही थी कि मुख्य मंत्री जी ने जो धमकी दी थी. . . .

श्री अध्यक्ष--

शासन के किसी व्यक्ति के जवाब देने की शैली में फर्क हो सकता है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो असंसदीय शब्द हों वह निकाले जाते हैं। गरमी उधर भी होती है, इधर भी होती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने कोई धमकी नहीं दी है। मैं पुनः साफ करना चाहता हूं। माननीय मलिक जी प्रोसीडिंग्स को उठाकर देख लें। उनकी सूचना थी कि मैंने साजिश की है और मेरी सूचना है कि यह आर० एस० एस० और जनसंघ ने कराया है। अपनी-अपनी सूचना सदन में दी गई है। मैंने यह जरूर कहा है कि शांति व्यवस्था बनाये रखने में काफी जोर लगायेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी कि सारी की सारी चीज देखेंगे और जो असंसदीय होगा वह निकाल दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब आर० एस० एस० और जनसंघ का नाम आता है तो इनका मस्तिष्क तिलमिला जाता है। इसलिये उन्होंने हमारे लिये जो दिवालिया कहा है और हमने उनके लिये दिवालिया कहा है, इसको न निकालें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि कोई भी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को रखने का अधिकार उस दल के माननीय सदस्यों को और इस दल के माननीय सदस्यों को, दोनों को मिला है। उस पर निर्णय देना आपका डिस-क्रीशन है। तो क्या इस सदन के लिये यह सही परम्परा होगी, आपकी राय में, कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के नाम पर किसी भी तरीके से शासक दल को या अन्य दलों को बदनाम करने की चेष्टा की जाय। क्या आपकी राय में यह उचित होगा कि जो लोग इस तरह के कार्य करें और वही यहां पर कार्य-स्थगन के नाम से फिर यहां वह तसवीर रखें और इस सदन का समय नष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर हम क्या व्यवस्था दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह कहना कि यह लोग करते है और फिर यहां कामरोको प्रस्ताव रखते हैं यह कहना बेइमानी की बात है। माननीय सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, क्या आप निर्णय दे रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उन्होंने आक्षेप लगाया है कि जो लोग ऐसा करते हैं वही यहां पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ईश्वरी सिंह ने जो प्रश्न उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इससे अव्यवस्था ज्यादा कामय होती है। व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है। लोकतंत्र में आप प्रश्न उठायेंगे तो उसका जवाब देंगे। मान लीजिये कोई बुरी बात कही जाती है तो उसका आप खंडन भी करते हैं। इसलिये दोनों पक्षों को अवसर मिलना चाहिये, मिलता रहता है। यह अच्छी पद्धति है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

एक जरा सी बात इसी संबंध में कहना चाहता हूं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सत्यपाल मलिक ने ही सवाल उठाया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने धमकी दी जो उन्हें शोभा नहीं देता। फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उन्होंने धमकी नहीं दी। खैर जब उन्होंने कह दिया तो बात खतम हो गई। लेकिन आपने उस पर फरमाया कि कभी-कभी विरोधी पक्ष की तरफ से भी ऐसी बातें कही जाती हैं। इसलिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जीने कह दिया तो उसको ज्यादा न लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह नहीं कहा। यह कहा कि बहुत से समय पर दोनों तरफ से गर्मी-गर्मी हो जाती है और होना चाहिये। गर्मा-गर्मी उधर से भी और इधर से भी होती है। आप जब कुछ कहते हैं तो उसके ऊपर दूसरी तरफ से भी कहा जाता है।

चौधरी चरण सिंह--

इधर से गर्मीगर्मा इसलिए होती है कि हम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते है और सिर्फ यह कहते हैं कि हम बर्दास्त नहीं करेंगे। लेकिन आपकी गर्मी के पीछे अभिमान है अपनी ताकत का। तो इन दोनों में फर्क है। जब वह कहते हैं तो वह धमकी हो जाती है। इसलिये मैं आगे के लिये कहना चाहता हूं कि दोनों को आप इक्वेट न करें। इस वक्त तो उन्होंने कह दिया कि धमकी नहीं है, लेकिन भविष्य के लिये निवेदन करना है कि दोनों को इक्वेट न करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है तो उन्होंने भी बहुत बोझ उठाया है। मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि न्याय और व्यवस्था कायम रहे। अगर यह कहने में कोई उसे धमकी माने तो यह लाचारी की बात होगी।

चौधरी चरण सिंह--

कुछ ज्यादा कहा। मैं तो नौजवान चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि उन्हें बड़ा भार निभाना है इसलिये विनयशील होना चाहिये। घमंड से काम नहीं चलेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरे हाथ में तो घमंड कभी पड़ा ही, नहीं वह तो हमेशा दूसरों के हिस्से की चीज रही है।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसे आप स्वीकार कर लें 14 हजार लड़कों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

जैसा अभी चौधरी साहब ने अपेक्षा की, अनादि काल से मानव इतिहास के निर्माण के तीन बड़े-बड़े उपादान रहे हैं। एक बल, वह चाहे शारीरिक बल, हथियार का बल तथा आत्मा का बल या सत्याग्रह का बल और एक कानून का बल हो। हथियारों का बल और हथियारों के विरुद्ध आवाज उठाने का बल एक दूसरे उदाहरण और तीसरा प्रचार का बल। इनसे दुनियां का इतिहास बदला गया है। इस तरह से मैं देखता हूं कि विरोधी दल और शासक दल इन दोनों के अलग-अलग आयाम है। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है कि इधर का उधर हो जाता है और उधर का इधर हो जाता है।

अब माननीय सत्यप्रकाश मालवीय का, प्रधान मंत्री के इलाहाबाद आगमन के अवसर पर तथाकथित विरोधी दल के सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में दिया है। यह बहुत ही निश्चित नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

18, 19 व 20 मार्च को एक चुनाव याचिका के संबंध में प्रधान मंत्री की गवाही होने जा रही है, उसमें उनका हाईकोर्ट में बयान होने जा रहा है। उस सिलसिले में 3 दिन प्रधान-मंत्री जी इलाहाबाद में रहेंगी। वहां से हमारे पास 4-4 तार आए हैं कि विरोधी दल के लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जा रही है, प्रधान मंत्री को सुरक्षा देने के नाम पर। वह अपने मुकदमें के सिलसिले में सफाई देने आ रही हैं, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आसपास लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के परिधि के अन्दर यदि किसी भारत के नागरिक को अपने किसी कार्य से, किसी याचिका के बारे में जाना पड़ता है तो, उसके लिये प्रवेश-पत्र लेना अनिवार्य होता है। बिना उसके वह वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यह हालत आज इलाहाबाद की है.....

श्री अध्यक्ष--

तो यह 56 में कैसे ले लें, क्या यह स्थगन की बात है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

बड़ी अव्यवस्था और अशान्त वहां की हालत है.....

श्री अध्यक्ष--

यदि गिरफ्तारी हुई है, तो आप उनके कुछ नाम तो दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

20-22 छात्र नेता और विरोधी दल के नेता पकड़े गये हैं.....

(व्यवधान)

एक निश्चित नाम अविनाशचन्द्र शुक्ल का है। प्रधान मंत्री के आगमन पर उनकी सुरक्षा के नाम पर विरोधी दल के लोगों को गिरफ्तार करना, उच्च न्यायालय में यदि कोई नागरिक जाना चाहता है तो उसे प्रवेश पत्र लेना, यह बड़ी असाधारण बातें हैं। हाईकोर्ट के आसपास ही नहीं बल्कि सिविल लाइंस तक लोगों का जाना रिस्ट्रेक्टेड हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

यदि ऐसा है, तो आप निश्चित रूप से न्यायालय में जा सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस तरह से इलाहाबाद के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो और वहां जहां पर प्रदेश से बाहर और पूरे देश से लोग आते हैं, इस तरह की अव्यवस्था बड़ी आपत्तिजनक है ।

श्री अध्यक्ष--

राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की सुरक्षा और आगमन पर सुरक्षा हेतु जो नियम होंगे, यह उन्हीं के अधीन विनियमन का प्रश्न है । उन्हीं का यह विनियमन हो रहा है । यदि कहीं अधिक प्रयोग हो रहे हैं तो वह गलत है और उसके लिए न्यायालय बना है । हमसे आप क्यों कहलवाना चाहते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

विरोधी दल के लोगों पर इस तरह से अलोकतन्त्रीय अन्याय करना . . . .

श्री अध्यक्ष--

यह कैसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव हुआ, यह कैसे बनता है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

हमारा उच्च न्यायालय एक ऐसा स्थान है . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री, क्या बतायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, माननीय मालवीय जी की सूचना अभी मिली । कल आगरा में था । वहां से लौट कर आया करीब सवा 11 बजे । इसलिये स्थानीय अधिकारियों से पूछा गया है । लेकिन यह बात सही नहीं है, कि कोई आदमी मुकदमा दाखिल करने के लिये कोर्ट में नहीं जा सकता है, या उसे कोई रुकावट डाली जा रही है । यह बात सच है कि प्रधान मंत्री चाहे गवाही देने आएं या किसी रूप में आएं वह प्रधान मंत्री तब तक रहती हैं जब तक वह उस कुर्सी पर हैं । और उनकी सुरक्षा के काम को प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, जब यहां आयी हैं । मान्यवर, स्वयं विरोधी दल कभी अपनी उदारता में, अभी केन्द्रीय संसद में इतना उदार हुए, उन्हें बहुत गुस्सा आया ललितनारायण मिश्र के लिये सुरक्षा का पूरा बन्दोबस्त क्यों नहीं किया गया । इस पर वह सरकार से इस्तीफा मांग रहे थे । ऐसे ही विरोधी दल भी इस बात को मानता है, सौम्यशील जब वह रहता है कि यह अनुचित बात होगी अगर हम व्यवस्था न करें । मैं माननीय मालवीय जी से, जो बड़े नेता हैं, इलाहाबाद के विरोधी दल के, मेरी प्रार्थना है कि वह स्वयं इलाहाबाद में तीन दिन रहें, हम उनको बिलकुल भी नहीं पकड़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कालीचरण यादव--वाराणसी में श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने के प्रश्न को लेकर संघर्ष छेड़ने की घोषणा । यह कार्य-स्थगन का विषय कैसे हुआ ? माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सेन्सर का अधिकार की बात है क्या ?

श्री कालीचरण यादव (जिला गाजीपुर)--

आज समाचारपत्रों में एक खबर छपी है । गाजीपुर जिले में एक मंत्री महोदय गये । किसी तस्करों के समारोह में उपस्थित हुए थे ।

1975-76 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह भाषण आरम्भ करेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

कल दुनिया के इतिहास में एक बड़ी घटना घटी।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री ने जो 1975-76 का बजट उपस्थित किया है, उसके समर्थन में खड़ा हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जो हाकी में विजय प्राप्त की है, इस पर आभार प्रकट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप नोटिस.....

श्री त्रिवेणी सहाय--

यह महत्व का विषय है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अभी चर्चा चलने दीजिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) --

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बताया था कि बजट से पहले आप मुझे इजाजत देंगे। मेरी एक बात सुन लें। एक ही मंत्री रह गये हैं। वह भी चल देंगे।

कई सदस्य--

और भी हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

सरकार ने हमेशा यह माना है कि बजट से सम्बन्धित विभागीय रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट जो आती है, माननीय सदस्यों को दिलाएंगे और आपने भी कहा था कि अवश्य दिलायेंगे। परन्तु बजट शुरू भी हो चुका, छुट्टियां भी बीत गयीं। अब तक कोई लिटरेचर नहीं मिला है। मैं यह चाहूंगा कि कल तक मिल जाय।

श्री अध्यक्ष--

हम देखेंगे कि कौन सा मिला है और कौन सा नहीं मिला है। कुछ मिला है और अगर कुछ नहीं मिला है तो हम देख लेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

रिपोर्ट तो कोई भी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात जाब्ते की है। ठीक है।

---

†14 मार्च, 1975 की कार्यवाही से।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, बजट की चर्चा करने से पहले हम निवेदन करना चाहते हैं कि किस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया है। राजस्व से प्राप्ति 817 करोड़ 12 लाख रुपया है, ऋणों से प्राप्ति 226 करोड़ 46 लाख है, ऋण और अग्रिम की वसूली से 47 करोड़ 75 लाख रुपये हैं। और व्यय के मद में राजस्व व्यय में 783 करोड़ 11 लाख है, पूंजी व्यय में 151 करोड़ 7 लाख रुपये ऋण और अग्रिमों का संवितरण 123 करोड़ 24 लाख रुपये है। इस तरह से कुल 1057 करोड़ 42 लाख के व्यय की व्यवस्था है। प्राप्ति 1091 करोड़ 33 लाख रुपये की है यानी इसमें लाभ 33 करोड़ 91 लाख का है। लोक लेखे के अन्तर्गत बचत 23 करोड़ 59 लाख है यानी समस्त लेन-देन की बचत 57 करोड़ 50 लाख रुपये है। गत वर्ष का घाटा 77 करोड़ 35 लाख है और इस वर्ष का समस्त लेन देन का शुद्ध बचत 57 करोड़ 50 लाख हैं। इस वर्ष की बचत यदि निकाल दें तो 19 करोड़ 85 लाख रुपये का घाटा रहता है। इसको पूरा करने की व्यवस्था जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि बचत करके बकाये की वसूली तथा उद्योग इकाइयों को लाभदायक बनाकर करेंगे। जो सरकारी उद्योग हैं, उनको क्रियाशील करके बचत करके तथा 2/3 महीनों में जो नये कर लगे हैं, उससे अनुमान है कि हम कमी को पूरा कर पायेंगे।

मान्यवर, जब हमारे नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस बजट में कोई कर नहीं हैं, यह कहना गलत है। लेकिन मैं साफ कहता हूं कि इस बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है बल्कि इसकी बड़ी विशेषता यह है कि करों में कुछ छूट दी गई है जो पिछले बजटों में देखने को नहीं मिलती। गत वर्ष में जो कर लगाये गये हैं उसका लाभ इस वर्ष मिलेगा और अगले आने वाले वर्षों में भी मिलेगा। कृषि के लिये 50 करोड़ 38 लाख की व्यवस्था की गई है, विद्युत् में 181 करोड़ 75 लाख रुपये की, सिंचाई में 70 करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। कुल 302 करोड़ 80 लाख की व्यवस्था की गई है। इससे जनहित को लाभ पहुंचेगा।

उद्योगों के लिये 33 करोड़ 66 लाख की व्यवस्था की गई है। सबसे मुख्य बात यह है और उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश में जो बहुसूत्री बिक्री-कर था, उसको एक सूत्री कर दिया गया है। छोटे-छोटे व्यापारियों की बड़ी असुविधा होती थी और बहुत दिनों से यह मांग चली आ रही थी इसको वित्त मंत्री जी ने पूरा किया है।

(इस समय 1 बजकर 53 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

एक बात और है कि जो पहले बिक्री-कर वसूल करते थे व्यवसायी उसमें उसे टैक्स लगाते समय विक्रय धनराशि जोड़ा जाता था लेकिन अब वह नहीं जोड़ा जायेगा। इसलिये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने वाली व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। यह बड़ी भारी उपलब्धि है। छोटे-छोटे व्यवसाइयों की न्यूनतम कर सीमा अब तक 12 हजार रुपये थी, उसको अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है। खाद्यान्नों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है और जिससे जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा था उस पर बिक्री-कर 4 परसेंट के बजाय ढाई परसेंट कर दिया गया है, तिलहन पर 3 परसेंट से 2 परसेंट, लकड़ी के फर्नीचर की लकड़ी पर 10 परसेंट से 7 परसेंट, मिठाई आदि वस्तुओं पर 4 परसेंट से घटाकर 3 परसेंट कर दिया गया है।

[श्री देव बहादुर सिंह]

इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो हमारे धातु की वस्तुयें हैं उन पर एक सूत्री बिक्रीकर निर्धारित किया गया। अब हमारे यहां जितने हैंडलूम चलते हैं और वहां सूती धागे की आवश्यकता होती है उस पर भी दो प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। दूसरे प्रकार के जो यार्न हैं, उन पर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। मैं तो यह कहूंगा कि जो आशंका थी इस प्रदेश में बजट आने से पूर्व कि पता नहीं किन-किन वस्तुओं पर और कर लगाया जायगा और कर लगाने से जो मुद्रास्फीति होना अनिवार्य है, उससे इस प्रदेश की जनता त्रस्त थी। मैं तो मुख्य रूप से वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने मुद्रास्फीति रोककर अभूतपूर्व कार्य किया है। इसमें इस वक्त जो आने वाला वर्ष है उसमें 33 आयुर्वेदिक अस्पताल और 30 होमियोपैथिक अस्पताल खोलने की व्यवस्था है। जो हमारी हिन्दी की पुस्तकें हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण करने का विचार है और उर्दू के बारे में भी समुचित व्यवस्था उर्दू के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इस बजट में करने की व्यवस्था की गई है।

हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे हमने उनको गौर से सुना। हम जब से आये हैं यहां सदन में हम यह चाहते थे कि अच्छा भाषण हमें सुनने को मिले, जिससे कि हम कुछ लाभ उठा सकें। 3-4 भाषण माननीय नेता विरोधी दल का सुनने को मिला और उसमें हम सब जितने नये चुन कर आये हैं बहुत रुचि लेते हैं क्योंकि इस सदन का सबसे अधिक अवधि का ज्ञान जो है वह माननीय नेता विरोधी दल को है, लेकिन शुरू से अब तक जितने उनके भाषण हुए हैं वह सब एक ही तरह का होता है। जिसे सुन कर हमें घोर निराशा हुई है।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, सत्ता दल के माननीय सदस्य चेयर की तरफ पीठ करके भाषण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य स्वयं कह रहे हैं कि हम इस सदन में नये चुन कर आये हैं।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, जहां तक मेरी बात है मैं यह जानता हूं कि जनतंत्र को अगर चलाना है तो यह आवश्यक है कि जो विरोधी दल के हमारे सम्मानित नेता हैं उनसे परामर्श करके इस प्रदेश में जो भी योजनाएं उचित हों उन्हें कार्यान्वित किया जाय। मैं देखता हूं कि विरोधी दल की ओर से जो भी रचनात्मक सुझाव आये हैं उसे सरकार ने मान लिया है। उन्होंने सवा 6 एकड़ का लगान लगाने का सुझाव दिया था, उसे सरकार ने मान लिया और लेवी का भी सुझाव दिया था, उस पर भी सरकार विचार कर रही है। मैं तो यह कहूंगा कि यह एक अच्छी परम्परा है और इस परम्परा को हम अगर डालेंगे तो हम यह जनता में कह सकेंगे कि जितने आदमी चुन कर आये हैं वे सभी मिलकर जनता के हित में जो होगा, उसे अवश्य करेंगे। मान्यवर, मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, 2–4 मिनट और दे दीजिए। मैं बिजली के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने कर से छूट दिया है, उसी प्रकार से किसानों को बिजली के सम्बन्ध में छूट देना चाहिये। 1968–69 में बिजली का निम्नतर रेट 90 रु0 था और 1971–72 में 120 हो गया इसके बाद यह व्यवस्था की गयी कि जितना इस्तेमाल बिजली की जायेगी उस हिसाब से चार्ज लिया जायेगा। लेकिन अब इस व्यवस्था को भी बदल दिया गया है और उसको बढ़ा कर 15 रु0 प्रति हार्स पावर कर दिया गया है। यह वृद्धि सचमुच किसान के लिये घातक है। इतनी वृद्धि करने का कारण मेरी समझ में नहीं आया है। आप बिजली दे नहीं सकते हैं और आपने इसका रेट बढ़ा दिया है। बिजली आप दे नहीं पायेंगे यह किसान जानता है। इसलिये किसानों ने अपने बिजली के कनेक्शन्स कटवाना प्रारम्भ कर दिया है। बिजली का उपयोग कृषि और इन्डस्ट्री के उत्पादन में होना चाहिये। अगर किसान को बिजली नहीं मिल पायेगी तो प्रदेश का उत्पादन कैसे बढ़ पायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के सम्बन्ध में सरकार को किसानों को छूट देनी चाहिये। इन्डस्ट्री जब बन्द होती है तो उसको रेमिशन मिलता है, लेकिन किसान को इस तरह की सुविधा नहीं मिलती है जब कि बरसात के दिनों में उसे बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय रेमिशन मिलना चाहिये।

आप देखें कि लाई, खील और चूड़ा पर टैक्स लगाने की बात है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि यह किया गया तो फिर जो अच्छा बजट की बात हम करते हैं तो उसे अच्छा बजट नहीं माना जायेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

आ गये उसी रास्ते पर।

श्री देव बहादुर सिंह—

गन्ना सप्लाई के बारे में भी एक निवेदन कर देना चाहता हूं। आपने देखा कि खान्ड-सारी चीनी पर लेवी लगायी गयी है। आज आप देखें कि खान्डसारी के क्रेशर बन्द पड़े हैं। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि गन्ना समय से पेरा जा सके। फारेन एक्सचेन्ज अर्जन करने की बात सही है लेकिन साथ ही साथ प्रदेश या देश के लोगों को भी चीनी उप-लब्ध होनी चाहिये। और गन्ने के सप्लाई की अविलम्ब व्यवस्था की जाय।

पशुपालन के बारे में भी मैं आपसे एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो चोकर और शीरा मिलों में बनता है वह केवल शहर के ही जानवरों को मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रतिबन्ध हटाना चाहिये, नहीं तो, जो आप स्वेत क्रान्ति की बात करते हैं, पूरी नहीं होगी।

मैं अब पर्वतीय अंचल की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करा देना चाहता हूं। पर्वतीय अंचल के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि सारा बजट उस ओर कर दिया गया है, मैं तो निमंत्रण देता हूं, सदन के 4–5 माननीय सदस्य मेरे साथ चलें, मैं उनको पर्वतीय ग्रामीण अंचल दिखाऊंगा कि जहां से एक-एक हफ्ते चलने के बाद पक्की सड़क पर लोग पहुंच पाते हैं। उन स्थानों पर न पीने के पानी की व्यवस्था है, न लकड़ी की सुविधा है न वहां पर अस्पतालों की व्यवस्था है, और न वहां पर स्कूलों की व्यवस्था है। जब सरकार वहां पर कोई व्यवस्था करने की बात करती है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं तो चाहता हूं

श्री देव बहादुर सिंह]

कि जितने हमारे पिछड़े इलाके हैं, चाहे वे कहीं पर हों, पर्वतीय अन्चल में हों, या पूर्वी अंचल में हों, सरकार उनके लिये प्रबन्ध करे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में सबसे बड़ा प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अपना एक विशेष स्थान रखता है, परन्तु यह भी किसी से छिपा नहीं है कि अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ऐसी कुख्याति इस प्रदेश ने अर्जित की है, जिसको सरकार की ओर से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात् 27 वर्ष के इस लम्बे काल में 4 पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने पर भी इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का सुधार नहीं हो सका और आज यहां भयंकर समस्यायें मुंह बाये खड़ी हैं। आज की परिस्थिति यदि देखी जाय, तो आसमान को छूती हुई महंगाई, दम घोटने वाली बेरोजगारी और समग्र समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के दलनकारी तिगड्डे ने एक प्रकार से समाज के लोकतंत्र के ढांचे को ही खतरा पैदा कर दिया है। छठवें आयोग के सामने ज्ञापन देने के अवसर पर तत्कालीन मुख्य मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी ने एक वक्तव्य में कहा था कि जहां सम्पूर्ण देश की आबादी में 40 प्रतिशत जनता गरीबी की सीमा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करती है, वहां उत्तर प्रदेश की आबादी में 60 प्रतिशत जनता इससे भी निम्न स्तर का जीवन गुजार रही है।

हमें यह पता है कि 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश हुआ था तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति की औसत आय से अधिक थी लेकिन जिन चार पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन हमने किया, उसका प्रतिफल क्या हुआ, वह आज प्रदेश के सामने है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना में लगभग 153 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में (1956-61) 253 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इसी प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1961 से 1966 तक 561 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। 1966-69 तक तीन एक वर्षीय योजनाओं में 452 करोड़ रुपये की लागत खर्च की गई और चौथी पंच वर्षीय योजना में जो 1969 से 1974 तक चली, लगभग 965 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था जो आगे बढ़कर 1050 करोड़ रुपया हो गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की मांग है इस प्रकार 24 अरब 69 करोड़ रुपये की अपार धनराशि पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च की गयी। लेकिन उसके उपरान्त भी अगर 1967 से 1969 तक के आंकड़े देखे जायं तो प्रति व्यक्ति उत्पादन के आधार पर उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण भारत में 14वां स्थान है। यह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का फल हुआ है तो मैं ऐसा समझता हूं कि चिन्ता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर अन्य प्रान्तों का प्रति व्यक्ति उत्पादन देखा जाय तो पंजाब सबसे ऊपर है, जिसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन 953 रुपये का है, हरियाणा में 836 रुपये, महाराष्ट्र में 627, पश्चिम बंगाल में 630, गुजरात में 671, केरल में 583, तामिल नाडु में 591, हिमाचल प्रदेश में 572, उड़ीसा में 550, त्रिपुरा में 513, असम में 643, आन्ध्र में 528 और मैसूर में 541 रुपये प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है। परन्तु उत्तर प्रदेश में प्रति

व्यक्ति उत्पादन 482 रुपये है। इस प्रकार सारे देश में हम 14वें स्थान पर आज खड़े हैं और हमसे केवल दो बड़े प्रान्त राजस्थान और बिहार नीचे हैं। बजट हमारी नीतियों का प्रतिबिम्ब होता है। आने वाले भविष्य को किस प्रकार हम सुधार सकते हैं इस सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की जाती है। पिछली आर्थिक व्यवस्था को देखकर, अपने पिछड़ेपन को देख कर हमें विचार करना होगा कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, चीनी, तम्बाकू और कपड़ा, अपने प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। इस सम्बन्ध में अगर आप देखें तो चीनी का उत्पादन गिरावट की ओर है। 1969–70 में चीनी का उत्पादन अपने प्रदेश में 16 लाख 24 हजार टन था जो 1971–72 में घटकर 8 लाख 31 हजार टन रह गया। इसी प्रकार कपड़े का उत्पादन 1968–69 में 28 करोड़ मीटर था जो 1969-70 में गिर कर 26 करोड़ 10 लाख मीटर रह गया और 1971–72 में और घटकर 25 करोड़ 82 लाख मीटर रह गया। इसी प्रकार तम्बाकू का उत्पादन भी गिरावट की ओर है। इसका उत्पादन 23,649 टन से गिरकर 20,038 टन रह गया। इस प्रकार जहां प्रति व्यक्ति आय प्रदेश में घट रही है वहां उत्पादन भी गिर रहा है।

वर्ष 1972–73 की आडिट रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई है और उसका कुछ हवाला अखबारों में भी निकला है। उससे पता चलता है कि 36 करोड़ 25 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1972–73 में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये 36 करोड़ 35 लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को दिया गया और अतिरिक्त उत्पादन करने की संस्तुति की गयी लेकिन यह स्पष्ट है कि उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर 2 लाख टन उत्पादन कम हुआ और इसलिये इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग हम सही प्रकार नहीं कर सके। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जो उर्वरा भूमि से सम्पन्न है, सिंचाई के साधनों की सम्भावनायें कम नहीं हैं वहां भी हम केन्द्र के ऊपर आश्रित हैं अपनी आबादी को गल्ले के वितरण करने में मैं समझता हूं इस गंगा और यमुना के स्थल के लिये यह बड़ी लज्जा की बात है और यह सरकार के सामने एक चुनौती है जिसे उसे स्वीकार करना चाहिये। और खाद्यान्नों में आत्म निर्भर बनना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी प्रगति असंतोषजनक है। प्राथमिक शिक्षा कानून सारे प्रदेश में अनिवार्य है, मगर 1972 के आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख थी, लेकिन जूनियर हाई स्कूल तक पहुंचते-पहुंचते उनकी संख्या केवल 12 लाख ही रह गयी। इससे स्पष्ट जाहिर है 90 प्रतिशत छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ कर अपने घरों में बैठ गये। दूसरे प्रदेशों में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत देखते हुये हमारे यहां का प्रतिशत बहुत कम है।

मान्यवर, आये दिन सरकार की ओर से यह बात कही जाती है कि शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन होना चाहिये, मगर वह हो नहीं रहा है। आज छात्रों में जो असंतोष उभर रहा है, उसके कारण एक आन्दोलन की भावना पैदा होती जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों में जो असंतोष पैदा हो रहा है, उसको यदि डंडे और गोली के बल पर खत्म किया गया, तो यह सम्भव नहीं होगा और वह प्रदेश के भविष्य के लिये बड़ा ही दुखदायी होगा।

बनारस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा जो बात कही गयी, उससे मुझे बड़ा दुख है। पंडित गोविन्द वल्लभ पंत, डा० सम्पूर्णानन्द जैसे विचारवान

[श्री शारदा भक्त सिंह]

व्यक्ति इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और इन लोगों ने समूचे भारत में अपनी ख्याति प्राप्त की है। परन्तु 9 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े प्रदेश के मुख्य मंत्री के मुंह से आज जब यह बात कही जाती है कि वे आर० एस० एस० और जनसंघ को कुचल देंगे या समाप्त कर देंगे, तो बहुत छिछलेपन का आभास होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे किसी भी दल को लाठी और गोली से कुचल नहीं सकते। लेकिन हम अवश्य चाहते हैं कि इस कुचलने वाली प्रवृति को ही कुचल दिया जाय। क्योंकि अगर यह प्रवृत्ति कुचली नहीं जाती तो प्रजातंत्र का भविष्य अच्छा नहीं दिखाई देता। आज जिस तरह से प्रदेश में भुखमरी की स्थिति है, अन्य विकराल समस्यायें जो मुंह बाये खड़ी हैं उनकी ओर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। इस ओर मुख्य मंत्री अपनी शक्ति लगायें ताकि आने वाली संतति यह कह सके कि उत्तर प्रदेश के किसी मुख्य मंत्री ने जनता की आवाज पहचानी। किसी दल को कुचल देने की बात कहना मुख्य मंत्री के पद के अनुरूप नहीं है, मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अपनी शक्ति का अभिमान है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केवल 3 व्यक्तियों के बहुमत से वे मुख्य मंत्री बने थे। जिस तरह से दल बदल की प्रक्रिया आपने आरम्भ की है उसमें यह भी सम्भव हो सकता है कि आपको किसी दिन इधर आकर विपक्ष में बैठना पड़े। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको बड़ी संजीदगी से और सावधानी से विरोधी लोगों की बातों को सुनना चाहिये, उनको अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करना चाहिये। यदि आप दूसरे दलों को दबाने और उनको कुचलने की मनोवृत्ति पैदा करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चहता हूं कि आज बदलते हुये समाज की भावनाओं को, जिसे दुनिया के लोग आज समझ रहे हैं, जान बूझकर समझना नहीं चाहते हैं। आज समग्र क्रान्ति का आन्दोलन चल रहा है। बिहार में शासन ने सोचा था, गुजरात में उन्होंने सोचा था कि हम छात्रों के आन्दोलन को दबा देंगे, लेकिन आज मैं मुख्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां के मुख्य मंत्री सारे प्रयत्नों के बाद भी आन्दोलन को दबा नहीं सके और स्वयं उनको कुर्सी छोड़ कर जाना पड़ा। बिहार में भी कभी-कभी गफूर साहब कहते हैं कि वे ऐसा सख्त कदम उठावेंगे कि वहां चलते आन्दोलन को दबा देंगे, लेकिन उनकी जो स्थिति हो रही है वह आप देख रहे हैं। रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि वे हफ्ते में शायद अपने पद से हटाये जाने वाले हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बड़ी नाजुक स्थिति आपकी है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, शायद आप देखना नहीं चाहते। इसलिये जो स्थिति दो प्रान्तों की हो चुकी उससे आप सबक लें, जो जन आन्दोलन हैं उनकी भावनाओं को समझें और उनके निकट जाकर उनकी सम्भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। और प्रजातांत्रिक ढंग से और सब को एक साथ बिठा कर, विचार विनिमय के बाद कोई रास्ता निकालें वरना इस तरह से प्रान्त में शान्ति व्यवस्था के लिये एक भीषण परिस्थिति पैदा हो सकती है। शिक्षा के सम्बन्ध में इतना ही कह देना मैं पर्याप्त समझता हूं।

जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, आज उसकी बड़ी विकराल परिस्थिति है। हमारे प्रदेश में शासन द्वारा अस्पताल में जाने वाले रोगी को पर्ची बनवाने के लिये 8 आने देने का नियम बना दिया है। जो समाजवाद के नाम पर गरीबों के पक्ष में बोलते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या उन गरीबों को अस्पतालों की दवाओं से वंचित नहीं किया जा रहा है? मेरे जिले में जो अस्पताल है वहां के डाक्टर से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रोगियों की संख्या कम हो रही है, गरीबों के बच्चे लाइन में अस्पताल में जाकर खड़े

होते हैं लेकिन वहां दवाओं का अभाव है। जितनी दवा चाहिये आप नहीं दे पाते हैं। जो भी थोड़ी बहुत दवा आप देते थे उसके लिये उससे 8 आने जैसे फीस के रूप में ले लेते हैं। अतएव जो सबसे गरीब वर्ग है वे अस्पतालों की दवाओं से भी वंचित हो गये हैं। मुदालियर कमेटी ने सिफारिश की थी कि कम से कम 3,500 की जनसंख्या के ऊपर एक डाक्टर का होना आवश्यक है जो उसकी देखरेख कर सकता है। लेकिन आज हमारे प्रदेश की स्थिति इस प्रकार की है कि पिछड़े इलाकों में कि 10 हजार से लेकर 30 हजार व्यक्तियों के ऊपर एक डाक्टर प्राप्त होता है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जन साधारण के स्वास्थ्य के प्रति शासन उपेक्षा की नीति अपना रहा है और प्रदेश की इस क्षेत्र में दयनीय स्थिति है। इससे इस सम्बन्ध में अधिक कहना आवश्यक नहीं समझता हूं।

बिजली के सम्बन्ध में कुछ न कहा जाय तो ज्यादा अच्छा है। आज प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो बिजली की बोट सह नहीं रहा हो। अभाव होने के अतिरिक्त जो बिजली समय से कभी प्राप्त भी होती है उसका भी दाम इतना बढ़ा रखा है कि जन साधारण त्रस्त है कि किसी भी देश में बिजली का ऐसा प्रबन्ध होता तो शायद वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ता ऐसा सभी लोग अनुभव करते हैं। अभी कहा गया है कि सरकार द्वारा 15 रुपया प्रति हार्स पावर काश्तकारों पर बिजली मूल्य लगा दिया गया है। मुझे इस पर भी आपत्ति नहीं होती अगर आप लगातार बिजली देते और हमें अवसर प्रदान करते कि जितनी हम कृषि के लिये बिजली उपयोग करना चाहते उतनी कर सकते। किसान 15 रुपया देने को तैयार है। लेकिन साथ ही साथ सरकार कहती है कि कम से कम 15 रुपया प्रति हार्स पावर आपको देना पड़ेगा लेकिन दूसरी ओर वे ऐसा कोई आश्वासन नहीं देते हैं कि बिजली हम कितनी देंगे, कितने समय देंगे और कब देंगे। काश्तकार अनुभव करते हैं कि ट्यूबवेल सेट्स के लिये उनको बिजली मिलने में अनावश्यक विलम्ब होता है। मैं समझता हूं कि यदि इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो उससे विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब तथ्यों को देखते हुये, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक संकट बड़े भयावह रूप में हैं। मान्यवर, वर्तमान आर्थिक संकट के लिये उत्तर-दायी सरकार की आर्थिक नीतियां हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आज चोर बाजारी और तरह-तरह के अभाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा एक विशेष वर्ग, अधिकार प्राप्त जो कोटा परमिट के सघन जंगल में कालेधन के रूप में अपरिमित धनराशि पैदा कर रहा है और मान्यवर, जब कालाधन अधिक पैदा हो जाता है तो कीमतों का बढ़ना अनिवार्य हो जाता है। आज अफसर और एक बड़ा लाभ प्राप्त करने वाला रोजगारी वर्ग भ्रष्टाचार से अधिक रुपया कमा रहा है। इसी तरह से जब रुपया इकठ्ठा हो जाता है तो उपभोग की वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है। मान्यवर, आज स्टैंडर्ड क्लाथ बनाने के पक्ष में मिल उतना नहीं है जितना कि फाइन क्लाथ के क्योंकि एक तो इस कपड़े की खपत धनवान लोग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार दावा करती है कि सितम्बर मास से मूल्यों में कमी हुयी है यद्यपि आंकड़ों के अनुसार यह बात सही हो सकती है परन्तु वास्तविकता यह है कि खुदरा मूल्य, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बढ़े हैं। रिजर्व बैंक बुलेटिन और आर्थिक समीक्षा के अनुसार काम-काजी वर्ग की जीवनयापन की वस्तुओं का मूल्य सूचकांक 311 से बढ़कर 331 हो गया है। इसी काल में खाद्य का सूचकांक 405 से बढ़कर 450 तक आ गया है। इस तरह

[श्री शारदा भक्त सिंह]

से सरकार मूल्य के बारे में झूठा प्रचार कर रही है। आज मूल्य बढ़े हैं और गरीब आदमी में इसकी वजह से भुखमरी पैदा हो रही है। ऐसे अवसर पर सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि मूल्यों को बांधा जाय। आज मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यदि मूल्यों पर नियंत्रण रखना है तो सरकार को कृषि में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बांधना होगा।

अभी सरकार ने एक योजना बनायी है कि लेवी का गल्ला जबरदस्ती वसूल मनमाने मूल्यों पर किया जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकार को बिजली समय से प्राप्त नहीं हो रही है और प्राप्त भी होती है तो ऊंचे दामों पर प्राप्त होती है। उर्वरक मूल्य भी दो गुने और तीन गुने बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त लगान पुनः सवा 6 एकड़ तक लगा दिया गया है और विकास-कर के नाम पर लगान 3-4 गुना वसूल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा लेवी लगाने से देहात की रहने वाली जनता को इसको अदा करने में परेशानी होगी।

एक सदस्य—

लगान की बात मत करिये। क्योंकि आपको पता नहीं है।

श्री शारदा भक्त सिंह—

तो मैंने जैसा कहा कि पिछले वर्ष भी देखा जाय, यही स्थिति अभाव की रही है। गांवों की जनता.....

एक सदस्य—

आप शहरों की बात करें। देहात की नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को बोलने दें, व्यवधान न पैदा करें।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैं तो देहात की कहूंगा। मैं गांव में रहता हूं। खेती करता हूं। आप शहर में रहते हैं आपको मजे हैं तो आप समझते हैं कि सब मजे में है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री शारदा भक्त सिंह—

तो जहां लगान बढ़ा दिया गया, बिजली की दरें बढ़ा दी गयीं, उर्वरकों के दाम बढ़ा दिये गये और विकास कर के नाम पर करोड़ो रुपये किसान से वसूल किये जा रहे हैं वहां सरकार काश्तकारों से मनमाने ढंग से कम दामों में गल्ला वसूल करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश की विस्फोटक स्थिति में आप कोई ऐसा कदम न उठायें कि वह बारूद में आग का काम कर सके। मैं और मेरा दल सिद्धान्तः लेवी में तथा जबरदस्ती गल्ला वसूल करने के विरोध में है। हमारा कहना है कि किसान गल्ला देने के लिये तैयार है लेकिन आपके मनमाने दामों पर देने के लिये तैयार नहीं है। यदि विदेशों से गल्ला मंगा सकते हैं, शहरों में खिला सकते हैं और अपना गल्ला 150 रु0 के ऊपर बेच सकते हैं तो किसानों के गेहूं पर दामों का यह प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं? गल्ला बाजार में उपलब्ध है लेकिन आप मनमाने ढंग से कम कीमत पर लेना चाहते हैं, इसलिये नहीं है। गेहूं उत्पादन में 135 रु0

की लागत आती है और आप लेना चाहते हैं 105 रु0 में, तो स्पष्ट है कि आपकी काश्तकार विरोधी नीति है। इसलिये जनसंघ लेवी के विरोध में आवाज उठायेगा। यदि सरकार पुलिस के बल पर गल्ला वसूल करना चाहती है तो प्रान्त में व्यापक आन्दोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी शासन के ऊपर होगी। अतः सरकार को लेवी के मामले में अपनी नीति पर पुनः विचार करना चाहिये। खुले बाजार भाव से आपको गल्ला खरीदना चाहिये और उसमें काश्तकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि जबरदस्ती वसूली की गयी तो इतना कहना चाहता हूं कि काश्तकार इस अत्याचार को सहन नहीं करेगा। काश्तकार गरीबी में पिस रहा है इसलिये यदि उसे इस अत्याचार से दबाया गया तो इसके लिये वह व्यापक आन्दोलन करेगा।

मान्यवर, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है यदि उसे मिटाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि अपने विकास के प्रयत्नों में नये ढंग से आप प्राथमिकता का स्थान दें। आज लघु उद्योग, लघु सिंचाई के कार्य व्यापक रूप से किये जायं तो उन्नति होगी और लोगों को काम मिलेगा। इसलिये मैं अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जहां तक लेवी का सवाल है, हमने निश्चय किया है कि काश्तकारों से जबरदस्ती वसूली यदि की गयी तो उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। इस प्रश्न पर हम न चैन से बैठेंगे और न आपको चैन से बैठने देंगे।

श्री सलाहउद्दीन उस्मानी (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये जो बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह आर्थिक संकट को देखते हुये बड़ा सराहनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश इस देश का एक सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसके दो कारण हैं—एक तो खेती की पैदावार और प्रदेशों को देखते हुये बहुत कम है और दूसरे विद्युत की पैदावार तथा और चीजों का उत्पादन दूसरे प्रदेशों को देखते हुये बहुत कम है। इन दोनों की वजह सिंचाई के साधनों की कमी तथा विद्युत् की उपलब्धि की कमी थी। इस बजट की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें खेती के लिये तथा विद्युत् के लिये प्राथमिकता दी गयी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में एक अरब 81 करोड़ 75 लाख रुपया बिजली के उत्पादन के लिये रखा गया है। मैं इस सम्मानित सदन के सामने यह कहूंगा कि इस प्रदेश को आज इस स्थिति पर पहुंचाने के लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वह विद्युत् परिषद् की है जिसने बिना सोचे-समझे इस प्रदेश के पैसे को बिजली के उत्पादन पर नहीं बल्कि दफ्तरों की सजावट और जीपों की खरीददारी तथा आने-जाने के टी0ए0, डी0ए0 और खाने-पीने के बिलों पर खर्च किया। अब जो प्राविधान इस बजट में किया है उसके लिये हमें देखना है कि विद्युत् परिषद् इस रुपये का दुरुपयोग न करे बल्कि विद्युत् के सही उत्पादन में लगाये। इस सन्दर्भ में यह कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में जो बिजली मिल रही है उसके लिये समय-समय पर इस सदन में यह बयान आया है कि छः और आठ घंटे प्रति दिन देहातों को बिजली दी जाती है लेकिन ऐसा नहीं है और वाकया यह है कि कहीं एक घंटा और कहीं दो घंटा और कहीं दो दिन बाद ग्रामीण अंचल में बिजली जाती है। इससे एक बड़ी चिन्ता का माहौल बना हुआ है।

[श्री सलाहउद्दीन उस्मानी]

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही इस विधान परिषद् में एक सवाल के जवाब में यह बतलाया गया था कि 2 करोड़ 83 लाख रुपये के ट्रान्सफारमर विद्युत् परिषद् के पांच साल में चोरी हुए। यह तो वह चोरी है जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आयी लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप में है वह इससे भी ज्यादा है। यह ऐसी चोरी है जो गवर्नमेन्ट के नोटिस में नहीं आयी है लेकिन सभी अधिकारियों को मालूम है। मसलन जो ट्रान्सफारमर बिना किसी खराबी पर उतर गये और वह सील कर दिये गये लेकिन उनके अन्दर रखा हुआ तांबे का तार विद्युत् परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर निकाल लिया। इस तरह से जो रुपये का प्राविधान सरकार करती है, उसे यह लोग खा जाते हैं और फिर ब्लैकमेल की स्थिति पैदा करते हैं यह कह कर कि हम तार काट देंगे, खम्भे गिरा देंगे। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि एक कमीशन बैठाला जाय जो विद्युत परिषद् की कार्यवाही को देखे कि जितना रुपया रखा जाता है और जितना लक्ष्य रखा जाता है उसके मुताबिक काम होता है या नहीं। आप जितनी ज्यादा बिजली किसानों को और फैक्टरियों को देंगे उतना ही ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा और तमाम परेशानियां दूर होंगी। सिंचाई के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि रामगंगा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ। उसने 14 जिलों को जिसमें मेरा जिला फतेहपुर भी शामिल है राहत बक्शी है। और शारदा सहायक परियोजना के प्रथम खंड के पूरा हो जाने से 17 जिलों में सिंचाई की क्षमता काफी बढ़ गई है जिससे आशा की जाती है कि उत्पादन और बढ़ेगा।

इस बजट पर मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि सड़क के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह अफसोसजनक बात है। सब प्रगति साइमलटेनियस होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि एक बार कृषि, दूसरे बार बिजली और सड़क को पीछे डाल दिया जाय क्योंकि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के लिये सड़कों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सड़कें ही प्रोग्रेस की प्रतीक होती हैं लेकिन इस बजट में सड़कों के नये निर्माण के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अनएम्प्लायमेन्ट में पिछले वर्ष करीब 20 हजार आदमी सार्वजनिक निर्माण विभाग से अलग कर दिये गये थे और पिछले वित्तीय वर्ष में भी बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिला था। नतीजा यह हुआ कि बेरोजगारी की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनको रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार तुरन्त कोई कदम उठाये। मान्यवर, यह भी आशा की जाती थी कि शिक्षा के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जायेगा, जैसे राष्ट्रीयकरण का मामला है लेकिन इस पर भी कोई ऐलान नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा प्रणाली में जरूरी कोई अहम तब्दीली होनी चाहिये क्योंकि आज सबसे बड़ा अहम मसला शिक्षा का है। मान्यवर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि परीक्षा प्रणाली में भी जरूर कोई सुधार करना चाहिये। आज हर जगह यह देखने में आता है कि लड़के नकल करते हुये पकड़े गये, उन्होंने टीचर्स को मारा और कभी-कभी हत्यायें तक हो गई हैं। इसलिये यह घटनायें न हों और लड़कों को काबिल बनाने के लिये इन तमाम चीजों को करना जरूरी है जैसे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी

कोई बात नहीं की गई है। इसका आना अनिवार्य है। यह जितनी जल्दी किया जायेगा। उतनी ही जल्दी प्रदेश की इनकम बढ़ेगी। साथ ही मान्यवर, हिन्डालको का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये था, जो नहीं हुआ। इसकी तरफ भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान खींचना चाहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)––

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हम अपने प्रदेश के बजट पर विचार कर रहे हैं, हमारा प्रदेश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पिछले वर्ष भी जब बजट पेश हुआ था उस समय भी सरकार की तरफ से यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि हमारे प्रदेश में आर्थिक संकट काफी गहरा हो रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि हमारे प्रदेश में आर्थिक संकट के आने के कुछ कारण हैं और उनमें से एक मुख्य कारण यह था जिसे उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे प्रदेश और देश में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को दूर करने के लिये और उसे तोड़ने के लिये आगे कदम उठाये जायेंगे लेकिन न तो पिछले वर्ष के बजट में और न इस वर्ष के बजट में कोई ऐसा प्रयास किया गया है जिससे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को तोड़ने पर जोर दिया गया हो।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय भीखालाल जी आप बैठ जायं, कोरम का अभाव है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भीखा लाल––

मान्यवर, आर्थिक संकट के विकेन्द्रीकरण के लिये न पिछले वर्ष प्रयास किया गया और न इस वर्ष प्रयास किया गया और यह संकट यहां तक पहुंचा कि पिछले वर्ष प्रदेश की जितनी विकास योजनाएं थीं वे सब ठप्प हो गयीं और कोई भी विकास कार्य हमारे प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ। यह आर्थिक संकट कोई एक दिन का नहीं है। यह संकट हमारी सरकार की पिछली 25–26 वर्ष की नीतियों का परिणाम है और धीरे-धीरे बढ़ कर आज इस स्थिति में वह आ गया है कि प्रदेश आर्थिक दलदल में फंस गया है। केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार ने जो पूंजीवादी विकास नीतियों को अपनाया उसके कारण वह आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। परिणामस्वरूप आज देश में एक तरफ दौलत का अम्बार लगा हुआ है और दूसरी तरफ गरीबी है। एक तरफ काला धन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार के पास अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये पैसा नहीं है। प्रदेश के मुख्य मंत्री को पब्लिकली यह कहना पड़ा कि शायद दिसम्बर के बाद हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी न दे सकें। यह संकट की चरम स्थिति है और उस संकट के समाधान के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता है। सिर्फ काम करने के लिये पैच वर्क किया जा रहा है और वह पैच वर्क भी ऐसा किया जा रहा है जो आर्थिक संकट के निराकरण की तरफ नहीं, गरीबों पर बोझा डालने वाला सिद्ध हुआ है।

पिछले वर्ष के बजट में 18 करोड़ 30 लाख रुपये का घाटा था लेकिन वह आखिर में बढ़ कर 77 करोड़ 35 लाख रुपया हो गया। इसको पूरा करने के लिये ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे ऐसे स्रोतों पर हमला किया जाता जिनसे प्रदेश की आमदनी भी बढ़ती और आर्थिक संकट का विकेन्द्रीकरण भी होता। फिर यह घाटा कहां से पूरा किया गया?

[श्री भीखा लाल]

पूरा किया गया सदा 6 एकड़ की स्रोतों पर लगान लगाकर, किसानों पर विकास कर लगा कर, बिजली पर टैक्स लगा कर और छोटे-मोटे अन्य टैक्सेज लगाकर जिनका सारा बोझ गरीबों पर पड़ता है, सरमायादारों पर पड़ने वाला नहीं था। जिस रास्ते पर सरकार चलती आई है यदि उसी रास्ते पर चलती जायगी तो यह संकट दूर होने वाला नहीं है। यह संकट दुनिया के पैमाने पर है। जितने पूंजीवादी देश हैं उनके यहां यह संकट है। वहां पर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी वेतन न मिलने, ला एण्ड आर्डर की समस्या है। ये सब संकट विद्यमान हैं सारी पूंजीवादी दुनियामें। केवल एकही दुनिया बची हुई है। वह है समाजवादी दुनिया, जहां पर आर्थिक सकट नहीं है, बेरोजगारी नहीं है और इस किस्म की समस्यायें जिनमें हम आज फंसे हुए हैं, नहीं हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि जब तक हम पूंजीवादी विकास के रास्ते को नहीं बदलेंगे तब तक यह आर्थिक संकट दूर नहीं हो सकता। कोई प्रयास नहीं किया जाता है उन बातों पर अमल करने का जिनके लिये यह सरकार बचनबद्ध है।

अभी एक कांग्रेसी सदस्य भी कह रहे थे कि इस सरकार ने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया। सरकार कहती है, मुख्य मंत्री कहते हैं कि वह बचनबद्ध हैं और वह बचन बद्धता 70 से चली आ रही है जबसे कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया। उसके बाद दो मुख्य मंत्री हुए पंडित कमला पति त्रिपाठी जिन्होंने प्रस्ताव रखा था और बहुगुणा जी ने उसका समर्थन किया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। लेकिन नहीं किया गया और अगर उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया होता तो चीनी उद्योग से सरकार को 200 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होती। जो राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया होता तो हमारे प्रदेश में आर्थिक संकट न आता और टैक्स लगाने की जरूरत न पड़ती। मैं कहता हूं कि कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता। कई वर्षों से लक्ष्मी रतन काटन मिल का मामला पड़ा हुआ है। क्यों नहीं उसको ले पा रहे हैं। यह उद्योग तबाह हो रहा है। मिल मालिक आज की आवश्यकतानुसार उसको चलाने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करती। हिन्डालको को एक सफेद हाथी की तरफ पाल रखा है। पहले आप उसे 2 पैसा प्रति यूनिट बिजली देते थे और आपने साढ़े दस पैसा कर दिया है। क्या आपने कमाल कर दिया? दूसरे उद्योगों को आप 14 पैसा प्रति यूनिट क्यों देते हैं। उसके बाद भी सरकार ने हिन्डालको को 30 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का फैसला किया है इसी प्रकार बिड़ला को होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये भी अतिरिक्त बिजली देने का फैसला किया है। तो क्यों नहीं हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और सरकार अपने हाथ में उसे लेकर उसे चलाती है। आज उसे बिड़ला के हाथ में छोड़कर करोड़ों रुपया पैदा करने की छूट क्यों दी जा रही है?

इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में सरकार की खाद्य नीति, वितरण नीति स्थायी नहीं है। गल्ले का मसला, रोटी का मसला क्यों सरकार हल नहीं कर पाती है। कोई नेशनल पालिसी नहीं है। दो साल पहले गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में सरकार ने लिया. . . . . (व्यवधान) आप जैसे भले लोग होते, तो यह न होता। सरकार ने गेहूं की खरीदारी की और उसका व्यापार अपने हाथ में लिया। मैं साफ कह देना चाहता हूं व्यापारियों के दबाव के कारण आपने वह भी छोड़ दिया। सरकार की भ्रष्ट नौकरशाही ने इस योजना को तबाह किया है और व्यापारियों के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। दूसरे वर्ष व्यापारियों

द्वारा खरीदने का निश्चय किया गया, आपने निश्चय किया कि व्यापारी जो गेहूं खरीदेंगे 50 प्रतिशत उनसे लेंगे लेकिन व्यापारियों ने अंगूठा दिखा दिया। मेरी मांग है कि सरकार गल्ले के व्यापार को अपने हाथ में ले। इससे काश्तकार व उपभोक्ता को कोई घाटा नहीं होगा।

लेकिन इसको अपनाने के लिये आप तैयार नहीं हैं। लेवी की आपने योजना लगाई है। हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन दो चीजें मैं सरकार से इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि लेवी वसूल करने में काश्तकारों को उसकी कीमत दिलाने में उसकी उत्पादन लागत का ध्यान रखा जायेगा या नहीं? दो साल पहले आपने 105 रुपये क्विन्टल गेहूं उससे खरीदा। आज जब कि सिंचाई के दाम बढ़ गये, बिजली के दाम बढ़ गये, और उत्पादन लागत बढ़ गई फिर 105 रु0 क्विन्टल उससे लेना कहां तक न्याय संगत है। दूसरी तरफ काश्तकारों से आप गल्ला जरूर लेंगे, लेवी लगायेंगे, सब तरफ से दबाव डालेंगे लेकिन उसकी जरूरतों की चीजों का प्रबन्ध उसके लिये हो गया या नहीं। खाद है, सीमेन्ट है, कपड़ा है, शक्कर है, तेल है, इन चीजों का प्रबन्ध आप उसके लिये करेंगे या नहीं? देहातों में अगले महीने शादी-ब्याह के मौकों पर जब कोई आदमी सप्लाई आफिसर के पास शक्कर लेने जायेगा तो उसे वही 10/15 किलो का परमिट दिया जायेगा। क्या इससे उसका काम चल जायेगा? कैसे वह इन सामाजिक कार्यों में अपनी इज्जत बनाये रख सकेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दो साल पहले सरकार ने जो गल्ला किसानों से खरीदा था तो उस वक्त कहा गया था कि हम तुमको, तेल देंगे, कपड़ा देंगे, सीमेन्ट देंगे और कुछ मात्रा में दिया भी गया। लेकिन कितना दिया। वही शक्कर जो देहातों में मंथली राशन के कोटे में देते थे उसी को गल्ले के बदले दे दिया। परन्तु मंथली राशन का कोटा बढ़ाया नहीं गया। इस बार भी हम मांग करेंगे तो शायद सरकार मान भी जाय। लेकिन फिर वही उपाय करें तो यह कोई उचित नहीं है। किसानों से कहा जाता है कि वह कुछ कुर्बानी करे कुछ सस्ता गल्ला दे ताकि शहरी भाई सस्ता गल्ला खा सकें। हमसे शहरी भाइयों के लिये कुर्बानी के लिये कहा जाता है। किसान यह भी कर लेगा लेकिन एक बात जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार इन शहरी भाइयों से कहेगी कि तुम अपने एक महीने का शकर का कोटा आधा कर दो ताकि देहात में लेवी के वक्त पर काश्तकारों को दिया जा सके। लेकिन सरकार यह कहने को तैयार नहीं है। तो कौन सी सुविधायें आप उनको दे रहे हैं।

जहां पर आप परचेजिंग सेंटर खोल रहे हैं वहां पर अगर आपने तेल का, शकर का, कपड़े का, सीमेंट का यूरिया का प्रबन्ध नहीं किया तो काश्तकार गल्ला नहीं देगा। आपको इससे कठिनाइयां होंगी झगड़े होंगे आपको पुलिस भेजनी पड़ेगी, फौज भेजनी पड़ेगी तो इस तरह से अशांति होगी और वह जो माननीय शारदा भक्त सिंह जी ने धमकी दी है उससे उनकी मंशा पूरी होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। मान्यवर, इसी तरह से वितरण व्यवस्था का जिसका संकेत मैं कर चुका हूं। देहात में गरीब लोगों के लिये मोटे कपड़े का इन्तजाम करने की बात कही जाती है। इस सम्बन्ध में कुछ मिलों को आदेश भी दिये गये हैं कि वह मोटा कपड़ा बनायें लेकिन सरकार का उनके उत्पादन पर कन्ट्रोल नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर जो नियम है उसी आधार पर उत्पादन हो रहा है। मिल मालिक उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वह कमा सकें। इस दृष्टि से आज उत्पादन हो रहा है। जब सरकार कहती है कि अगर वह मोटा कपड़ा नहीं बनायेंगे तो उनको पैनाल्टी पड़ेगी तो मिल मालिक पैनाल्टी देने को तैयार रहते हैं क्योंकि अगर

[श्री भीखालाल]

वह महीन कपड़ा, या फाइन कपड़ा बनायेंगे तो उसमें उसको ज्यादा मुनाफा होता है और पैनाल्टी जो है वह उससे कम होती है। इसलिये वह ज्यादा फाइन कपड़ा बनाया करते हैं। तो यह वितरण की व्यवस्था सरकार की है। आज उत्पादन की व्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आज देहातों में कोई सामान नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, सीमेन्ट नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से वहां पर एक भयंकर अशांति इस बात को लेकर काश्तकारों में है।

मान्यवर, जहां तक प्रशासन की बात है उसका कहना ही क्या है। आज हमारे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है कि उसके सामने पोलिटिकल पावर, राजनैतिक शक्ति बिलकुल कमजोर हो गई है। कभी-कभी जब हम बात करते हैं तो हमारे मंत्रिगण, ऐसा लगता है कि असहाय होकर बात करते हैं। वह कहते हैं कि क्या करें हमारे कलेक्टर सुनते ही नहीं। हमने आदेश भेज दिये लेकिन वह जिले में लागू नहीं हुए जो अलम्बरदार हैं, वह सुनते ही नहीं। तो आज 'पोलिटिकल पावर इज वीकर दैन ब्यूरोक्रेसी'। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार ने जो छोटे-मोटे कदम उठाये भी हैं गरीबों की सहायता के लिये, चाहे वह भूमि के बंटवारे के सम्बन्ध में हों, चाहे कर्जे की माफी के सम्बन्ध में हों, उन्हीं को पूरी तौर पर लाग किया जाता तो आज जो गांवों में असंतोष है उतना वह नहीं होता। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसे लागू नहीं करना चाहती है।

सरकार ने जमीन के वितरण की व्यवस्था के बारे में नियम बनाया। 1952 में जमींदारी एबोलीशन कानून बनाया और 1954 में गांव समाज को जमीन बांटने का अधिकार दिया लेकिन 21 साल हो गये वह अभी तक नहीं हुआ है, वह जमीन भूमिहीनों में नहीं बंटी। तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही उसे नहीं होने देना चाहती है। सीलिंग कानून बना, उसे वह लागू नहीं होने देना चाहती है। तो यह नौकरशाही जो है कानूनों को लागू नहीं करना चाहती है। आज वह इतनी मजबूत है कि सरकार जो भी कदम उठाती है उसकी वह उपेक्षा करती चले जाती है और सरकार असहाय बन कर बैठी है। जिसके कारण कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। आज प्रशासन में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, जिस प्रकार से लूट हो रही है क्योंकि हर आदमी जो ऊंची जगह पर बैठा है वह अपने हित को सामने रखता है, राष्ट्रीय हित को नहीं। वह व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने में लगा हुआ है। कल ही अखबार में मैंने पढ़ा कि अकेले सिंचाई विभाग में 34 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। हर विभाग में गबन होते हैं। विद्युत् परिषद के बारे में अभी हमारे भाई जिक्र कर रहे थे, वह ऐसा विभाग है, जिसमें गबन का कोई ठिकाना ही नहीं, गबन की कोई सीमा ही नहीं है। वहां पर धड़ल्ले से गबन हो रहे हैं, लेकिन उनके लिये कोई जिम्मेदारी ही नहीं निश्चित की जाती है। अभी कल विधान सभा में प्रश्न उठा था कि 21 लाख रुपया रेलवे का केवल डैमरेज में ही परिषद् को देना पड़ा है। गबन होता है, स्टोर से माल गायब होता है और गलत तरीके से खरीद फरोख्त होता है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। यही नहीं जिम्मेदारी तक फिक्स नहीं की जाती है। बहुत हुआ तो यह जिम्मेदारी उस समय निश्चित हो पाती है, जब वे रिटायर हो जाते हैं या बहुत से बहुत एक दो साल पहले रिटायर कर देने की सजा दे दी जाती है। क्या यही सजा है इसकी ? जो करोड़ों रुपया गबन करे, उस पर क्यों नहीं डी0 आई0 आर0 लागू होता है ? उसके मामले में आपके आई0 पी0 सी0 की धाराएं क्यों कुन्द हो जाती हैं ? आपके

शासन काल में किसी बड़े भ्रष्ट अधिकारी को ऐसी सजा आज तक कभी नहीं दी गई है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। सजा केवल यह सुनते हैं कि पेंशन नहीं मिलेगी। जब उन्होंने दसों लाख रुपया गबन करके दबा लिया, उनको 10-5 साल पेंशन मिलना है वह अगर नहीं दिया तो उसमें उनका क्या बिगड़ता है? ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाई होनी चाहिये। मैं मंत्री लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप दौरे तो बहुत करते हैं, लेकिन वे दौरे उद्घाटन और सभाओं तक ही सीमित नहीं रहने चाहिये, आपको विभागीय काम की देखरेख भी करनी चाहिये।

सिंचाई मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज तक उन्होंने अपने दौरे के समय में किसी स्टोर की स्वयं जांच पड़ताल की है, उसमें खरीद फरोख्त ठीक से हुई है या उसमें कोई गबन तो नहीं है यह देखने के लिये? उसी तरह क्या परिवहन मंत्री ने कभी ऐसी जांच स्वयं की है? यदि एक दो मंत्री भी ऐसा करें तो उससे पूरे प्रदेश में खलबली मचेगी। मैं तारीफ करूंगा इस मामले में स्वामी प्रसाद जी की, मैं उनके काम की सराहना करता हूं, व्यक्तिगत नहीं। उन्होंने एक-एक तहसील में 10–10, 12–12 घंटे रहकर बीसों तहसीलों का मुआयना किया है। उन्होंने वहां अजीब दुर्व्यवस्था पाई है, मिसिल बन्द है तो फाइल गायब है और फाइल है तो मिसिल बन्द है। उन्होंने सदर व तहसील में रिश्वत का रुपया पकड़ा जो कहीं तहसीलदार और पेशकार के बीच में बटवारा होना था। क्या अन्य मंत्रिगण ऐसा सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं? इस तरह की चीजें पकड़ी जाएं और दोषी अधिकारियों को सजा दी जाएं, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से बढ़ रही है, वह आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगी। आप उसको नियन्त्रित करें और उसे सिखाएं कि वह अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर राष्ट्र के व्यापक हित को सदैव ध्यान में रखें।

हमारे प्रदेश में एक तरफ तो आर्थिक संकट है और एक तरफ योजनाओं का संकट। जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि संकट से निकलने के लिये बड़े भारी कार्य किए गये हैं। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती है। सिंचाई, बिजली पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया गया है, इसके अतिरिक्त क्या किया जा रहा है इस बारे में। बजट में कहा गया है कि–'सड़क, परिवहन, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों को 1974–75 के स्तर पर बनाए रखने का प्रयास किया जायगा। इसका मतलब है कि जैसे सड़क 74–75 में एक इंच भी नहीं बनी, वैसे इस साल भी एक इंच भी सड़क नहीं बनेगी। उसी स्तर पर बनाए रखेंगे, यह योजना है हमारे सरकार की जिसके लिए उसकी सराहना लोग कर रहे हैं। शिक्षा में भी एक स्कूल नहीं खुला तो अब भी एक भी स्कूल नहीं खुलेगा। दूसरी तरफ कुछ अनप्रोडक्टिव कांस्ट्रक्शन्स हो रहे हैं। यह सही है कि विधान मंडल एअर कंडीशन हो जाय तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। लेकिन ऐशोआराम की बात तब सूझती है, जब पेट भरा हो। आज विद्युत् परिषद के दफ्तर में देखिए। बड़े अधिकारियों के कमरे एअर कंडीशंड हैं। उस में 10–15 लाख रुपया खर्च किया गया है। एक योजना बजट में है जिसके लिये मुझे प्रसन्न होना चाहिये, उन्नाव जिले में एक झील को चिड़ियों के विकास के लिये, पर्यटन के लिये और मनोरंजन के लिये विकसित किया जा रहा है। उसमें 44 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। मनोरंजन होगा वहां। लखनऊ और कानपुर के उद्योगपति ह्विस्की की बोतलें ले कर वहां पहुंचेंगे और मनोरंजन करेंगे। मैं इसका विरोध करता हूं इसलिये कि त्वरित योजना में जो सड़कें बनी थीं अगर 44 लाख रुपया उसमें दे दिया जाता तो 44 मील सड़कें पक्की बन जातीं।

श्रम तथा न्याय मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर को डिपो की चेकिंग करनी चाहिये और स्टोर की भी चेकिंग करनी चाहिये। कारपोरेशन के जो नियम हैं उनमें चेकिंग के लिये नियम बने हुए हैं। उसमें यह हमारा या हमारे सेक्रेटेरिएट का कर्त्तव्य नहीं है। कारपोरेशन के मामले में पालिसी मैटर्स में हम डाइरेक्शन देंगे और देखेंगे कि डाइरेक्शन पूरी होती है या नहीं। अगर कहीं यह शिकायत हो कि फलां जगह स्टोर में चोरी हुई है, किसी की जा[illegible]री हुई हो तो हमारे अधिकारी जा कर उसकी जांच करा लेंगे।

श्री मीखालाल—

जो समय हमारा ले लिया है इसका खयाल रखियेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन कारपोरेशन्स का गठन इसीलिए हुआ, सफेद हाथी बनाते जायेंगे और फिर असहाय हो जायेंगे, कुछ कर नहीं पायेंगे। अभी एक प्रश्न हुआ था, गाजियाबाद के विद्युत परिषद के एक इंजीनियर के सम्बन्ध में कई लाख का किस्सा आया था उस पर विद्युत मंत्री कहते हैं कि विद्युत् परिषद् कदम ले रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो जाइये। आपने उत्तर प्रदेश की लूट के लिये ये कारपोरेशन्स बना दिये हैं। आप कहते हैं कि हम पालिसी तय कर देते हैं। रुपये दे देते हैं और मौज उड़ाने के लिये उनको छोड़ देते हैं। इससे उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है न इसको जनता बरदाश्त करेगी इस तरह की लूट को। अनप्रोडक्टिव कांस्ट्रक्शन्स हो रहे हैं। अगर यही पैसा सड़कों में लगायें या अन्य इस तरह के काम में लगायें जिससे जनता का ज्यादा फायदा हो और जब हमारा देश सम्पन्न हो जाय तब हर मंत्री का कमरा एअर कंडीशन हो, दारुशफा में भी करवा दीजिये। तब मनोरंजन गृह भी बनवाइये। तब आपत्ति नहीं होगी। लेकिन पहले पेट का सवाल हल कर दीजिये। यह ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा राजनैतिक हथियार बन जाता है। यही आज असंतोष का कारण है, जो असंतोष बढ़ रहा है। उन्हीं के कारण देश में उथलपुथल मची हुई है।

सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर में उद्योग चलाये हैं उनको उद्योगपति बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर अपने देश के लिये मौजूद नहीं है। धीरे-धीरे सरकार भी उनको छोड़ने की दिशा में चल रही है। और एक कदम बढ़ा दिया है, पब्लिक सेक्टर से ज्वाइन्ट सेक्टर की तरफ। उसमें 51 फीसदी का हिस्सा सरकार का रहेगा और 49 फीसदी हिस्सा उद्योगपतियों का रहेगा। पैसा सरकार का लगेगा और बटवारा बराबर का होगा। लेकिन हमारे ब्युरोक्रेट्स जो पब्लिक सेक्टर के प्रबन्धकों में बैठे हुए हैं, हर जगह अधिकारी पब्लिक सेक्टर की क्षमता को गिराने की कोशिश करते हैं, और उत्पादन को घटाने की कोशिश करते हैं। वहां की सम्पत्ति को निजी इस्तेमाल में खर्च करते हैं। स्टोर्स से चोरी होती है। राष्ट्रीय सम्पत्ति और देश का प्रहरी मजदूर कोशिश करता है कि उत्पादन न गिरे, चोरी न हो तो मैनेजमेन्ट के गुंडों से उसके ऊपर हमला कराया जाता है और आपकी पुलिस मैनेजमेन्ट का साथ देती है मजदूरों को कुचलने में। पिछली दफा डाला सीमेंट फैक्टरी में एक चोरी का मामला पकड़ा गया। जिस व्यक्ति ने यूनियन के अन्दर खबर दी थी उसके मैनेजर के गुंडों ने हाथ पैर तोड़ दिये। मजदूरों ने मीटिंग की और शान्तिपूर्ण जुलूस निकाला तो इंजीनियर के घर पर बैठ कर वहां का थानेदार योजना बना रहा था कि कैसे मजदूरों को सबक सिखाया जाय। मजदूर लोग अपना ज्ञापन मैनेजर को देने जा रहे थे। जब जलूस वहां से निकला तो उनके

ऊपर बन्दूक और पिस्तौल से फायर किये गये। कई मजदूर घायल हुये और कुछ मजदूर वाराणसी के अस्पताल में भर्ती हुये। वहां के दरोगा जी ने इंजीनियर से साजिश करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया कि ये लोग हमला कर रहे थे, घर तो रहे थे, लड़ रहे थे और जबकि वे बनारस में अस्पताल में जख्मी पड़े हुये थे उन लोगों को हथकड़ियां पहना दी गईं इस प्रवृत्ति को रोकिये। अगर मजदूर गलत बात कहते हैं तो उसको मत सुनिये और अगर सही बात कहता है तो उसकी रक्षा कीजिये और जांच पड़ताल कराइये। मेरी मांग है कि राजकीय क्षेत्र में जितने संस्थान हैं उनको मैनेजमेन्ट में मजदूरों को साझेदारी नहीं दी जायेगी तो इसी तरह से चलता रहेगा। आज जितने सरकारी उद्योग चल रहे हैं वे क्षमता के अनुसार नहीं चल रहे हैं। उनमें जितना प्रोडक्शन और मुनाफा होना चाहिये, नहीं हो रहा है। इसलिये मजदूरों को मैनेजमेन्ट में साझेदारी दी जाये और उनका मैनेजमेन्ट में हिस्सा होना चाहिये।

एक बात मैं शिक्षा की नीति के संबंध में कहना चाहता हूं कि हर जगह चर्चा होती है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिये। राष्ट्रपति से लेकर नीचे के कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिये। तो आपको कौन रोकता है। क्यों नहीं परिवर्तन करते हैं? ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाइये जिसमें औद्योगिक शिक्षा सम्मिलित हो जिससे हमारे शिक्षित नौजवानों को रोजगार मिल सके। आज विद्यार्थियों में तो असंतोष है ही और शिक्षकों में भी बढ़ रहा है। कितने ही वर्षों से वे मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाय और अध्यापकों का वेतन सरकारी खजाने से मिला करे और प्राइवेट प्रबन्धकों का इनका व्यापार खत्म किया जाय। लेकिन यही जवाब आता है कि सरकार अभी विचार कर रही है। शिक्षकों ने नोटिस दिया है कि वे पहली अप्रैल से हड़ताल करेंगे। विद्यार्थी तो आन्दोलन पर हैं ही शिक्षकों को मत भेजिये आंदोलन के रास्ते पर।

आखरी बात यह है कि आजकल महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जनता की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमारे देश की दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतें जो 1971 में हार कर धूल चाट गई थीं और डिफेंसिव पोजीशन में आ गई थीं उनको फिर से सिर उठाने का मौका मिला है। वे नारे देने लगी हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे लेकिन वे कोई प्रोग्राम नहीं बताते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। सम्पूर्ण क्रान्ति आयेगी तो क्या होगा। इजारेदारों की सम्पत्ति ली जायेगी या नहीं। किसान का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा और हमारे कर्मचारी वर्ग का क्या होगा। इस क्रान्ति का क्या नक्शा होगा, इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इन दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतों से लड़ने के लिये और मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। सेमीनार हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं और बड़े-बड़े भाषण हो रहे हैं, बड़े-बड़े धमाकापूर्ण भाषण हो रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप खाली भाषणों से लड़ना चाहते हैं? आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि जनता के असन्तोष को कैसे दूर किया जाय। आपकी गलत नीतियों से दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी को फायदा हो और देश में तानाशाही कायम हो, जनता के जनवादी अधिकारों को छीना जाय, हम इस चीज को कभी नहीं आने देंगे और देश की तमाम प्रगतिशील ताकतों को लेकर इसको रोकेंगे और अपने जनतंत्र को बचायेंगे, देश की आजादी को बचायेंगे। जब हमारे देश को साम्राज्यवादियों से खतरा है, उस वक्त हम यह कभी नहीं होने देंगे। आपकी मंशा को त्रिवेणी सहाय जी कभी नहीं पूरी होने देंगे।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

मैं अनुग्रहीत हूं उपाध्यक्ष महोदय कि एक लम्बी प्रतीक्षा के बाद मुझे भी कहने का मौका मिला है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह सराहनीय बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, इस बजट को अभूतपूर्व बजट कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई कर नहीं लगा और जो बहुसूत्री कर था उसको भी एकसूत्री कर में परिणत कर दिया गया। अब रही विरोध पक्ष की बात, तो विरोध पक्ष का तो यह है कि जिस बजट में जिस साल में कर न लगा तो वह कहते हैं कि यह धोखा है और अगर कर लग जाय तो यह कहते हैं कि जनता करों की बोझ से मर गई।

मान्यवर, मुझे एक बात याद आती है अंग्रेजों का जमाना था। फौजी गोरे शिकार करने के लिये जाते थे और वह मुसाफिरों से पूछते थे कि तुमने हिरन देखा, तो वह कहते थे कि हमने हिरन नहीं देखा, तो वह उसको मारते थे कि क्यों नहीं देखा और अगर वह कहते थे कि देखा तो फिर भी मारते थे कि चलो दिखाओ? तो वही विरोधी दल की दशा है। गेहूं के भाव के लिए कहते हैं कि 105 रु0 कुन्टल क्यों हुआ, यह ज्यादा होना चाहिये और जब वह ज्यादा हो जायगा तो उसके बाद यह कहेंगे कि सरकार ने अनर्थ कर दिया, बहुत भारी मूल्य वृद्धि हो गई है। ये लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, इनकी तो अनोखी माया है, परन्तु "उघरे अन्त न होहिं निबाहू"। इस बजट को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कहा गया है। भगवान बुद्ध ने जब अपने भिक्षुओं को आदेश दिया तो उन्होंने कहा चरति भिक्षवेव, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। हे भिक्षुओं—बहुजनों के हित के लिये घूमने जाओ।

वैसे ही आज कांग्रेस दल भी माननीया इन्दिरा जी के आदेश पर, बहुगुणा जी के आदेश पर और कांग्रेस दल के आदेश पर काम करने के लिये घूम रहा है, लेकिन आलोचनाएं होती हैं। हम लोगों ने यौवन के दिन जेल में बिताये हैं और आजादी के लिये कितने कष्ट सहे हैं। आज भी हमारी हड्डियों में और धमनियों में जोश है देश से भ्रष्टाचार मिटाने का, और देश को मजबूत बनाने के लिये हम लोग तैयार हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दधीचि ने अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिये दिया उसी प्रकार से हमारा रक्त, हमारी हड्डियां देश की रक्षा के लिये मौजूद हैं। मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट में कहीं पर भी पर्वतीय क्षेत्र का जिक्र नहीं आया है। एक स्थान पर थोड़ा सा जिक्र आया है। पिछले साल इस ओर कुछ कदम उठाये गये थे, लेकिन लोगों ने उसका बहुत विरोध किया। यहां तक लोगों ने कह डाला यह पर्वतीय बजट है। अभी अभी मेरे कानों में आवाज आयी कि आज सब पहाड़ी लोग बोल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह भावना है लोगों की, और उनकी हमारे प्रति यह उपेक्षा है। हमारे मुंह पर ये ताला लगाना चाहते हैं, वे लोग हम लोगों को किस भावना से देखते हैं, यह बात हमें बहुत महसूस होती है।

आज यह कहा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या कभी किसी का पर्वतों की ओर भी ध्यान गया? पहाड़ों पर सांवा और मंडुवा बहुत अधिक होता है जिस पर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का जीवन निर्वाह होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि इन की ओर रिसर्च किया जाये जिससे उनका उत्पादन अच्छा और अधिक हो सके। पिछले साल भी मैंने जिक्र किया था, गढ़वाल चौन्दकोट में जब जनश्रम से मोटर सड़कें बनीं तो तहलका

मच गया। लोगों ने बहुत भाषण दिए कि भारतवर्ष में कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सड़कें इतनी जल्दी श्रमदान से बन गयी हों। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन सड़कों की आज क्या दशा हो रही है ? वहां धूल उड़ रही है। मुसाफिरों को वहां पर चलना कठिन हो गया है, धूल के कारण वहां पर लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि नयी सड़कें बनाये चाहे न बनाये लेकिन जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मरम्मत अवश्य करायें।

हमारे बजट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात आयी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उन लोगों को कुछ राहत देने का प्रयास किया है। जो लोग वृद्ध हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं उनके लिये कुछ अनुदान स्वीकृत होता है लेकिन लाल फीता शाही के कारण उसको समय से अनुदान नहीं मिल पाता है। यदि लड़की की शादी के लिये अनुदान मांगा जाता है और वह स्वीकृत भी हो जाता है तो शादी के समय के एक वर्ष बाद वह कठिनता से मिल पाता है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की दिक्कतों को दूर करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि समय से अनुदान मिल जाये। मान्यवर मुझे 2 मिनट और मिल जाये तो अनुग्रहीत रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष––

2 मिनट का समय है।

श्री भगवती चरण निर्मोही––

अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के उत्थान की ओर कहना चाहता हूं। हमारे यहां पंवाड़े और जागर होते हैं जिनमें वीर रस होता है। उनके गाने वाले कुछ मर गये हैं और कुछ मरने की दशा में हैं। अगर सरकार चाहती है कि कला की उन्नति हो तो इस ओर भी उसे ध्यान देना चाहिये। और उस विभाग को अलग से हिदायतें होनी चाहिये कि वह लोक गीतों का संग्रह करे, यह हमारे प्रदेश की एक निधि होगी। जैसे इमारतों की रक्षा हमारा पुरातत्व विभाग करता है, उसी प्रकार से एक विभाग को सांस्कृतिक चीजों की रक्षा करने की भी आवश्यकता है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिये जितनी उन्नति होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पायी है। यहां पर बिजली का जिक्र होता है। हमें भी खुशी होती है कि बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन बिजली का उत्पादन चाहे जितना बढ़ा हो, हमें बहुत ही निराशा है। आज भी हमारे यहां पर न तो कोई कारखाना ही लगा है और न को उद्योग धन्धा ऐसा खोला गया है जो बिजली से चल रहा हो। कालागढ़ में बांध पूरा हो गया है, मेरा निवेदन है कि यहां से पहाड़ी इलाकों को बिजली मिलनी चाहिये। जहां तक सिंचाई का क्षेत्र है; अगर वह बढ़ता है तो हमें प्रसन्नता है क्योंकि वह भी हमारा ही क्षेत्र है।

अन्त में मैं अधिक समय न लेते हुए विरोध पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि :

"शिकवा करते हैं, जुबा से न गिला करते हैं,
तुम सलामत रहो हम तो ये दुआ करते हैं।
तुम अगर हाथ उठा कर के भी कोसो हम को,
देखने वाले ये समझेंगे दुआ करते हैं॥

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो दस्तावेज है उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है :

"इस मुद्रास्फीति के कारण संसार के बहुत से भागों में बेकारी तथा अस्थिरता उत्पन्न हुई है। भारत में हमने अपने लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर मुद्रास्फीति का सामना करने के लिये बहुमुखी प्रयास किए हैं।"

यह तो यह सोच कर लिख दिया कि मुद्रास्फीति कोई समस्या नहीं है और यह काम चलाऊ बात है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है वह यह है कि मुद्रास्फीति किस गति से बढ़ रही है। अगर उसको गौर से देखा जाय तो शायद वांचू या और जो दूसरे जांच कमीशन्स के चेयरमैन होते हैं, उनके अनुसार 10 साल में ही देश दिवालिया हो जायगा। आज केन्द्र से लेकर उत्तर प्रदेश की योजनाओं में मुद्रास्फीति को रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। अगर देखा जाय तो मुद्रास्फीति होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण कागज के नोटों का प्रसार और राज्य की प्रतिवर्ष इनकम। यह देखना आवश्यक है कि कितने नोट बाजार में आते हैं। आज पेपर करेन्सी की 15 प्रतिशत की सप्लाई है नेशनल इनकम जो हमारे प्रदेश की है, वह केवल 3 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि जब ऐसी स्थिति बनी कि कागज के नोट बाजार में इतने आये और नेशनल इनकम केवल 3 प्रतिशत रही तो केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्रास्फीति को नहीं रोक पायेगी।"

दूसरा इन्फ्लेशन का जो कारण है वह है नान डेवलेपमेंट एक्सपेन्डीचर। अनुमानतः 400 करोड़ रुपया हर साल ऐसे विकास कार्यों में लगाया जाता है कि जिससे न तो सूबे के स्तर पर और न केन्द्र के पैमाने पर प्रगति सम्भव है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन चीजों को रोका गया है? यदि नहीं तो हम कैसे मुद्रास्फीति को चेक करने जा रहे हैं?

तीसरा कारण इसका ब्लेकमार्किट है। हाल की एक कमीशन की रिपोर्ट है कि 7 हजार से 9 हजार करोड़ रुपये तक का काला धन हमारे देश में है और हर साल यह दो ढाई सौ करोड़ बढ़ जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले साल से इस साल क्या कुछ कम काला धन बढ़ा? मुद्रास्फीति का प्रश्न इतना भयंकर है कि इसे समूचे देश के स्तर पर हल करना होगा। केवल हाजी मस्तान आदि को पकड़ लेने से इसके हल का रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। एक नाव के अन्दर एक बोरा अनाज रखने से नाव डूब जाय, यह नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि बजट में चन्द शब्द लिख दिये गये हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं बताया है कि मुद्रास्फीति रोकने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार क्या योगदान कर रही है और केन्द्र ने क्या किया। यद्यपि केन्द्र का बजट यहां पर नहीं है लेकिन जैसे दूसरी जगह लिख दिया गया है कि इस विभाग में या इस कार्य के लिये केन्द्र सरकार ने यह सहायता दी उसी प्रकार इस संदर्भ में भी उनको लिखना चाहिये था कि केन्द्र सरकार इसमें क्या कर रही है। इसमें सौभाग्यवश दुनियां के सब देशों को न कह कर ऐसा मालूम होता है कि केवल पूंजीवादी देशों की बात कही गयी है जहां आर्थिक संकट है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे कृषि मंत्री नहीं हैं वह बड़ी लम्बी चौड़ी कृषि योजनाओं की बात करते हैं और चौधरी साहब भी कृषि के बारे में बहुत बातें कहते हैं लेकिन अगर देखा जाय कि कृषि का विकास हमारे यहां कितना हो रहा है तो हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में हम कहीं नहीं ठहरते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 46 प्रतिशत पैदावार बढ़ी है और हरियाणा में इससे कुछ कम है लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 33 प्रतिशत कृषि का वृद्धि हुई। इसका मतलब यह है कि दूसरे प्रान्त गेहूं और दूसरे खाद्यान्नों में हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। इसके अलावा खेती पर प्रति एकड़ इन्वेस्टमेन्ट पूरे देश का औसत है करीबन 35 रुपये जो कि हमारे यहां 123 रुपये है। तो जब इन्वेस्टमेन्ट हमारे यहां प्रति एकड़ कम है और हम अपेक्षा करें कि उत्पादन ज्यादा हो यह सम्भव नहीं है। आज खाद की तेजी से हालत यह हो गयी है कि और भी कम उत्पादन होने की सम्भावना है। इस साल कुछ खुदा की मर्जी से हम बच गये, कुछ ज्यादा उत्पादन हो जाय, लेकिन पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि खेती की हालत सोचनीय है और आज भी हम कोई ज्यादा उत्पादन नहीं करने जा रहे हैं। तो जब तक कृषि मंत्री और वित्त मंत्री खेती के लिये उतने साधन, जितने दूसरे भूबों में हैं नहीं रखेंगे तब तक कृषि का विकास नहीं हो सकता है।

एक बात चिकित्सा की अजीबो-गरीब कही गयी है कि जितने प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हैं वहां 5 हजार से बढ़ा कर 12 हजार रुपये कर दिये गये हैं। लेकिन अगर देखा जाय तो मैं समझता हूं कि एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के एरिया में 30-32 हजार से कम आदमी नहीं रहते हैं। तो अगर हिसाब लगाया जाय तो औसत साढ़े 4 आने फी वर्ष एक गरीब आदमी को दवा के लिये मिलेगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि ये प्राइमरी हेल्थ सेन्टर जो गांवों के अन्दर हैं वह कुछ भी नहीं हैं। लेकिन सरकार बड़ा गर्व करती है कि वह बड़ा भारी इन्वेस्टमेन्ट कर रही है। इसलिये कम से कम उन सेन्टर्स में यहां एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर आप भेजते हैं और 50 से 35 हजार के बीच में जनता रहती है इतना पैसा तो देना ही चाहिये कि हर एक आदमी को दवा मिल जाय या बीमार आदमी को इन्जेक्शन मिल जाय।

पंचायत राज मन्त्री बैठे हैं। 1952 से 1971 तक पंचायतों को कोई काम नहीं रहा। उनको पट्टे करने का भी कोई अधिकार नहीं है। न्याय पंचायतों को भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में समझता हूं कि इनके रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। न्याय पंचायत और ग्राम सभायें केवल ढकोसला मात्र रह गयी हैं। पुलिस के बारे में भी इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात में पुलिस पर बहुत खर्चा है जब कि हमारे यहां बहुत कम है। इस बजट भाषण में ही लिखा है कि 1974-75 में पुलिस पर प्रति व्यक्ति खर्च महाराष्ट्र में 7.84 रुपये, गुजरात में 5.84 रुपये है जब कि उत्तर प्रदेश में केवल 3.9 रुपये ही है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस पर अधिक खर्च करने के लिये आपको किसने रोका है? चोरी, डकैती, मर्डर आदि आंकड़े भी यदि अन्य प्रदेशों के मुकाबले देखे जायं तो अपने यहां जरायम सब से अधिक मिलेंगे। पुलिस पर खर्च आप जितना महाराष्ट्र में है उतना ही कर दीजिये। आज एटा के एक प्रिन्सिपल मेरे यहां सबेरे रोते हुये आये, कहने लगे कि वहां के कलेक्टर ने बदमाशों द्वारा मेरे ऊपर रिवाल्वर से हमला करवाया, मैं किसी तरह भाग्य से बाल-बाल बच गया। हर क्षेत्र में चारों तरफ क्योरेक्सी का इन्टरफीयरेन्स बढ़ता जा रहा है और अब ऐसा लगता है कि न विधान सभा

[बाबा रामनाथ]

है, न मन्त्रि-मन्डल है, बल्कि नौकरशाही ही सब कुछ है, वह जैसा चाहती है वैसा होता है। एक कलेक्टर, जिसको चाहे बन्द करवा दे, जिसको चाहे मरवा दे। सबेरे प्रिन्सिपल बेचारे रोते रहे फिर वे हाई कोर्ट गये, वहां रिट दायर की है . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है।

बाबा रामनाथ--

खाद के विषय में डाक्टर लोग कहते हैं कि जो फिजिकल लेबर अधिक करता है उसको अधिक शकर चाहिये, मगर शहरों में जो मेन्टल लेबर अधिक करते हैं, उनको शकर एक व्यक्ति को एक किलो मिलती है, गांव में जो फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं उनको एक परिवार में एक किलो मिलती है। उनके लिये शादी, ब्याह आदि में भी पर्याप्त शकर नहीं मिलती। गांव के लिये चीनी की योजना बनाना चाहिये। माननीय भीखा-लाल जी ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही, वह होना चाहिये। सरकार ने स्वयं एक भार्गव कमेटी बैठाई थी, उसने यह रिपोर्ट दी कि यह चीनी मिल वाले बदमाशों ने 172 करोड़ रुपये पैदा किया है, एक क्वीन्टल पर 200 रुपये वे पैदा करते हैं। सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान देती और मिलों का राष्ट्रीयकरण करती ताकि जनता को राहत मिले? जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी मैं चाहता हूं सरकार ध्यान दे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस 1975-76 के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि 1974-1975 का वर्ष एक विशेष आर्थिक परिस्थितियों का वर्ष था, मुद्रा स्फीति का संकट सारे विश्व में छाया हुआ था इसके अतिरिक्त तेल का संकट, फसल खराब होने का संकट, खाद्य का संकट, जन संख्या की निरन्तर वृद्धि का संकट रहा। इन सब का भार आर्थिक परिस्थिति पर है। इन सब परिस्थितियों में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय व्यवस्था का संचालन किया, उसकी सराहना ही होनी चाहिये। 1975-76 का जो बजट प्रस्तुत किया गया वह साराहनीय है। कठिनाइयों पर अभी पूरी तौर पर काबू नहीं पाया गया है हालांकि यह पूरी सम्भावना है कि फसल बहुत अच्छी होगी। मूल्यों में जो निरन्तर वृद्धि हो रही थी उसके रोकने का अभियान पिछले वर्ष चलाया गया देश और प्रदेश की सरकारों द्वारा और उसका भी कुछ परिणाम सामने आ रहा है। फिर भी इस कठिन आर्थिक परिस्थिति में जो बजट माननीय नारायण दत्त तिवारी ने प्रस्तुत किया है उसके लिये उनको बधाई मिलनी चाहिये। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी इसको पसन्द करते हैं और आलोचना के लिये ही सरकारी नीति की आलोचना करते हैं लेकिन वास्तविकता से वे भी मुंह नहीं मोड़ सकते।

आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी वर्ग, चाहे वह छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, तथा जन-जन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का अनुग्रहीत है कि उन्होंने ऐसा बजट रखा जिसमें उनके राहत की व्यवस्था की गयी है। इसमें बहुसूत्रीय सेल्स टैक्स प्रणाली के स्थान पर एक सूत्रीय प्रणाली सेल टैक्स के लिये अपनायी गयी है। बड़े व्यापारी भी बहुसूत्रीय प्रणाली से परेशान थे और छोटे व्यापारी भी हिसाब-किताब

रखने की समस्या से परेशान थे। जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने कहा कि हिन्दुस्तान की नौकरशाही की हालत ऐसी है कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकारी कर्मचारियों की वजह से सामान्य व्यक्ति परेशान है और उसको वह राहत नहीं मिल पा रही है जिसके लिये सरकार सचेष्ट है। सरकार चाहती है कि जनता को राहत मिले और नौकरशाही उस भावना से कार्य करे और उन नीतियों का सही कार्यान्वयन करे जिनको कि यह सरकार कार्यान्वित करना चाहती है परन्तु नौकरशाही समर्पित भावना से काम नहीं करना चाहती । इस सम्बन्ध में लोगों के अलग-अलग मत हैं कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाय। बहुत से लोगों का मत है कि जब तक संविधान के आर्टिकल 311 को दुरुस्त नहीं किया जायेगा तब तक नौकरशाही पर अंकुश नहीं रखा जा सकेगा। बगैर सीमा के जो तमाम सुरक्षा उनको प्राप्त हैं, उन्हीं के वे प्रेरित हैं कि अपने मनमाने ढंग से काम करें और जिस तरह से चाहें गरीबों के हित से खिलवाड़ करें। वास्तव में इस देश और प्रदेश की दो तिहाई नौकरशाही उस भावना से काम नहीं करती जिस भावना से सरकार चाहती है कि देश की गरीब जनता को राहत मिले। सेल टैक्स के मामले में कारगर परिवर्तन करके माननीय नारायण दत्त तिवारी ने बड़े व छोटे व्यापारियों को बहुत राहत पहुंचायी है और नौकरशाही की चपेट से इन्हें बचाया है। चाहे आप प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइये, सभी व्यापारी इस बजट की प्रशंसा करते हैं। 19.85 करोड़ का घाटा भी है लेकिन उस घाटे में सबसे बड़ी चीज यह है कि नये टैक्स नहीं लगाये गये जबकि आवश्यकता इसकी है कि घाटे का व्यवस्था से छुटकारा पाया जाय और उसको जितना कम हो रखा जाय क्योंकि इससे मुद्रास्फीति होती है और मुद्रास्फीति का ही दुष्परिणाम है कि कीमतें बढ़ी हैं। जब कहा जाता है कि इसकी वजह से ही विश्व भर में कीमतें बढ़ी हैं तो उधर बैठने वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी मिशाल शक्कर है।

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ अपने सुझाव भी तो दीजिये।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

आज शक्कर हम अपने देश से काफी तादाद में बाहर भेज रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि और देशों की शक्कर की कीमत से हमारे यहां की शक्कर की कीमत कम है जबकि कुछ समय पूर्व हमारे यहां की शक्कर की कीमत अन्य देशों में शक्कर की कीमत की तुलना में कहीं अधिक थी। सेल्स टैक्स के मामले में छोटे व्यापारियों की सीमा जो 12 हजार रुपये तक थी उसको बढ़ा कर 25 हजार रुपया कर दिया गया है और इस तरह से उनको राहत पहुंचायी गयी है। भ्रष्टाचार को दूर करने की जहां तक बात है, उसको दूर करने का प्रयत्न किया गया है। कांग्रेस सरकार हमेशा इसके लिये प्रयत्नशील रही है कि जितनी जल्दी हो सके और जितने कारगर ढंग से हो सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया जाय। अभी हाल ही में लोक आयुक्त नियुक्त करने की जो व्यवस्था की गयी है, वह भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में ही एक ठोस कदम है। कौन नहीं जानता कि पिछले साल मुनाफाखोरी और तस्करी को रोकने के लिये ही मीसा का निर्माण किया गया और उसके अन्दर ऐसी व्यवस्था की गयी है कि मीसा के अन्तर्गत जो गिरफ्तार किये जायं उनकी जमानत न हो। तो उधर के बैठने वाले लोगों की पार्टियों ने इसका विरोध किया था। किसकी हमदर्दी कर रहे थे यह लोग इसका विरोध

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]

करके। एक सही कदम जो उठाया गया उसका भी विरोध किया गया। तो यहाँ खाली कोई बात कह देने से या आलोचना करने से कोई काम बनने वाला नहीं है।

जहां तक बजट का सवाल है इसमें विद्युत, सिंचाई, कृषि के लिये बड़े तौर पर व्यवस्था की गयी है और यही तीन चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति की नींव बनाने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हमारी तरफ के माननीय सदस्यों ने कहा कि जब तक विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत वितरण पर ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक कोई विशेष राहत इस प्रदेश को मिलने वाली नहीं है। आज स्थिति यह है कि विद्युत परिषद् के कागजों पर कटौती के घंटे दिये हुये हैं पर वास्तविकता यह है कि जो सूचना कागजातों में दी गयी है, कि इतने घंटे बिजली नहीं मिलेगी, तो वह बात नहीं है। जितना कागजों में है उससे कहीं ज्यादा घंटे बिजली गायब रहती है। मैं फर्रुखाबाद से आता हूं। पिछले दो महीने से मैं देख रहा हूं कि उद्योगों को और कृषकों को और उद्योगों से सम्बन्धित काम करने वाले, व्यापारियों एवं अन्य वर्गों को बिजली न मिलने से परेशानी हो रही है। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली गायब रहती है। वहां के नागरिक और जन प्रतिनिधि जब बिजली अधिकारियों से बातें करते हैं तो वह कहते हैं कि हम भी तो अंधेरे में बैठे हुये हैं। इसके अलावा कभी 'पनकी' या किसी कन्ट्रोल का बहाना बता देते हैं। सारा फर्रुखाबाद पिछले दो महीने से अंधेरे में पड़ा हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत उत्पादन के साथ-साथ यह प्रयास होना चाहिये कि विद्युत का सही वितरण हो ताकि जनता को और सभी कल-कारखानों को राहत पहुंच सके।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि इस बजट में लघु हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने का भी जिक्र किया गया है। बड़े-बड़े उद्योगों में काफी पैसा लगता है और अपेक्षाकृत कम लोगों को रोजगार मिल पाता है तथा रिटर्न भी कम आता है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अनेकों चीजें जो हाथ से निर्माण की जाती हैं उन पर से सेल्स टैक्स का भार हटा देना चाहिये। ऐसे ही पीतल के बरतन बनाने का काम है। अकेले मेरे फर्रुखाबाद में 5-6 हजार आदमी इस उद्योग में लगे थे। दूसरी जगहों पर भी काफी आदमी इसी तरह से लगे होंगे। लेकिन ये सब सेल्स टैक्स के शिकार हैं। सेल्स टैक्स के भार की वजह से पीतल के बरतन बनाने वालों की संख्या 5-6 हजार से घट कर 3 सौ 4 सौ रह गयी है। इसलिये मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ से बने बरतनों पर से सेल्स टैक्स हटा लिया जाय। इससे एक तरफ तो इस उद्योग में प्रगति होगी और दूसरी तरफ काफी लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा तथा सरकार को भी अधिक आर्थिक हानि नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि समाज कल्याण की तरफ और ज्यादा ध्यान दिया जाय; और ज्यादा से ज्यादा लोगों को निराश्रित, विधवा व वृद्धावस्था पेंशन दिलाई जाय। लगभग 21 हजार लोग इससे लाभ उठा रहे हैं लेकिन फिर भी अभी यह सुविधा और लोगों को मिलनी चाहिये। सरकार ने व्यवस्था की है कि जिलाधिकारी अब इसकी स्वीकृति करेंगे तो मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वर्ष 1975-76 से यह आदेश लागू हो जाय। जिससे जिलाधिकारी पेंशन स्वीकृत कर सकें। क्योंकि इन वृद्ध लोगों में दौड़ने घूमने की ताकत

पहले जैसी नहीं रह जाती है और कभी-कभी इनके प्रार्थना-पत्रों पर तब निर्णय हो पाता है जब वह स्वर्गवासी हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इसकी स्वीकृति में कम समय लगे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य समाप्त करें। समय हो गया है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। इसी तरह से बड़े-बड़े निगम बनाये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हाथ कपड़ा छपाई उद्योग भी एक ऐसा उद्योग है जिसका विकास नहीं किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह काफी सहायक सिद्ध हुआ है। फर्रुखाबाद में ही 3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हाथ कपड़ा छपाई उद्योग से अर्जित की जाती है। इसलिये मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हाथ कपड़ा छपाई उद्योग विकास निगम बनाने की व्यवस्था करें क्योंकि मान्यवर, इस उद्योग में 50 हजार लोग लगे हुये हैं। इससे उनको सुविधा मिलेगी और साथ-साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल्टीज भी बढ़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने इस बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हम सब जन प्रतिनिधि इस विधान सभा में जो चुनकर आये हैं चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों उनकी अहम जिम्मेदारी यह है कि इस प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने नियम बनावें और उस रास्ते पर चलें जिससे जनता को राहत हो। जिस प्रकार गर्मी में तपती धूप में सूरज पानी को सोखता है और बारिश में पानी को देकर लोगों को राहत पहुंचाता है। जिस प्रकार प्रकृति में सूरज का काम है वही काम इस विधान सभा का है। लेकिन खेद है कि इस सरकार का गरीबों को राहत पहुंचाने का जो तरीका है वह बड़ा ही असंतोषजनक है। इन्सान की सबसे बड़ी समस्या खाने की होती है। बराबर यह अखबारों में और हर भाषणों में तथा सरकारी पक्ष के नेताओं के भाषणों में यह बात आती रहती है कि खेती को प्राथमिकता देने से हमारा मौजूदा आर्थिक संकट मिटेगा। लेकिन इस बजट को देखने के बाद बड़ी निराशा हुई और जो नीति चल रही है वह भी एकदम इस जनतन्त्र के विरुद्ध है। देहातों में अन्न का संकट मौजूद है और वहां 2-3 वक्त गन्ने के रस और आलू पर लोग गुजर कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में इनकी संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। जहां बाढ़ आयी थी वहां सरकार ने बाजरा, ज्वार और मक्का दिया था वह इतनी कम मात्रा में कि 2 महीने के बीच एक परिवार में किसी को 4 या 6 किलो तक। दो महीने में मोटे अनाज के नाम पर यही गल्ला दिया गया। अब सवाल यह है कि कृषि की बात कर रहे हैं लेकिन पुरानी नीति में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है कि जिससे दिखाई पड़े कि खेती की पैदावार बढ़ेगी।

आपने उर्वरकों के दाम बढ़ा दिये, बिजली और सिंचाई की दरें बढ़ायी गयीं लेकिन गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। गन्ने का मूल्य वही रखा जो कि पिछले साल था जबकि खाद के रेट 53 से 104 रुपये कर दिये गये। इस प्रकार आप खेती से पैदावार

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

की चीजों के दामों को बढ़ने से रोकेंगे और अपनी चीजों के दामों को बढ़ायेंगे। तो इस प्रकार किसानों को कम कीमत दिलाकर यह सरकार सोचती है कि हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन वास्तव में यह नहीं है। इस प्रकार किसानों का उत्साह गिरता जा रहा है। आप सोचते हैं कि 28 प्रतिशत ही किसान मौजूदा लेवी की नीति से प्रभावित होंगे जबकि 70 प्रतिशत किसान हैं और 10 प्रतिशत मजदूर हैं जो कि पौष्टिक आहार चाहते हैं। लेकिन खेद है कि यह सरकार कभी इस बात की चिन्ता नहीं करती है कि जो सबसे गरीब और पिछड़े हैं उनको भी खाने के लिये अच्छा अनाज दिलाने की व्यवस्था करें।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

उनके भी दिल में हम सन्तोष की बात करें। सरकार के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि किसानों का बहुमत लेवी से मुक्त हैं। यह सही है लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना चाहिये कि वह जो बहुमत है वह इस वक्त क्या खा रहा है। आप सोचते हैं कि 28 प्रतिशत से जबरदस्ती गल्ला वसूल कर लेंगे, इससे बाकी लोग खुश होंगे तो ऐसी बात नहीं है। बाकी लोगों के लिये जब तक आप कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उनको संतोष नहीं होगा। बड़े किसान, 28 प्रतिशत किसान तो अपनी रोटी रोजी के लिये कुछ न कुछ करते रहते हैं लेकिन समस्या उन लोगों की है जिनके पास अन्न पैदा नहीं हो रहा है और इस बात को सरकार भी मानती है। उनके लिये सरकार द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जो गल्ला है वह शहर में दिया जाता है लेकिन गांव में रहने वाले कृषक मजदूर को नहीं दिया जाता। इसलिये मान्यवर, इस बजट से जो निराशा पहले से लोगों में व्याप्त थी उसमें कोई कमी नहीं हुई है। जो गरीब लोग हैं उनको इस बजट में कोई नई आशा की ज्योति नहीं मिली है। आपने कुछ वर्गों को जो कि हड़ताल कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं आपकी नीति के विरुद्ध उनको खास कर शहर में रहने वाले व्यापारियों को कुछ बिक्री कर में छूट देकर राहत की है। लेकिन किसान जो कि न तो हड़ताल कर सकता है और न प्रदर्शन कर सकता है, उसको कोई राहत नहीं दी है और न ही उनके बारे में कुछ सोचा है। इसी प्रकार जो सबसे कम मजदूरी पाने वाले लोग हैं उनके बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। दूसरी मुख्य समस्या कपड़े की है। आज देहात में यह हाल है कि गरीब घरों की बहू बेटियां चिथड़ों में लिपटी घूम रही हैं। जो सरकारी सस्ती दुकानों से कपड़ा मिलता है वह तीन महीने में एक बार मिलता है और वह भी कभी पांच मीटर तो कभी तीन मीटर मिलता है। यह कपड़ा भी ऐसा होता है जिसका कोई सदुपयोग नहीं किया जा सकता।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार के दिमाग तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी जो मुख्य समस्या अन्न और वस्त्र की है उसके बारे में इस बजट में कुछ नहीं दिखाई देता। लिहाजा यह बजट 80 प्रतिशत लोगों के लिये नहीं है। जहां तक प्रशासन की बात है, आपका पुलिस विभाग एकदम से निकम्मा हो चला है। उसके दिमाग में एक ही बात है कि हम सरकारी पक्ष के लोगों को खुश करके अपनी तरक्की करा सकते हैं, गरीब जनता का धन चूस कर अमीर बन सकते हैं। पिछले 1972-1973, 1974 के अगर आंकड़े देखें तो हमारे जिले में कत्ल, डकैती जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। गोरखपुर शहर में और जिले में अपराधों में बेताहाशा वृद्धि हुई, लेकिन थाने पर रिपोर्ट

नहीं लिखी जाती। अभी हाल में 10 तारीख को एक व्यक्ति, राजमल की शाम को 6 बजे हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी 7 बजे जब थाने पर रिपोर्ट लिखाने आई तो थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी। उसे एस0 पी0 का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकार अपराधों को रोकने वाले ही अपराधियों के साथ मिलकर कत्ल, डकैती, बलवे में शिरकत करते हैं और पूरा प्रशासन ठप है, एवं जनता भी सुरक्षा का अनुभव नहीं कर रही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी विचार-धारा में परिवर्तन लावे जिससे आम-लोगों को यह महसूस हो कि जनता का राज्य है, जनता के लिये है और जनता द्वारा है। लेकिन आज तो सिर्फ यही महसूस किया जा रहा है कि यह राज्य अफसरों का है, अफसरों के द्वारा है और मात्र अफसरों के लिये है। इस परम्परा को कम से कम मिटाने की बात सत्ता पक्ष के लोगों को करनी चाहिये जिससे हम लोगों को भी राहत मिले और जनता को भी।

देवरिया जिले में एक कोठी खरीदे जाने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

परिवहन मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)––

मान्यवर, कल मैं यहां मौजूद नहीं था। लेकिन आज जब मुझे यह बात मालूम हुई कि श्री गिरजा शंकर पाठक जी ने किसी जमीन के सिलसिले में तस्किरा किया था, तो मैंने उचित समझा कि मैं उसकी सफाई कर दूं। यह मान्यवर रजिस्टर्ड चीज है 22 सितम्बर की, मेरे मिनिस्टर होने के डेढ़ महीने पहले का कागज है और मैं यह कागज रऊफ साहब को दे रहा हूं ताकि वह इसको देख सकें। लेकिन मान्यवर, तकलीफ इस बात की भी हुई कि माननीय सदस्य ओझा जी को भी यही भ्रम हुआ और इत्तिफाक से यह उस जमीन को देखने गये। हो सकता है कि यह असलियत न बयान करें क्योंकि पार्टी के लोग नाराज हो जायेंगे, लेकिन मैं उनकी ईमानदारी की अपील करूंगा कि जब वह भाषण दें जो कुछ उन्होंने देखा हो उसको इस ईमानदारी के साथ इस सदन में बता दें कि क्या कोई बेईमानी हुई है, क्या स्टाम्प ड्यूटी बचाई गई है, या सीलिंग की जमीन है और उस जमीन की नवैयत क्या है।

मान्यवर, कुछ मित्रों से मिलकर इस पर खांडसारी यूनिट के बारे में सोचा गया, लेकिन बाद में यह आइडिया ड्राप कर दिया गया क्योंकि पोलिटिकल आधार पर कोई कम प्राइस नहीं देगा खांडसारी को। मान्यवर, यह ऊबड़-खाबड़ जमीन है और अगर खांडसारी लगाने की बात न होती तो इसको खरीदने की कोशिश ही न की गई होती। अगर जो भी बातें मैंने कही हैं उसमें अगर रत्ती भर पर गलत हो कि कीमत कम है–या सीलिंग की है, या पैसा न दिये जाने वाली बात है, इस सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने पूछ-तांछ की है, और अगर इसमें गलती हो तो मैं इसी वक्त इसी सदन में अपना इस्तीफा दे दूंगा एक क्षण की भी देरी न होगी। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य, जैसा कि उनका आत्मबल है, गौरव है, इसमें जो भी असलियत है बतायेंगे किसी कहने और सिखलाने में न जायें। मैं श्री ओझा जी से निवेदन करूंगा कि धर्म और ईमानदारी के नाम पर सच्ची बातें कहें। यह रजिस्टर्ड डीड मैं श्री रउफ साहब को भेज रहा हूं क्योंकि यह बगल के रहने वाले हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने मेरा नाम लिया इसलिये मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरा स्पष्टीकरण यह है कि जैसा उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी वालों को बुरा लगेगा, लेकिन माननीय मन्त्री जी सोशलिस्ट पार्टी का हर कार्यकर्ता जो सच्ची बात है वही कहेगा चाहे कोई नाराज हो या खुश इसलिये जो बात सही है वही मेरी पार्टी का भी दृष्टिकोण है। यह सही है कि तमाम चर्चायें इस सदन में हुईं उस फार्म को लेकर। चूंकि पांडेय जी के विरुद्ध लड़ने वाले हमारे भी एक साथी थे जो शानदार लड़ाई लड़े किन्तु हार गये। हमारी एक मीटिंग थी जिसमें मुझे वहां जाने का मौका मिला था। मैंने सोचा कि उस फार्म को भी देख लूं और संयोग से पांडेय जी भी वहां मौजूद थे। वह फार्म की जमीन साढ़े 8 एकड़ की आबादी की जमीन है। वह सीलिंग की जमीन नहीं है एक बहुत बड़े कारखाने वाले रहते थे उनका वहां मकान था उन्होंने उस जमीन को लिया है। जो मैंने कहा है वही मेरी पार्टी का दृष्टिकोण भी है और पार्टी ने इस मामले में दूसरी बात नहीं कही है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी देवरिया में हर चीज को अच्छी तरह से जानती है।

1975-76 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष जी, सन् 1975-76 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। सदन के हर माननीय सदस्य को यह मालूम है कि यह जो हमारा बजट पेश हुआ है वह हर तरह से जनता को सुविधा पहुंचाने वाला है और बहुमुखी विकास के लिये प्रयास किया गया है और कृषि, बिजली अथवा कोई भी राहत का कार्य नहीं है जिसमें उसका समावेश न हो। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसके सम्बन्ध में विरोधी दल के सदस्यों ने तथा इधर के सदस्यों ने भी कहा जिन पर इस सरकार को सोचना ही होगा। हमारा बजट कितना बड़ा क्यों न हो, कितना ही उपयोगी क्यों न हो लेकिन हमारी मशीनरी जो उसको अमल में लाने में रुकावट डालती है, जो लूट खसोट होती है, किसान को जो परेशानी होती है उस बारे में सरकार को सुनना चाहिये और अगर सरकार नहीं सुनती है तो जो स्कीमें सरकार चला रही है उनको सफलतापूर्वक चलाने में कठिनाई होगी। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये साधन जुटाये जा रहे हैं। उसके लिये मूल चीज बिजली है लेकिन उसका बड़ा संकट व्याप्त है। उस संकट के समय में भी सरकार की ओर से जो आश्वासन दिया जाता है कि वह इतने घंटे बिजली देगी उसका पालन नहीं किया जाता है। आश्वासन के बावजूद बिजली का कर्मचारी किसान को बिजली देने की बात नहीं सोचता है। बिजली का कनेक्शन दिया गया, किसान खेत पर जाता है लेकिन बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। हर महीने उसे एक नोटिस पहुंच जाता है कि 15 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से इतना रुपया जमा करना है। वह अगर जमा नहीं करता है तो कनेक्शन कट जाता है। लिहाजा किसान की मेरहबानी करके एक निश्चित समय के लिये बिजली दी जाय।

बिजली के साथ-साथ हमारे यहां शारदा कैनाल की बड़ी प्रायोजना चल रही है और उसकी शाखा जौनपुर जिले में जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक ब्रांच

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है जो गोरा बादशाहपुर से गोमती तक मिलाने के लिये योजना है उसे वहां न मिला कर दूसरी जगह गंगा नदी में पिसारा से उत्तरी तरफ आजमगढ़ जिले में मिला दिया जाय। कारण यह है कि वहां पर ट्यूबवेल्स तथा पंपिंग सेट्स की संख्या काफी अधिक है। वहां नहर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पानी को गिराने के लिये यह जो ब्रांच जा रही है उसे आजमगढ़ जिले में गंगा नदी में मिला दिया जाय और उसे गंगा नदी मे मिला दिया जाय तो अति उत्तम होगा। वहां के किसानों ने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र भी दिया है कि वहां पर नहर न जाय। इस सम्बन्ध में सरकार ध्यान दे। जहां तक ट्यूबवेल का सवाल है। गांवों को ट्यूबवेल से पानी मिलता है लेकिन गांवों के लोग चाहते हैं कि ट्यूबवेल के साथ डीजल इंजन लगायें। उससे यह होगा यदि वहां बिजली न भी रहे तो इन डीजल इंजनों के द्वारा जो ट्यूबवेल के साथ लगे हों किसानों को पानी मिल सके। वह काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

जहां तक उद्योगों का सवाल है। ग्रामीण आंचल में उद्योगों की बात कही जाती है। लेकिन हमारे पूर्वी जिले जौनपुर में कोई भी छोटा-मोटा उद्योग नहीं है जिससे लोगों को राहत मिले। अगर ग्रामीण अंचलों में इस तरह के जैसे हथकरघा है, चरखा है—छोटे-मोटे उद्योग लगाये जायं तो किसानों को ज्यादा राहत मिल सकती है। ऐसी मेरी भावना है। पिछले साल के बजट में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कई योजनायें सड़क बनाने के लिये तैयार की गई थीं। कोई भी सड़क पूरी नहीं की और केवल मिट्टी उसमें डाली गई। उनको आगे तैयार करने के लिये कोई बजट में इस साल प्राविधान नहीं किया गया है। इस साल पानी आने की वजह से वह मिट्टी भी बह गई। इसलिये इन सड़कों को बनाने के लिये बजट में पैसे का प्राविधान होता तो अति उत्तम होता।

गांवों में पीने के पानी की कठिनाई को देखते हुये पेय-जल योजनायें बनाई गई थीं और उसके लिये पाइप लगाये गये थे। आज हालत यह हो गई है कि वह सब पाइप पानी में डूब गये हैं। कहीं पर भी उनका प्रयोग हो नहीं पाया है। इन पाइपों को निकालने की व्यवस्था की जाय और दूसरी जगह उनको लगाया जाय जिससे गांवों में पीने के पानी की असुविधा न हो।

परिवहन के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जौनपुर से मंदपुर-मोहनाजपुर के बीच सरकार की 22 बसें चलती थीं। आज हालत यह है कि इस रूट पर केवल 6 बसें चल रही हैं। इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया है और कहा जाता है कि इसके लिये निगम जाने। निगम इस ओर कतई ध्यान नहीं देता है। जब कि आज भी उस क्षेत्र में बिना लाइसेन्स के 28 बसें चल रही हैं। कहा जाता है कि उसमें सरकार को घाटा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जिनके पास लाइसेन्स नहीं है उनको क्यों लाभ हो रहा है और निगम को क्यों हानि हो रही है। इस सम्बन्ध में सरकार को देखना चाहिये। निगम के जो लोग हैं वे मिले होते हैं जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। इस ओर भी सरकार ध्यान दे।

हरिजनों के बारे में दोनों पक्षों की ओर से कहा जाता है उनकी सरकार कुछ मदद नहीं करती है। आज के युग में हरिजनों के लिये सरकार ने काफी कुछ किया है। निसन्देह वे आगे बढ़ रहे हैं। आज भी गरीबी का सामना वह कर रहे हैं। आज भी

[श्री राम समझावन]

अधिकतर पीने के पानी के साधन नहीं हैं। गांवों में पीने के पानी की समस्या उनके लिये है। कई हरिजन बस्तियों में जहां पर सरकारी कुएं नहीं हैं, वहां उन्हें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। .....

(एक सदस्य के बीच में खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य बोल रहे हों, उनके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री राम समझावन—

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उन गांवों की एक लिस्ट बनावे जहां पीने के पानी की सुविधा हरिजनों को नहीं है और उन्हें ऐसी सुविधा पहुंचावे तो अति उत्तम होगा।

जहां तक पुलिस का सवाल है, इस सम्बन्ध में अनेकों बातें कही जाती हैं लेकिन कई आंखों देखी बातें सामने आती हैं? जौनपुर जिले में खुज्झी मोड़ स्थान पर एक घटना घटी बताया जाता है कि वहां पर लड़कों ने उत्पात किया है और उसके फलस्वरूप वहां पर गोली भी चली। बताया गया कि लड़कों की तरफ से कट्टा चलाया गया। यह बिल्कुल असत्य है। सरकार जांच करे और जो भी दोषी पाया जाय उसको सजा दी जाय।

शिक्षा के बारे में भी इसमें प्राविधान किया गया है लेकिन आज शिक्षा के सम्बन्ध में इस प्रकार के समाचार मिलते हैं अखबार में भी आते हैं कि हर यूनिवर्सिटी और कालेज बन्द हैं। उनमें पढ़ाई लिखाई बन्द है। तो उसमें किसका दोष है? मैं समझता हूं कि शिक्षा के बारे में यदि आवश्यकता हो तो उसके कार्यक्रम को बदला जाय। लड़कों को इस ढंग से पढ़ाया जाय कि उनका सार्वजनिक जीवन सफल हो ऐसी पढ़ाई-लिखाई न हो कि वह क्लर्क बने। जहां तक अनुशासन की बात है उसमें कड़ाई बर्ती जाय।

पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं कि जितनी गांव सभा की जमीन है जिसे कहा जाता है कि गरीबों में बांटा जाय, भूमिहीनों में बांटा जाय लेकिन वह आज हो नहीं रहा है। ऐसे लोगों को ही जमीन बांटी जा रही है जोकि भूमिहीन नहीं हैं जिनके पास भूमि है लेकिन बाप के नाम से है और जमीन लड़के के नाम पर दी जाती है। तो इस तरह से भूमिहीनों को लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह भूमि भूमिहीनों को दी जाय। इन शब्दों के साथ यह जो बजट पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं और समझता हूं कि सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए कि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जायेगा।

श्री भीखम (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं एक वर्ष के बाद मुझे आज मौका मिला।

श्री अध्यक्ष—

एक वर्ष के बाद मौका लिया।

श्री भीखम—

अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष के अनुभव के बाद मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश हुआ है इसमें अच्छाई का आनन्द अच्छों को मिला गरीबों को बुराई मिली है। क्योंकि 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में और फिर 1975-76 में बजट पेश हुए लेकिन इससे कोई लाभ गरीबों का होने वाला नहीं है। यह बजट जो है अमीरों और बड़े

आदमियों के पास गया है। श्रीमन् यह मेरा अनुभव है कि एक रोज मैं कमरे में सोया था रजाई और कम्बल ओढ़ कर तो लोगों ने बाहर से फाटक भड़भड़ाया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो जब मैं जगा तो मालूम हुआ कि बारिश हो रही है। तो कमरे में मालूम नहीं हुआ। इसलिये अनुभव है कि जो बंगलों में मिनिस्टर रहते हैं उनको कहां अनुभव होता है कि आज गांव में क्या हो रहा है। यह भी मालूम हो रहा है कि हमारे मिनिस्टर लोग अपने मन से कोई बात नहीं कहते हैं उनके पास अधिकारियों से जो रिपोर्ट आती है उसी को वह पेश करते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग गांवों को भूल गये हैं जब कि सभी गांव के रहने वाले हैं। अगर ऐसी दशा है तो फिर देश का भला होने वाला नहीं है यह देश चौपट होने वाला है। श्रीमन् 18 मार्च से पहले 2+2=चार होता था, लेकिन अगर यह असंसदीय न हो तो मैं कहूंगा इसमें 2+2=5 बनाने की कोशिश की जाती है। तो इससे देश का भला नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष––

यह तो बढ़ोत्तरी हो रही है।

श्री भीषम––

श्रीमन्, ऐसा है कि हरिजनों के बारे में उधर से भी और इधर से भी बहुत चीं-चीं मचाई जाती है लेकिन मैं कहता हूं कि कोई मन्त्री मेरे साथ चले और वह देखे। आज हरिजन अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा गुलाम हो गया है इनको निकलने का रास्ता नहीं है। कोई मन्त्री मेरे साथ बस्ती जिले को देखे। आज गांवों में हरिजन या खेतिहर मजदूर जो हैं वह फटे पुराने कपड़े पहने रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन को दो-दो और तीन-तीन वक्त बाद भोजन मिल रहा है? उनको रोटी का कोई इन्तजाम नहीं है। इस बजट में यह बात नहीं है उनको रोजी कैसे दी जायेगी। इसमें वजीफे की बात है, मकान की बात है, लेकिन रोजी कैसे मिलेगी यह नहीं है। श्रीमान् याद आता है गजा दाहिर का जमाना था 711 और 714 में दहिर का महल गिर गया, तो उसी तरह होगा कि यह इनका राजमहल भी गिर जायगा। बड़ी दुर्दशा है किसानों की गांवों में। अंग्रेजों के जमाने में देखा, कांग्रेस के प्रारम्भिक जमाने में देखा, मध्य और अन्त का जमाना भी देखा जा रहा है। लेकिन देश की और गांवों की दशा दिन प्रति दिन बिगड़ती चली जा रही है। मैं स्वयं गरीब हूं और गरीबी जानता भी हूं। यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन जब एक तरफ 2 रुपये 15 पैसे और दूसरी तरफ 5 रुपये चीनी के दो-दो भाव हैं तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा। जब सीमेंट वितरण के दो तरीके हैं––खुले बाजार में और परमिट से, तो इसमें भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा, यह तो खुली बात है। सन् 1967 से 1969 तक ब्लाकों में बिजली देकर सरकार ने अपनी लोकप्रियता बढ़ा ली, उस समय छोटे-छोटे किसानों ने 5-5, 7-7- लोगों ने मिलकर 10 हार्स पावर का लगवाया था, और आज वह बढ़कर 31 खानदान हो गये हैं। परिणाम है जमीन कम हो गई है उनके पास, अब 15 रुपया हार्स पावर उनको देना है, जो उनके लिये मुसीबत बन गया है। सरकार उनकी मोटर या तो खरीद ले या उनको 3-4 हार्स पावर के मोटर लगवाने का आदेश दे।

शिक्षा के बारे में कहना है, 7 जुलाई तक लड़के अनुशासित रहते हैं और 15 जुलाई, से अनुशासनहीन हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है इस पर ध्यान देना चाहिये।

[श्री भीषम]

मेरे विचार मे इसका सारा दोष स्कूलों मे व्याप्त पार्टीबन्दी का है। और जब लड़के देखते हैं कि पढ़ने के बाद भी बेकार रहेंगे, इसलिये वे अनुशासनहीन हो जाते हैं। अतः शिक्षा मे आमूल परिवर्तन होना चाहिये तथा व्यक्तिगत व्यवस्था वाले विद्यालयों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण होना चाहिये जिससे लड़के कन्ट्रोल में हो जाएं और उनको रोजी भी दी जा सके।

अभी सड़क के बारे में चर्चा चली है, एक लाख रुपया हमारे यहां राम जानकी सड़क के पेन्ट के लिये रखा गया था, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, तब मैंने श्री राज बहादुर चन्द्रजीत द्वारा इन्जीनियर से कहलवाया उसने कहा 15 फरवरी, 1975 से काम शुरू होगा। एक लाख रुपया खर्च हो गया, लेकिन आधा फर्लांग भी सड़क नहीं बनी। हमारे लघु उद्योग मन्त्री खलीलाबाद एग्रो में गये थे, लेकिन वहां उन्होंने यह नहीं देखा कि मजदूरों को मजदूरी क्या दी जाती है। डेढ़ रुपया 12 घंटे का दिया जाता है और जब वहां का मैनेजर चाहता है मजदूरों को मनमाने तरीके से हटा देता है। इस बारे में उनको उन लोगों से पूछने का मौका नहीं मिला। हमारे जनपद बस्ती मे कलवारी एक थाना है वहां पर एक परिवार के चारों आदमियों का कत्ल हो गया, रपट लिखवाने वाला भी कोई नहीं रह गया। लेकिन इतनी बड़ी बात पर भी सरकार की तरफ से कोई चीज नहीं आई।

इसी सन्दर्भ में एक बात और मुझे बेसिक शिक्षा के बारे में कहनी है। बेसिक शिक्षा को जिला परिषद् में लाया जा रहा है, जिससे शिक्षा चौपट हो जायेगी और वहां राजनीति का अखाड़ा हो जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा भी निम्न स्तर की हो जायेगी। आज स्कूलों में शिक्षा घटिया किस्म की है वह और भी बदतर हो जायेगी। इसलिये इस बजट सत्र में बेसिक शिक्षा को जो जिला परिषद में लाने की बात की जा रही है, वह नहीं होना चाहिये, उससे देश के साथ कोई अच्छाई नहीं होने वाली है।

अब थोड़ा सा जिला बस्ती पर भी प्रकाश डाल देता हूं। सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में सीमेन्ट एक-तिहाई आती थी। फिर भी ब्लैक में सीमेन्ट का दाम 24 रुपये था। और इस समय सीमेन्ट तीन गुना बढ़ गयी है लेकिन 24 रुपये बोरी सीमेन्ट की खुले बाजार बिक्री हो रही है खलीलाबाद और बस्ती में। जिलाधीश से कहा गया, तहसील-दार से कहा गया। लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद राजस्व मन्त्री से सिफारिश करूंगा कि वह जो गांव देखना चाहते हों देखें। 50 फीसदी हरिजन अन्त तक अपने परिवार के अन्त तक गुलामी से छुट्टी नहीं पा रहे हैं।

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1975-76 के अनुमानित बजट जो हमारे वित्त मन्त्री ने सदन के समक्ष पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक साल गुजर गया इस सदन का, पूरी वर्ष गांठ हो गयी। एक वर्ष में सभी लोग कहते हैं चाहे उस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों, काम कम हुआ लेकिन पूरा वर्ष शान्ति के साथ गुजर गया। यह भी हमारी सरकार की खूबी है। दूसरा वर्ष जो आया है, इस बजट को पढ़ते हैं तो इस पर हर तरफ कुछ न कुछ काम दिखलाया गया है। लेकिन इस किताब में लिखने से काम बनता नहीं है। एक बात सुन कर मुझे कुछ गड़बड़ मालूम हुआ। एक सज्जन ने कहा कि मन्त्री लोग जांच किया करें। पाण्डेय जी ने कहा कि कारपोरेशन है हम जांच नहीं

करेंगे। जब सब कारपोरेशन हो जायेंगे और जांच ही नहीं होगी तब बजट ही बेकार हो जायेगा। कारपोरेशन की जांच करनी चाहिये। जिस पर आपका सीधा ऐक्शन न हो उस पर सरकार का भी ऐक्शन नहीं होगा तो सारा का सारा मामला गोल हो जायगा।

बिजली कारपोरेशन के बारे में सारे लोगों की राय है कि वह इतना गया-गुजरा विभाग है कि उसका हिसाब-किताब है ही नहीं। अगर उसकी जांच नहीं होगी जो ट्रान्सफार्मर चोरी कर लेता है, घपला करता है, जो माल का डेमरेज देता है, ट्यूबवेल को बिजली नहीं देता है, जब दो रोज बाद बिल भेजता है और डेमरेज दो रोज पहले का चार्ज कर लेता है अगर उसकी जांच न हुई तो सारा प्रदेश घपले में पड़ जायगा। बिजली सूरज डूबने के बाद नहीं देता, किसान के पास मिट्टी का तेल नहीं है, पांच मिनट या आध घंटे, जो बिजली उनके पास हो समय से देनी चाहिये। लेकिन किसान समझ ही नहीं पाता है कि बिजली किस दिन और कैसे मिलेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारा जिला तो पिछड़ा हुआ जिला है। केवल खेती का जिला है। कुछ पुरानी चीनी की मिलें हैं। वह भी ठीक काम नहीं कर पाती हैं। उद्योगों का कोई सवाल नहीं है। केवल हमारे यहां खेती होती है। प्राइवेट ट्यूबवेल लगे हुये हैं लेकिन बिजली नहीं मिलती है। इसलिये किसानों को बड़ी भारी परेशानी है। सरकार ने जो बिजली के ऊपर 15 रुपये प्रति हार्स पावर लगा दिये हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि किसान कनेक्शन नहीं ले पायेगा। इसलिये इस फीस के लगाने से सरकार को कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि खाद के दाम बहुत महंगे हैं। पानी के दाम बढ़ गये हैं। बिजली मिलती नहीं है और किसानों से कहते हैं कि अपना गेहूं 105 रुपये क्विन्टल के हिसाब से दो, जबकि उसकी लागत 125 रुपये क्विन्टल पड़ती है। मैं कहता हूं कि आप उसको ये सब चीजें सस्ती कर दीजिये और 100 रुपये क्विन्टल के हिसाब से गेहूं ले लीजिये। पिछली साल आपने खाद को सस्ते दाम पर दिया था और गेहूं के बदले में किसान को सीमेन्ट आदि दिया था। लेकिन इस साल आपके पास किसान को देने के लिये कोई चीज नहीं है जो आप उसको दें और किसान आपको उसके बदले में गेहूं दे। जब उसकी लागत 125 रुपये पड़ती है तो किसान कैसे 105 रुपये में गेहूं दे सकता है। किसान से आप गेहूं ले लेंगे तो गांवों में भी गेहूं तेज हो जायेगा और गांव का मजदूर गेहूं कहां से पायेगा? इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिये।

ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। जैसे बुन्देलखंड पहाड़ में योजनायें हैं उसी तरह से पूर्वी जिलों के लिये भी योजनायें बनाई जायं। अगर आप पूर्वी जिलों को मन्त्री नहीं देते तो सड़कें तो दीजिये। जहां लघु उद्योगों की बात है वह यह है कि हमारे यहां एक सूती मिल खुलने वाली थी। लेकिन पता नहीं कब उसका शिलान्यास होगा? कोई कहता है कि वह गोरखपुर जायेगी और कोई कुछ कहता है। बस्ती के पास जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है वह ऐसा क्षेत्र है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां कुआं नहीं है, नल नहीं है आप हरिजनों की बात करते हैं। एक स्कीम ऐसी चलाइये कि जो सुविधायें हरिजनों को दी गई हैं अगर कोई कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर उनको न दे

[श्री राम समुझ तिवारी]

उसको लखनऊ सचिवालय कोल्ड स्टोरेज में लाकर छोड़ दिया जाय। बस्ती से मैं 60 मील दूर का रहने वाला हूं। वहां से आदमी मुकदमों के लिये बस्ती आता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हमारे यहां नौगढ़ में एक मुंसिफ मैजिस्ट्रेटी दिया जाय। कुछ तो हमको सहारा दिया जाय। बाढ़ आई तो स्वामी प्रसाद सिंह मन्त्री जी हमारे यहां गये। उन्होंने जांच की और 2/4 को मुअत्तिल किया लेकिन गरीबों के पेट में कुछ नहीं गया। तमाम खर्चे किसान के ऊपर लगे हुये हैं, जैसे कर्जा है, लेवी है। अगर हम 3 1/4 एकड़ बोयें तो आप कुछ नहीं लेते हैं लेकिन अगर साढ़े तीन एकड़ बो दें तो लेवी लेंगे तो यह कहां का न्याय है। अरे भाई साहब यह कहां की अकल है ?

(मेजें थपथपाई गयीं)

सभी पक्ष के लोग तो गरीबों के वोट से चुन कर आये हैं। कैसा इधर, कैसा उधर ? हमारे भाई कहते हैं कि 12 हजार के बजाय, 25 हजार पर बिक्री-कर लगा, लेकिन उनको तो कुछ दें जिन पर टैक्स लगाया है। अरे भाई मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते हो ? चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में क्या दिक्कत है ? मैं भाई ओम प्रकाश जैसा होशियार हूं नहीं। मैं कहता हूं कि भूखे भजन न होइ गोपाला, अपना ले लो कन्ठी माला। अगर सरकारी चपरासी 300 रुपये और 400 रुपये पाता है तो विधायकों को भी कुछ थोड़ा बहुत सुविधा पहुंचाइये।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष--

अब कोई आज बोलने के लिये तैयार नहीं है, अब हम आगे चलते हैं।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बजट भाषण पर बोलने के लिये मौका दिया है मैं इसके लिये आभारी हूं। यह सरकार जो यह कहती है कि हम इधर उत्तर प्रदेश में अमन-कानून बनाये हुये हैं, गलत है। आज बांदा के अन्दर में दिन-दहाड़े लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इस जिले में एक पपस्वनी डाईवरसन स्कीम है जिसमें कम से कम ढाई-3 हजार मजदूर वहां पर काम करते हैं, मैंने वहां पर टैक्सी से जाकर देखा, वहां के गुन्डों के द्वारा हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। मैंने कर्वी के कोतवाल से कहा। कोतवाल वहां पर मौके पर गये और वहां पर थोड़ी देर तक रुक कर लौट आये। इसके बावजूद 20 फरवरी को गुन्डों द्वारा हरिजन बस्ती में धावा बोल दिया गया है और वहां पर बन्दूक की नोकों से छाप लिया गया है। और उन लड़कियों को अपहरण करके गुन्डे लोग ले गये हैं और जब हरिजन रिपोर्ट लिखाने गये हैं, तो उनको थाने से डांट-फटकार कर भगा दिया गया। और दूसरी घटना 21 फरवरी की है कि हरिजन लड़कियां पानी भरने जा रही थीं तो गुन्डे गिरोह बन्द होकर आये और जब वह पानी भरने लगीं तो जो सुन्दर लड़कियां थीं उनको छांट कर अपहरण कर ले गये थे। उसके बाद जब इन सब बातों को अधिकारियों से कहा जाता है, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। बांदा का पुलिस प्रशासन हरिजनों की रक्षा करने में असमर्थ है। संघर्षों गांव से एक हरिजन लड़की को एक ठाकुर भगा ले गया, दरोगा को जांच करने के लिये कहा गया, दरोगा दो दिन तक थाने में लड़की को रखे रहे परन्तु फिर वह उसी ठाकुर को लड़की दे दी गयी। बाप को उस लड़की को नहीं दिया गया। इसके बाद और घटनायें हैं। मान्यवर, 31 जनवरी को राजापुर में जहां का मैं रहने वाला

हूं, वहां के सामन्तशाही श्री वीरेन्द्र प्रसाद रूपौलिहा कम से कम 50 आदमी जो बन्दूकों से लैस थे लेकर एक विधवा जो वहां के जायसवाल जाति की है, उसका घर गिरवा दिया। वह जब थाने पर रिपोर्ट करने गई, तो राजापुर का तिवारी दरोगा जो वहां के कांग्रेसियों का समर्थक है उसने 600 रुपये ले लिया था और दरोगा ने उस विधवा औरत की रिपोर्ट को नहीं लिखा। वह बेचारी मेरे पास आयी। पूरे राजापुर ने अन्याय के विरोध में बगावत कर दिया और 3 दिन तक राजापुर बाजार बन्द रहा। एक महिला के साथ अत्याचार हुआ। मैंने एस0 पी0 साहब से कहा तो उन्होंने कहा मैं उसका इन्तजाम करता हूं।

मान्यवर, आज यह प्रशासन है हमारे बांदा जिले का। हरिजन लड़कियों के कान्ड को डी0 आई0 जी0 महोदय झांसी ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि बांदा जनपद में दो रोज में एक लड़की का अपहरण किया जाता है। मान्यवर, डी0 आई0 जी0 महोदय ने यह भी स्वीकार किया है कि 9 महीने में 145 लड़कियों का अपहरण वहां किया गया है। लेकिन वहां का प्रशासन मौन साधे बैठा हुआ है। बांदा जिले में हरिजन लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है। पुलिस प्रशासन अपनी गलतियों को छिपाता है। लेकिन खरे साहेब ने स्वीकार किया है हरिजन लड़कियों के साथ बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। आज यह सरकार कहती है कि हम हरिजनों के हिमायती हैं तो मैं उस सम्बन्ध में आपके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि सन् 1971 में पी0सी0एस0 का एक्जामिनेशन हुआ उसमें कोई भी लड़का हरिजन सूटेबिल नहीं पाया गया। मान्यवर, सरकार का जी0 ओ0 हुआ है कि अगर हरिजनों द्वारा वैकेन्सी फिल अप नहीं होती है तो उनको कैरीआन करते रहना चाहिये। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और प्रशासन मौन साधे बैठा हुआ है। हरिजनों के विषय में कहा जा रहा है कि उनके लिये रिजर्वेशन है। मान्यवर, रिजर्वेशन किसमें हो रहा है, पुलिस में और चपरासियों में। हरिजनों को चपरासियों में रिजर्वेशन दिया जाता है मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन 50 प्रतिशत मिले हरिजनों को आई0 ए0 एस0 में और पी0सी0एस0 में, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। चपरासियों में इसीलिये रिजर्वेशन दिया जाता है कि हमारी प्लेटें धोयें।

मैं सभी हरिजन विधायकों से जो यहां पर चुनकर आये हैं अनुरोध करता हूं कि वे सब मिलकर यह प्रयास करें कि हरिजनों को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन मिले और 50 प्रतिशत रिजर्वेशन मिले। मान्यवर, आज यह स्थिति है हरिजनों की। मान्यवर, मैंने अपने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया है। जैसे ऐचवारा, सरैया, हनुवां, गड़चपा, मऊ, राजापुर, इटवा, हटवा, बड़गड़, मन्डौर, मुछौरा बरेठी, रुकमा खुर्द, रुकमा बुजुर्ग, मड़ैयन, हन्ना, छीवों, अहिरी इत्यादि। जहां पर हरिजनों को पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। वहां के तहसीलदार कानूनगो कहते हैं कि 150 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से हमें दो तब पट्टा करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। यह विषम परिस्थिति बांदा जिले की है।

आज बांदा जनपद में सूखा ही सूखा छाया हुआ है। विधान सभा में जब मैंने घास की रोटियां दिखाई थीं जो मऊ गुरदरी के लोग खाते हैं तो दो अधिकारी सरकार की ओर से मौके पर भेजे गये। वे मौके तक पर नहीं गये और खाना-पीना करके लौट आये और रिपोर्ट लिख दी कि मऊ गुरदरी में कोई भूख से नहीं मरा है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर उनका स्टेटमेन्ट झूठा न हो, जो उन्होंने दिया, तो मैं सदन से त्यागपत्र देने को तैयार

[श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा]

हूं। वे अधिकारी मऊ गुरदरी नहीं गये और झूठी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अभी हाल ही में बांदा जिले में 10 आदमियों की भूख के कारण मौतें हुई हैं। नकरौहा में 2 हरिजनों की मृत्यु हुई है, मऊ गुरदरी में एक, सिंहपुर में एक ब्राह्मण और एक हरिजन, भेंड़ा में 3 हरिजन, मुरका में 1 हरिजन और एकमाखुर्द में एक हरिजन की मृत्यु हुई है। अभी 3 दिन की बात है कि बांदा तथा कर्वी में किसानों का बहुत जोर का प्रदर्शन हुआ। बांदा की मऊ कर्वी तहसीलें और अन्य तहसीलों के लोग सूखे से पीड़ित हैं। 25 हजार जनता ने बांदा जिले के जिलाधीश को मांग-पत्र दिया। मैं स्वयं 10 हजार आदमियों के साथ कर्वी में वहां के एस0 डी0 एम0 को अपना मांग-पत्र दिया। उन्होंने पहले जनता से मिलने तथा मांग-पत्र भी लेने से इन्कार कर दिया था और कहा कि मैं मऊ जा रहा हूं। इसी प्रकार से 25 हजार जनता जब जिलाधीश के यहां गई तो जिलाधिकारी के चपरासी ने कहा कि वे यहां नहीं हैं लेकिन जब उस भारी भीड़ ने कहा कि हम कलेक्टरी में घुस कर कलेक्टर को घेर लेंगे और उसके बंगले को जला देंगे तो वे बाहर निकले और उन्होंने उनका लेवी विरोध मांग-पत्र लिया। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बांदा में लेवी लगाई गई तो 12 लाख की जनता जेलों को भर देगी। मेरा अनुरोध है कि सरकार बांदा जिले में, जो कि सूखे से पीड़ित है, लेवी न लगाये।

हमारे जनपद में जो सड़कें हैं, उनको बनवाने के लिये जब एस0 ई0 से कहा गया तो उन्होंने कहा कि इनका पुन: एलाटमेन्ट होगा बिना नोट लिये कोई काम नहीं होता। मैंने मुख्य मन्त्री जी से 2 सड़कों के लिये निवेदन किया कि वे उन्हें पी0 डब्ल्यू0 डी0 को स्थानान्तरित कर दें तो उन्होंने कर दिया। लेकिन वहां के एस0 ई0, श्री मार्गव कहते हैं कि मुख्य मन्त्री तमाम हो गये, हमें तो नोटों से मतलब है। मुख्य मन्त्री के आदेश को नहीं मानेंगे। तो श्रीमन्, इस प्रकार से सड़कों के लिये हमारे यहां पर जो रवइया अपनाया जा रहा है उसको समाप्त करने के लिये मेरी प्रार्थना है कि वहां के एस0 ई0, श्री मार्गव हैं, उनको तुरन्त हटाया जाय। अगर हमारे यहां की सड़कों का पुन: एलाटमेंट होता है तो हमारे इलाके की जनता सड़कों पर लेट जायगी।

श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सामान्य बजट के ऊपर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। इस बजट की, जो हमारे वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, सबसे खासियत यह है कि कृषि, सिंचाई एवं विद्युत् में जितना पैसा रखा गया है, आज तक किसी भी बजट में नहीं रखा गया है।.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण माननीय मो0 मसूद खां की है कि आजमगढ़ में सारदा सहायक नहर के टूटने के फलस्वरूप फसल को क्षति एवं कृषकों में रोष। यह स्वीकृत है। शेष अस्वीकृत हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--
श्रीमन्, नियम 52 में मैंने एक सूचना दी थी

श्री अध्यक्ष--
अभी वह नहीं देखी है। कल या परसों देखूंगा।

आजमगढ़ जिले में चल रहे हरिजनों के अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

श्री तप्पे राम, महामन्त्री, जिला हरिजन कल्याण परिषद्, आजमगढ़ के द्वारा मास अक्तूबर, 1974 में शासन को एक प्रतिवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि आजमगढ़ जनपद के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर की सेवाओं में सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति की भर्ती नहीं की गई है और कृषि, चकबन्दी, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा कलेक्ट्रेट आदि विभागों में गत वर्षों से लगातार अपने पदों पर कार्य कर रहे हरिजन कर्मचारियों की छटनी कर दी गई और उन्होंने यह भी सूचित किया था कि यदि उक्त सम्बन्ध में एक मास के अन्दर कोई उचित कार्यवाही नहीं होगी तो जिला हरिजन कल्याण परिषद्, आजमगढ़, आमरण अनशन आदि जैसे कदम उठाने के विषय में सोचेगी।

2--इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी आजमगढ़ से आख्या तुरन्त मांगी गई थी और "वायरलेस मेसेज" द्वारा जिलाधिकारी को अनुस्मारक भी दिया गया। जिलाधिकारी ने माह फरवरी, 1975 में अपनी आख्या भेजी जिससे यह मालूम हुआ कि श्री तप्पे राम, महामन्त्री, जिला हरिजन कल्याण परिषद्, आजमगढ़ ने अपने कतिपय साथियों के साथ मुख्यालय पर क्रमिक अनशन कर दिया है और उन्होंने अपने पत्र दिनांक 1 जनवरी, 1975 द्वारा अपनी मांगें जिला प्रशासन को दीं जो कि मूल रूप से शासन को सम्बोधित थीं, लेकिन यह पत्र शासन के सम्बन्धित विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। उस पत्र में परिषद् ने जो मांगें पेश की हैं वह निम्न प्रकार से हैं :--

(1) समस्त सरकारी सेवाओं में हरिजनों का 18 प्रतिशत का कोटा अविलम्ब पूरा कराया जाय।

(2) समस्त सरकारी योजनाओं में पदोन्नतियों का 18 प्रतिशत का कोटा पूरा कराया जाय।

(3) गैर सरकारी संस्थाओं में भी हरिजन का 18 प्रतिशत का कोटा निर्धारित करके उसे पूरा कराया जाय।

(4) दशमोत्तर कक्षाओं को प्रदत्त छात्र-वृत्तियों के साथ कक्षा 1 से कक्षा 10 तक भी एवं समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं के हरिजन छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दी जाय।

(5) समस्त विभागों में की गई हरिजनों की छटनी निरस्त की जाय।

(6) विक्रय सूचकांक के अनुसार छात्र-वृत्ति की दर बढ़ाई जाय।

(7) छात्र-वृत्ति अनिवार्यतः मासिक दी जाय।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

(8) हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के समस्त अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाय।

3—उक्त मांगों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ ने परिषद् के महामन्त्री को उनकी मांगों पर समुचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुये अनुरोध किया था कि परिषद् द्वारा किये जा रहे अनशन को समाप्त करने का कष्ट करें। परिषद् व जिला हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण अधिकारी के बीच में पत्र-व्यवहार चल रहा है। हरिजन कल्याण परिषद् द्वारा उठाई गई मांगों तथा माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

1—समस्त सेवाओं में हरिजनों का 18 प्रतिशत कोटा पूरा कराया जाय—जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने सूचित किया है कि हरिजन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियम के अनुसार करने के लिये सभी विभागों से अनुरोध किया गया है और उन्हें निर्धारित कोटा दिया जा रहा है और उन्होंने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1974 से जनवरी, 1975 तक आजमगढ़ जनपद के विभिन्न विभागों में श्रेणी 3 व 4 में कुल 125 नियुक्तियों में से 54 नियुक्तियां अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से की गई हैं। जो 43 प्रतिशत आ जाता है।

2—समस्त सेवाओं में पदोन्नतियों का 18 प्रतिशत का कोटा पूरा कराया जाय—जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कुछ ही विभागों/कार्यालयों से सूचना उपलब्ध हो सकी है। प्राप्त सूचना के अनुसार गन्ना अधिकारी के कार्यालय में श्रेष्ठता के आधार पर दो पदोन्नतियां की गई हैं और इन दोनों पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति किया गया है। इसी प्रकार जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भी की गई दो पदोन्नतियों में से एक हरिजन अभ्यर्थी की पदोन्नति की गई। दूसरा व्यक्ति जो पदोन्नत किया गया है वह विमुक्त जाति (भर) है।

3—गैर सरकारी संस्थाओं में भी 18 प्रतिशत कोटा निर्धारित कर के उसकी पूर्ति अनिवार्य कराई जाय—जहां तक "पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग" में हरिजनों को नौकरी दिये जाने का सम्बन्ध है इस बारे में दिसम्बर, 1973 में प्रशासन के समस्त विभागों से यह कहा गया है कि भविष्य के लिये सभी पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग से कहा जाय कि 18 प्रतिशत का कोटा तुरन्त पूरा करें। अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं में हरिजनों के लिये सामान्य आरक्षण देने के प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

4—समस्त विभागों में की गई हरिजनों की छटनी निरस्त की जाय—चकबन्दी विभाग में केवल फूलपुर प्रथम इकाई में एक अस्थाई अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की छटनी की गई है क्योंकि अन्य जिले में कुछ लेखपाल स्थानान्तरण पर आये तदनुसार इस इकाई में जगह न रह गई।

स्वास्थ्य विभाग में जिन दाइयों को हटाया गया है वे भी अस्थायी रूप में मिडवाइफ के स्थान पर रखी गई थीं और जैसे ही मिडवाइफ अपने पदों पर आ गईं इन दाइयों के सरप्लस हो जाने के कारण उन्हें सेवा से अलग कर दिया गया। वैसे स्वास्थ्य विभाग में 69 मिडवाइफ के पदों में से 38 मिडवाइफ अनुसूचित जाति की हैं और 58 प्रशिक्षित दाइयों के स्थानों में से 57 पदों पर जो दाइयां कार्यरत हैं वे अनुसूचित जाति की हैं।

कृषि विभाग में केवल एक कामदार की छटनी बिक्री केन्द्रों के समाप्त हो जाने के कारण की गई। इस विभाग में भी 220 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से 41 अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं। इस प्रकार इनका आरक्षण कोटा पूर्ण है।

कलेक्ट्रेट में गत वर्ष अल्पकालीन रिक्तियों की समाप्ति पर बहुत से कर्मचारी सरप्लस हो गये। फलस्वरूप कुछ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को जो किसी अनुमोदित सूची में नहीं थे अवमुक्त कर दिया गया। बाद में उनको पुन: अल्पकालिक रिक्तियों में लगा दिया गया है।

विद्युत् अनुरक्षण खन्ड आजमगढ़ ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1973-74 में उनके विभाग में कोई छटनी नहीं हुई है।

5——छात्र-वृत्ति आदि व हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के समस्त अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में स्थिति——कक्षा 6 से 10 तक अर्थात्, पूर्व दशम कक्षाओं में हरिजन छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से छात्र-वृत्ति देने की व्यवस्था 1975-76 के बजट में प्रस्तावित है, किन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुये छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्र-वृत्ति की सुविधा पूर्व दशम कक्षाओं में प्रदान करना सम्भव नहीं है। वैसे प्रत्येक वर्ष इस पद में कुछ बढ़ोत्तरी की जाती है। प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्र-वृत्ति लगभग सभी छात्र-छात्राओं को प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये शासन द्वारा जिला बेसिक शिक्षा परिषदों को अनुदान दिया जाता है।

वर्तमान महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये चालू वित्तीय वर्ष में दशमोत्तर (पोस्ट मैट्रिक क्लासेज) छात्र-वृत्तियों की दरों को दुगुना कर दिया गया है और पूर्व दशम (प्री-मैट्रिक) कक्षाओं तथा शिल्प कला प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति की दरों को चालू वर्ष में ड्योढ़ा कर दिया गया है।

छात्र-वृत्ति विक्रय सूचकांक के आधार पर नहीं दी जाती है। अतएव इसकी दर विक्रय सूचकांक के अनुसार नहीं बढ़ाई जा सकती है।

छात्रों को छात्र-वृत्ति रेगुलर मिलती रहे इसके लिये चालू वर्ष से यह आदेश कर दिये गये हैं कि प्रत्येक छात्र/छात्रा की डाकखाने में पास बुक खुलवा दी जाय और छात्र-वृत्ति की धनराशि पास बुक में जमा करा दी जाय जिससे सम्बन्धित छात्र आवश्यकतानुसार अपनी छात्रवृत्ति पास बुक से निकालता रहे।

हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। इन विद्यालयों को शासन द्वारा अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। इन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा की जाती है। यह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, अत: इन विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व नहीं है। यदि स्वैच्छिक संस्थायें चाहें तो वे अपने खर्च से प्रशिक्षण हेतु सुयोग्य अध्यापकों को प्रशिक्षण स्कूलों में भेज सकते हैं।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

अनुत्तीर्ण छात्राओं से फीस न लिये जाने व मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट लागू किये जाने के बारे में स्थिति निम्न प्रकार से है :

अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से फीस न लिया जाना--पूर्वदशम कक्षाओं में जो छात्र/छात्रायें अनुत्तीर्ण रहते हैं उनमें से अधिकांश छात्र/छात्राओं को शासनादेश दिनांक 8 नवम्बर, 1952 के अनुसार शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दिया जाता ! यदि छात्र के माता-पिता, अभिभावक अथवा किसी भी परिवार के सदस्य की परीक्षा के समय या उससे कुछ पहले मृत्यु हो जाती है छात्र परीक्षा काल में या उससे पहले यदि बीमार पड़ जाता है अथवा वह छात्र जो योग्य हो परन्तु कुछ थोड़े अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाय या अत्यन्त निर्धन हो तो ऐसे छात्र फेल होने पर भी उसी कक्षा में एक वर्ष निःशुल्क शिक्षा पाते हैं ।

इस प्रकार दशमोत्तर कक्षाओं में जो छात्र इन्टरमीडियेट में तीन विषयों में, बी0 ए0 में दो विषयों में तथा एम0 ए0 में दो पेपर्स में अनुत्तीर्ण हो जाय और कुल अंकों का योग 10 प्रतिशत से कम न हो तथा उनके अभिभावक की मासिक आय 250 रुपये प्रतिमाह तक हो तो ऐसे अनुत्तीर्ण छात्रों को भी शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दिया जाता है ।

मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट शासन को दिनांक 30 मार्च, 1974 को प्राप्त हुई थी। इसमें कुल 88 संस्तुतियां थीं। चूंकि इन संस्तुतियों का सम्बन्ध विभिन्न विभागों से था अतएव उन्हें परीक्षण करने के लिये सम्बन्धित विभागों को भेजा गया था। कमेटी की प्रमुख संस्तुतियां कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

समिति द्वारा बड़े खातेदारों द्वारा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के उल्लंघन के लिये की गई जिन तरकीबों का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया उन्हें निरर्थक करने के लिये उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम की धारा 5 में उपर्युक्त स्थान पर स्पष्टीकरण जोड़ने हेतु संशोधन विधेयक, 1974 लाया गया है। समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये आगामी वित्तीय वर्ष में गांव सभा भूमि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत लगभग 3 लाख एकड़ भूमि निर्बल वर्ग के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटी जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त श्री पाटिल कार्यकारी अध्यक्ष की संरक्षता में उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था समिति पूरे प्रदेश भर में खाली उपलब्ध भूमि की देखरेख करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विशारद कमेटी की रिपोर्ट में जो त्रुटियां इंगित की गई हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो।

जहां तक आजमगढ़ जनपद का प्रश्न है वहां पर भूमि वितरण की स्थिति निम्न प्रकार सूचित की गई है :

	सीरदारी भूमि	आसामी भूमि
6,747 हरिजन परिवारों को	कुल 8,666.33 एकड़	कुल 4,971.869 एकड़
3,971 अन्य जाति के परिवारों को	4,214.448 एकड़	.. भूमि वितरित की गई।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, पहली बात तो यह कि माननीय मन्त्री जी की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया है, आजमगढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में बिलकुल अधूरा है। प्रार्थना-पत्रों में जिन तहसीलों का नाम दिया गया है, उनमें सगड़ी तहसील के अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के बारे में भी जिक्र था लेकिन आजमगढ़ के विद्युत् विभाग के अन्दर जिन 23

कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है उनमें एक भी हरिजन नहीं है? तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब हरिजनों की पदोन्नति के लिये नियम भी बना हुआ है तो सगड़ी तहसील की बात न कह कर उन्होंने फूलपुर की बात कह दी। विद्युत् विभाग में अधीक्षण अभियन्ता जो श्री निगम हैं, उन्होंने 23 कर्मचारियों की तो पदोन्नति होने पर एक भी हरिजन को उसमें क्यों नहीं रखा ?

दूसरी बात यह है कि सगड़ी में जो 8 लेखपालों की छंटनी की गयी है उनकी पुनर्नियुक्ति के प्रश्न पर वे विचार करेंगे ?

तीसरी बात यह है कि क्या कारण है कि जब 6 से 10 वर्ग तक के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात है तो उनको छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जाती है ? क्या यह केवल आपका नारा वोट लेने के लिये ही है ? अगर वास्तव में आप हरिजन छात्रों से वर्ग 6 से 10 तक को छात्रवृत्ति देना चाहते हैं, तो इसकी व्यवस्था कब तक कर देंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय सदस्य ने किसी तहसील के बारे में जिक्र किया है लेकिन तहसीलों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उनको मैंने अपने वक्तव्य में बतला दिया है। प्रमोशन के कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है।

श्री राम अधार—

अगर आपके पास अधूरा वक्तव्य है तो क्या माननीय मन्त्री जी प्रार्थना-पत्रों के आधार पर सही स्थिति सदन के सामने रखेंगे ? अधिकारियों ने आपके पास फर्जी रिपोर्ट भेज दी है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मेरे पास जो अधिकारी हैं उन्हीं की रिपोर्ट को तो हम मानेंगे : मैं अगर श्री राम अधार राय जी की रिपोर्ट को मानूं तो एक दिन चलबे न करे। सगड़ी तहसील के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था। केवल आजमगढ़ के बारे में था जिसके बारे में रिपोर्ट उपलब्ध है। जहां तक "18 परसेंट" का प्रश्न है वह उनको मिलता है। जहां तक प्रमोशन की बात है, दो जगह थी और दोनों जगह उनको प्रमोशन मिल गया। इस तरह से हन्ड्रेड परसेंट उनको प्रमोशन मिल गया। एक एग्रीकल्चर में और एक केन विभाग में। सगड़ी के बारे में अगर माननीय सदस्य लिखित कोई प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सटिसफाई कर दूंगा। 18 परसेंट के अन्दर अगर उनको कहीं प्रमोशन नहीं मिला है तो कोशिश होगी कि जब तक उनका प्रमोशन न हो जाय तब तक और कोई नियुक्ति न की जाय।

श्री राम अधार—

हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने में आपको क्या दिक्कत है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सरकारी सेवाओं में 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन है तो क्या आजमगढ़ में चपरासियों और क्लर्कों का पूरा है ? क्या मंत्री जी इसको बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने निवेदन किया कि 18 परसेंट तो किया ही है 18 परसेंट से ज्यादा भी किया है। मैंने अर्ज किया आप की नजर में या आपको कहीं भी जानकारी हो कि ऐसा नहीं हो रहा है या पूरा नहीं किया जा रहा है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उस विभाग को हम निश्चित रूप से देखेंगे। जब तक यह रिजर्वेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक आगे की कार्यवाही रोक दी गयी है और उनके अलावा किसी की नियुक्ति नहीं की जा रही है।

श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर मेरे जिले से सम्बंधित है मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इसी प्रश्न से संबंधित जहां रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और इस सबंध में जिस अधिकारी की गलती हो, तो इस अनुसार आप क्या यह व्यवस्था करेंगे कि कम से कम 6 मास की रेगुलर रिपोर्ट आप मंगायें कि जहां-जहां एप्वाइन्टमेन्ट्स हो उसकी सूचना का पता चले। इससे यह पता लगता रहेगा कि कम्प्लायन्स हो रही है या नहीं। और किस रूप से कम्पलायंस की जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

एक तरीके से यह हम कर रहे हैं। हमने कहा है कि 45 परसेंट की जगह पर 50 परसेंट करो जब तक कि 18 परसेंट पूरा न हो जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सूचना मिला करेगी तो यह पता चलता रहेगा कि कम्पलायन्स हो रही है या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

आपको मैं बता दूं यह हो रहा है। अपने विभाग में कन्डेक्टर का रिजल्ट आने वाला है उसमें मैं कह रहा हूं कि 50 प्रतिशत लिये जायेंगे। पी0 ए0 सी0 के कमाण्डेण्ट मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा कि हरिजन निश्चित रूप से लिये जा रहे हैं। उनके भी सामने समस्या है कि इसके बावजूद भी कैंडीडेट्स नहीं उपलब्ध हैं। इतना मैं यकीन अवश्य दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के प्रयास में कोई ढिलाई नहीं मिलेगी। संविधान के अन्दर हम कह चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं इसमें कोई शिथिलता नहीं आयेगी।

श्री दया राम भास्कर—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी जो आजमगढ़ जनपद की रिपोर्ट के बारे में कहा गया वह काफी गलत है। मैं आपसे अर्ज करूं कि 15-2-75 को जब अनशन चालू हुआ जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने हमारी परिषद् में जवाब दिया कि एक हरिजन की नियुक्ति की गयी है। नियुक्ति 6 महीने पहले की गयी। एक महीने बाद निकाल दिया गया। और 6 महीने पहले की रिपोर्ट दी जाती है कि हरिजन काम कर रहा है। आगे 9 मई, 74 को सरकारी बन्दोबस्त अधिकारी ने 8 हरिजनों की नियुक्ति की। अगस्त, 74 में उनकी छंटनी कर दी गयी। इतने समय के बाद 13 फरवरी को रिपोर्ट मिलती है कि वह कार्यरत हैं ? क्या इस तरह की रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मंत्री जी कोई ऐक्शन लेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इसको थोड़ा सा समझने में भ्रम हो गया है। एप्वाइंटमेंट में हमने 18 परसेंट किया है। टरमिनेशन में नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो बाद में आया और पोस्ट कम कर दी गयी तो वही पहले रिट्रेंच किया जायगा। लास्ट कम-फस्ट गो। फस्ट कम-लास्ट गो। रिट्रेंच क्रम से किया जायगा जो बाद में आया है वही होगा। अब मान लिया कोई हरिजन है और पोस्ट खत्म कर दी गयी तो वह रिट्रेंच होंगे पर उसके लिये अन्य नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायगी। अगर क्रम से इसमें न किया जाय तो इसमें लीगल रेमेडीज भी खुली हैं। आब्जेक्शंग होंगे। इसलिये कहा कि जब तक परसेंटेज पूरा न हो जाय, इन्हीं को लिया जाय।

(श्री दयाराम भास्कर के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

यह लम्बा और पूरा बयान है। नौकरियों और भूमि के बारे में पूरा लिख दिया गया है। कहीं त्रुटि दिखाई पड़ सकती है तो आप प्रश्न उठा सकते हैं। जो बयान दिया जाता है उसमें सब तफसीली सवाल नहीं रखे जा सकते हैं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान पृष्ठ-2 पर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने सूचित किया है कि हरिजन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियम के अनुसार करने के लिये सभी विभागों से अनुरोध किया गया है। उसी में एक जगह है 1-4-74 से जनवरी, 1975 तक। एक साल की भर्ती है। सरकार का एक आदेश था कि जहां 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है वहां क्लास-3 और क्लास-4 में रिजर्वेशन पूरा करा दिया जाय। इसलिये 18 प्रतिशत का रिजर्वेशन पुराना ही पूरा नहीं होता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे और जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आर्डर करेंगे कि वह अनुरोध न करें बल्कि आर्डर दें कि 18 प्रतिशत का कोटा पूरा करें ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, 1-4-74 से जनवरी, 1975 तक आजमगढ़ में 125 नियुक्तियों में से 54 नियुक्तियां अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से श्रेणी 3 व 4 में की गयी हैं जो 43 प्रतिशत होता है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, 18 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं होता है।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं आपको बता दूं कि मान्यवर, 15-20 वर्ष तक 2, 3 और 4 प्रतिशत होता रहा है। कुछ समय के लिये 50 प्रतिशत रखा है। जब पर्टिकुलर परसेन्ट तक आ जायेगा तब इसको कम करेंगे और एक पर्टिकुलर समय के अन्दर 18 प्रतिशत पूरा कर सकेंगे।

श्री रामबचन (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, आजमगढ़ में कलेक्टरेट में क्लर्क्स 2 प्रतिशत भी ऐसे नहीं हैं। क्या यह मालूम है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनका कोटा पूरा किया जायेगा। आप लिखकर दे दें।

(शोरगुल)

मौजा गजपुरा, थाना धामपुर, जिला बिजनौर की श्रीमती रामकली के साथ थाना धामपुर की पुलिस के कान्स्टेबिलों व सब-इंस्पेक्टर द्वारा कथित बलात्कार की चेष्टा से जनता में रोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी पन्जाबी कालोनी, कस्बा धामपुर, जिला बिजनौर का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-2-75 को थानाध्यक्ष, धामपुर को प्राप्त हुआ था जिसमें सर्वश्री चेतराम व अमर सिंह, निवासी ग्राम गजुपुरा के विरुद्ध प्रार्थी के मकान पर ताला तोड़ कर कब्जा कर लेने आदि की शिकायतें की गई थीं। दिनांक 23-2-1975 को 4 कान्सटेबिलों सहित एक सब-इन्सपेक्टर ग्राम गजुपुरा में उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच करने के लिये गए। सब-इंसपेक्टर ने श्री दलीप सिंह के मकान पर बैठ कर जांच की और इस संबंध में श्री चेतराम को बुलवा कर उससे भी पूछतांछ की। जांच से झगड़े का निबटारा न होने पर उप निरीक्षक चेत राम को अपने साथ थानाध्यक्ष के समक्ष पेश करने के लिये लिवा ले गए।

2--वक्तव्य के लिये दी गई नोटिस में उल्लिखित आरोपों की जांच उप पुलिस अधीक्षक, बिजनौर, द्वारा कराई गई। जांच से श्रीमती रामकली के साथ दिनांक 23/24-2-1975 की रात्रि में पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार करने के प्रयास का आरोप निराधार पाया गया। श्रीमती रामकली उपरोक्त ने जांचकर्ता उप पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपने बयान में स्वयं कथित घटना को निराधार बताते हुए कहा कि दिनांक 23-2-1975 को कोई भी पुलिस कर्मचारी घर नहीं आया था। जांच से पाया गया कि पुलिस के द्वारा श्री चेत राम आदि को झूठे मुकदमें में फंसा दिये जाने की आशंका के कारण पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाये गए। इस कथित घटना के सम्बन्ध में पुलिस में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए। थाना धामपुर की पुलिस द्वारा कोई वर्दी ग्राम गजुपुरा में नहीं छोड़ी गई थी। जो चार कान्सटेबिल उक्त तिथि को ग्राम गजुपुरा गए थे उनमें से किसी की टोपी जांच से कम नहीं पाई गई।

3--अस्तु जनता में कोई असंतोष नहीं है।

*श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं पांडेय जी से यह कहूंगा कि वह अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें कि यह जो बयान आया है उसको पढ़कर उनका मन क्या कहता है। क्या यह सच है? मान्यवर, पुलिस ने अपने बचाने के लिये यह बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि थाने पर यह रिपोर्ट लिखाई जाती है कि ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया। ऐसी रिपोर्ट आम तौर से हुआ करती हैं। बदमाशी या डकैती की रिपोर्ट नहीं थी जिसमें कि यह खतरा रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उसके सौहर जेल चले जायेंगे। डी0 वाई0 एस0 पी0 ने बड़ी खूबसूरती से इसमें तथ्यों को छिपाया है। इसमें कहा कि चार कांस्टेबुल्स को लेकर दरोगा जी गये और फलानें के यहां बैठे, पूछताछ के लिये बुलाया और जब झगड़े का निपटारा नहीं हुआ तो थाने पर ले गये। मान्यवर, इसमें यह नहीं लिखा कि कितने बजे गये। यह लोग रात को गये थे और शराब पीकर गये थे। जब इन्होंने हरकत की तो हल्ला हुआ और लोग दौड़े। वहां उनकी टोपी छिन गयी और वह भाग आये। यह सब चीजें इसमें छिपायी गयी हैं। जो आरोप हैं उनसे और इस बयान से क्या कोई ताल्लुक है? रात को कांस्टेबुल्स शराब पीकर गये थे, इसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। कितने बजे गये थे इसका जिक्र नहीं है। अगर डी0 वाई0 एस0 पी0 इन चीजों को भी लिख कर भेजते तो हमें संतोष हो जाता। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस देश की रक्षा के लिये और इज्जत के लिये इस तरह से उन लोगों की वकालत न करें। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलात को फिर से जांचे यह सी0 आई0 डी0 के जिम्मे करके इंक्वारी करवाले। यह बहुत ही गलत और कलंक की चीज है।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, प्रश्न यह था कि इसमें कुछ सर्कम्सटेंशियल इवीडेंस है जैसे कि टोपी का छूट जाना। अगर ऐसा था तो उस टोपी को महादत में आई0 जी0 के या मेरे सामने पेश कर देते। लेकिन आपने उसको कहीं पेश नहीं किया। रामकली जिसके साथ कि बलात्कार किया जाना कहा जाता है उसने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया। यह कहना कि गलत रिपोर्ट करा दी या जबरदस्ती रिपोर्ट लिखायी, यह अलग है। लेकिन जब तक रामकली का स्टेटमेंट जिसके साथ बलात्कार करना कहा जाता है किसी एवीडेंस से कंट्राडिक्ट न कर दें तब तक कैसे मानें। रामकली स्वयं इंकार करती है। तो फिर जैसा लारी साहब ने कहा मुझे अपने कलेजे पर हाथ रख कर सोचने का क्या सवाल है।

*श्री मुलायमसिंह यादव (जिला इटावा)--

अध्यक्ष महोदय, जब आपने स्टेटमेंट स्वीकार किया उसके बाद पुलिस गयी। दलीप सिंह के घर में 7 तारीख को शादी थी और वही गवाह थे। उन्होंने घटना को प्रत्यक्ष देखा। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका लिखित मेरे पास है। दूसरे व्यक्ति सुखराम हैं। उनका भी लिखित है। रामकली का भी लिखित मेरे पास आया है। यह लोग चार तारीख को पहुंचे और पुलिस के दलालों को ले गये। जो और प्रभावशाली लोग थे उनको भी ले गये। उनके समक्ष इनसे कहा कि अपने बयान को बदल दें। दलीप सिंह को धमकी दी कि अगर बयान न बदला तो सात तारीख को लड़की की शादी में शामिल नहीं हो पायेंगे। तो इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय यह भी नहीं आया। एक बात और, मान्यवर, रसूलपुर गांव के सफदर हुसैन के यहां से दो मुर्गे आये और 50 रुपये पर तय किये गये, लेकिन 40 रु0 दिये और जब 10 रुपये और मांगे गये तो गाली गलौज किया। 3 माल्टा शराब की बोतलें आईं। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सबसे पहले थाना पुलिस इन्चार्ज का स्थानान्तरण करेंगे और सी0 आई0 डी0 की जांच करेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह आश्वासन दिलाना चाहता हूंकि अगर दिलीप सिंह आपके कक्ष में आकर यह कह दें कि मेरी जानकारी में यह काण्ड हुआ है तो जितनी सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, मैं करने को तैयार हूं। लेकिन कहने वाला कोई नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

तो मान्यवर, यह बात तो साफ हो गई कि अगर दिलीप सिंह आकर यह कह दें तो क्या माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों को मुअत्तल करेंगे जिसने झूठी रिपोर्ट भेजी है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इतना है कि अगर दिलीप सिंह जी आकर कहते हैं तो असलियत जानने केलिये, वैरासिटी टेस्ट करने के लिये 2-4 प्रश्न करने पर अगर स्टैंड करते हैं तो निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, जिस राजकर्मचारी की शिकायत की जाती है, वह यह कभी तस्लीम नहीं करता कि उसकी गलती है, बल्कि उसके अफसरान उसकी हिमायत करते हैं। अब यह बात कि रिपोर्ट सही है कि नहीं, यह आपके जजमेंट पर है, यानि गवर्नमेंट के जजमेंट पर और अगर आपका जजमेंट गलत हो जाता है तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन एफेक्ट हो जाता है। अब माननीय मंत्री जी को यह सोचने की बात है कि जैसा लारी साहब ने कहा कि एक छोटा सा चार्ज था उन पर कि मकान पर कब्जा कर लें। अब आपने सफाई में यह कहा कि कहीं इस मुकदमे में न फंस जाऊं तो उसने अपनी स्त्री से यह दरख्वास्त दिलवा दी कि वह रेप करने के ख्याल से गये थे। यह आमतौर से इन्डियन कन्डीशन में होता नहीं है, बशर्ते कि वह बदचलन न हो।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

बहुत सी मिलेंगी, चौधरी साहब।

चौधरी चरण सिंह--

यह आपका तजुर्बा होगा। आपके पल्ले ऐसी ही औरतें पड़ी होंगी मैंने तो आमतौर से कहा कि इन्डीयन कन्डीशन में ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि कान्स्टेबिल की वहां पर टोपी रह गई। वह टोपी डाक के जरिये पत्र के साथ भेजी गई। वह टोपी मौजूद है। यह कहा गया कि टोपी की कमी नहीं है, टोपी कम नहीं पाई गई, यह सरासर झूठी बात है। लेकिन मान्यवर, ऐसा इत्तिफाक है कि दिलीप सिंह जी यहां मौजूद हैं, जब मंत्री जी को यह आदेश हुआ इस कमिटमेंट के बाद तो उन्होंने कहा कि दो-चार आदमी और कह दें.....

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, यह नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर दिलीप सिंह जो बयान दें और अध्यक्ष जी उसकी सच्चाई की जांच करने के लिये दो-चार सवाल कर लें तो मैं तत्काल कार्यवाही करूंगा।

चौधरी चरण सिंह--

इस किस्से को वह भूल गये कि वह आये और उन्होंने कहा कि हमसे दबाव से लिखाया गया। इस सब के बाद आप उस स्टेटमेंट का यकीन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से

प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा। गलत कार्य पुलिस वाले करने रहेंगे तो उनको कोई खतरा पेश नहीं रहेगा। डी0 एस0 पी0 ऐक्सेपशनल ही कोई होगा जो अपने कर्मचारीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा। वह उनका बयान मौजूद है लेकिन उसका यकीन आपको नहीं है। दिलीप सिंह मौजूद हैं वह आपके सामने कह दें यह पांडेय जी का कहना है। इससे कैसे समस्या हल हो जायगी ? हमारा तो सीधा सा मतालबा है कि सी0 आई0 डी0 से तहकीकात करा लीजिये और उस सब-इंस्पेक्टर का ट्रान्सफर हो जाय पहले। फिर भी अगर हमारा गलत पाया जायगा तो उससे आपके ऐडमिनिस्ट्रेशन को कोई हानि नहीं होगी और अगर आपका खयाल गलत निकला तो ऐडमिनिस्ट्रेशन की हानि होगी। इसलिये जो कंडीशंस हैं उनके मातहत जो मतालबा पेश किया गया है उसे मंत्री महोदय मान लें वही उचित होगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं एक बात कह रहा हूं कि दिलीप सिंह आपके सामने आ कर कह दें कि ये ये चीजें हैं और उनकी जानकारी में रेप हुआ या प्रयास किया गया और आप दो चार सवाल पूछ लेंगे और अगर सेटिसफाई हो जाय तो फिर कोई कार्यवाही करने में रत्ती भर मुझे संकोच ही नहीं होगा। इस तरह निर्णय आपके हाथ में होगा।

एक सदस्य---

दिलीप सिंह आये हुए हैं तो मंत्री जी के पास ही क्यों न भेज दिया जाय ?

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इस झगड़े में आप न पड़ें यह मेरी सलाह है। अगर हर केस के लिये यही होगा यह मान लें, तो मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इससे सहमत हूं।

चौधरी चरण सिंह--

रेप का इंटेंशन मालूम होता था एक तो यह जुर्म है और दूसरे दबाव डाल कर रिट्रेक्शन लिखा गया। ये सर्कमस्टांसेज हैं। उनसे जाहिर होता है कि पुलिस वालों की गलती है और उनको सजा मिलनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी स्थिति में आप मुझे इसमें न डालें। आप अपने आदमी से ही क्यों जांच नहीं करा लेते ? क्यों न सी0 आई0 डी0 से ही जांच करा लें। आप स्वयं उनसे आश्वस्त हो जाइये क्या मामला है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

सी0 आई0 डी0 का स्टाफ पहले ही ओवर बर्डेन्ड है और बहुत इम्पार्टेंट मामले उनके पास पड़े हुए हैं। अब चौधरी साहब स्वयं ही ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को बतला दें मैं डिक्लेयर करता हूं उसी से जांच करा ली जायगी।

चौधरी चरण सिंह--

आप इतनी हिमायत पुलिस अधिकारियों की क्यों कर रहे हैं ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

चौधरी साहब की मंशा यही है अध्यक्ष महोदय कि सी0 डी0 एस0 पी0, सी0 आई0 डी0 से पांडेय जी जांच करा लें अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक रखने के लिये और अगर जांच में आरोप सही पाये जायं तो फिर उनको सख्त से सख्त सजा दें। उसमें यह है कि आप पहले उसको हटायें और तब जांच करें ताकि लोगों को मालूम हो कि सरकार ने कुछ किया है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

प्रश्न यह है कि चौधरी साहब जो भी निर्देश देंगे आई0 जी0, एडीशनल आई0जी0 उनसे जांच करवा लूंगा और उनकी जो प्रिलिमिरी रिपोर्ट होगी, आप तो ट्रांसफर के लिये कह रहे हैं सम्बन्धित व्यक्तियों को निलम्बित किया जायेगा। लेकिन मान लिया कि किसी का दोष नहीं निकला और औरत ने भी कह दिया कि मेरे साथ ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ है तो वैसे मेरे रुटेशन हमेशा के लिये गई। तो चौधरी जिस अधिकारी के माध्यम से जांच चाहते हों वे कह दें उसके लिये मैं तैयार हूं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

आप उसे हटाकर जांच क्यों नहीं करते हैं ?

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

आप बेचारी रामकली के पीछे क्यों पड़े हैं। उसकी इज्जत का सवाल है और वह कहती है कि मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है तो.....

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

उसका खत आया है पैसा खर्च करके वह यहां आई है और दर-दर फिर रही है ठोकर खा रही है और आप कहते हैं बेचारी..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह दिया कि जिसको चौधरी साहब कहें.....

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप इसे सी0 आई0 डी0 को क्यों नहीं देते ? पहले उसका स्थानान्तरण किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

अगर उसने ऐसा किया है तो उसे निलंबित क्यों न किया जाय ? वहां से हटाना तो नाकाफी होगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जैन आई0 जी0 हैं, एडीशनल आई0 जी0 हैं जिस किसी अधिकारी के लिये आप कहें मैं तुरन्त उनके लिये आदेश कर दूंगा। वे एक हफ्ते के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मैं दिलीप सिंह को माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं वे उनसे पूछ लें और यदि वे सैटिसफाई हो जाते हैं तो कार्यवाही करें..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह उन्होंने कह दिया ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
17 मार्च, 1975 ।

विधान सभा सदस्य पदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 134 पर)

क्रम-सं0	दर्ज मुकदमें	बरामद की गयी वस्तुएं	वस्तुओं का निस्तारण
1	2	3	4
1	ई० सी० ऐक्ट की धारा 3/7 के अन्तर्गत।	1 ट्रक तथा 61 बोरा चावल	बरामद किया हुआ माल न्यायालय द्वारा अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया गया।
2	,,	175 लीटर डीजल ..	बरामद किया हुआ डीजल न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया गया।
3	,,	100 लीटर डीजल	बरामद किया हुआ डीजल न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया गया।
4	,,	9 3/4 ड्रम मिट्टी का तेल	बरामद किया हुआ मिट्टी का तेल न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया गया।
5	,,	12 किलो वनस्पति	बरामद किया हुआ वनस्पति न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर बेच कर पूरा पैसा खजाने में जमा करने के आदेश दिये गये।
6	,,	4 किलो वनस्पति	बरामद किया हुगा वनस्पति न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान पर बेच कर पूरा पैसा खजाने में जमा करने का आदेश दिया गया।
7	,,	(1) सनलाईट 14 दर्जन 5 पीस। (2) लाइफबाय 11 दर्जन 5 पीस।	बरामद किया हुआ साबुन न्यायालय के आदेशानुसार उचित मूल्य पर बेच कर पूरा पैसा खजाने में जमा करवाया गया।

अनुभव प्रकाशन विभाग

8	;;	56.40 कुन्तल चावल, 4 टायर गाड़ियां बैल सहित।	टायर, गाड़ी व बैल पुलिस के कब्जे में तथा बरामद किया हुआ चावल सरकारी गोदाम में एस0 एम0 आई0 के कब्जे में रखा गया।
9	;;	2 बोरा 20 किलोग्राम चीनी, 7 बोरी डाई खाद, 20 किलो ग्राम यूरिया।	बरामद किया हुआ पूरा माल अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया गया।
10	;;	2 डनलप (साइकिल) टायर	बरामद किया हुआ टायर दाखिल मालखाना।
11	;;	10 बोरा चावल ..	बरामद किया हुआ चावल न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया गया।
12	;;	10 बोरा चावल ..	बरामद किया हुआ चावल न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया गया।
13	;;	7.50 क्विन्टल अवैध चावल	बरामद किया हुआ चावल न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त की सुपुर्दगी में दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 135 पर)

संलग्नक 'अ'

पांचवीं पंच वर्षीय योजना काल में जीवन बीमा निगम से वित्तीय आवश्यकता (करोड़ रु0 में)

क्रम-सं0	विभाग/निगम का नाम	(1974–75)	(1975–76)	(1976–77)	(1977–78)	(1978–79)
1	2	3	4	5	6	7
1	उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् ..	14.20	16.59	19.02	21.50	24.05
2	उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम ..	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
3	स्वायत्त शासन अभि0 विभाग (जलपूर्ति एवं जलोत्सारण योजनायें।)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
4	उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम ..	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00
5	राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0	1.30	2.00	3.00	4.00	4.00
6	पिकअप	3.50	5.30	5.05	5.16	5.35
7	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ..	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	उ0 प्र0 चीनी निगम ..	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ ..	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
10	उ0 प्र0 रा0 औद्योगिक विकास निगम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम ..	0.25	1.75	4.50	2.00	..
12	उ0 प्र0 सहकारी आवास संघ ..	0.50	1.10	1.40	1.65	1.90
13	बाजार ऋण	10.00	12.00	12.00	14.00	14.00
14	उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ..	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
	योग ..	52.33	61.82	68.05	72.39	73.38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'म'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 138 पर)

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत शहर में सरकारी गल्ले के स्टोर के गोदामों के विषय में सूचना

क्रम-सं0	गोदाम का विवरण	किराये पर लेने की तिथि	मासिक किराया	गोदाम स्वामी का नाम	अब तक भुगतान की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
			रु0		रु0
1	के0 बी0 डिग्री कालेज, मिर्जापुर ..	1-4-66	400.00	प्रिंसिपल, के0 बी0 डिग्री, कालेज मिर्जापुर।	42,400.00
2	एम0 जी0 वेस्ट, ..	5-7-57	125.00	श्री महादेव प्रसाद अग्रवाल	26,362.50
3	पुतलीघर	15-11-66	295.00	श्री ए0 सी0 रैदानो ..	29,067.34
4	के0 के0 गुप्ता	28-4-67	200.00	श्री के0 के0 गुप्ता ..	18,620.00
5	जैन मन्दिर	24-4-67	280.00	अध्यक्ष, पारसनाथ दिगम्बर सभा	24,985.00
6	रमाशंकर	9-1-69	200.00	श्री रमाशंकर ..	11,387.10
7	बंशी लाल	25-3-69	180.00	श्री बंसीलाल ..	8,680.64
8	सरदार गोदाम .. .	1-1-73	223.14	श्रीमती प्रीतम कौर ..	4,909.08
9	गिरधारी लाल	15-1-74	102.60	श्री गिरधारी लाल ..	1,287.47
10	असफाक मुहम्मद	24-1-74	320.00	श्री असफाक मुहम्मद ..	3,922.58

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 139 पर)

उत्तर प्रदेश खण्डसारी उद्योग के लिये अक्तूबर, १९७४ से जनवरी, १९७५ तक जारी लाइसेंसों का विवरण

क्रम-सं०	इकाई का स्थान		जनपद	इकाई की सं०
1	2		3	4
1	कोताना	..	मेरठ	1
2	मीदनपुर	..	,,	2
3	अकबरपुर टसका	..	,,	1
4	कनौली	..	,,	1
5	खेड़ीखेड़ा	..	,,	1
6	खुर्याबली	..	बुलन्दशहर	1
7	मैथनाजगतपुर	..	,,	2
8	भड़काऊ	..	,,	1
9	स्यारिली	..	,,	1
10	मेगाजगतपुर	..	,,	1
11	गेशुपुरा	..	,,	1
12	तिर्थली	..	,,	1
13	गोपी	..	अलीगढ़	1
14	सलेमपुर	..	,,	1
15	शाहगढ़	..	,,	2
16	मोरपुर	..	,,	1
17	जटटारी	..	,,	1
18	बुढ़ाका	..	,,	4
19	कराहली	..	मथुरा	1
20	खुशीपुर	..	,,	1
21	बेहट	..	,,	1
22	बिचारपुर कोठी	..	इटावा	1
23	मागूवाला	..	बिजनौर	1
24	महलकी	..	,,	1
25	मुगावर	..	मुरादाबाद	1
26	गुरेठा	..	,,	1
27	करहला	..	एटा	1
28	मल्हपुर	..	बरेली	1
29	कुन्दनमन मनोबंगम	..	बरेली	1
30	सिसैयापुर	..	,,	1
31	बस्भा हुसेनपुर	..	,,	1

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

क्रम-सं0	इकाई का स्थान		जनपद	इकाई की सं 0
1	2		3	4
32	दौलतपुर करैना	..	बरेली	1
33	म्यना	..	शाहजहांपुर	1
34	पीरू	..	,,	1
35	दरेलापुर	..	,,	1
36	भवरखेड़ा	..	,,	1
37	भरतपुर	..	,,	1
38	शेरगंज	..	,,	1
39	रुरुआ	..	,,	1
40	बड़ाचक	..	,,	1
41	कदर अलादासपुर	..	,,	1
42	दुल्हापुर	..	,,	1
43	नवीची	..	,,	1
44	मझिला	..	,,	1
45	बड़ागांव	..	,,	1
46	मक्सूदापुर	..	,,	1
47	बनपुरवा सरा पीठा	..	इलाहाबाद	1
48	असलमपुर गंगरोही	..	,,	1
49	बुदायां	..	,,	1
50	इरादपुर सेपौली	..	सीतापुर	1
51	सुखनन्द पुरवा	..	,,	1
52	मौहारी	..	,,	1
53	कुसमौरा	..	,,	1
54	सुपौली	..	,,	1
55	वासुरा	..	,,	1
56	रुद्रपुर	..	,,	1
57	अहमदाबाद	..	,,	2
58	इस्माइलगंज	..	,,	1
59	अमिता	..	खीरी	1
60	पंडितपुरवा	..	,,	1
61	गौरा पिपरा	..	बहराइच	1
62	हाथ बुजुर्ग	..	गोरखपुर	1
63	डल पंडरुआ	..	हरदोई	1
			कुल योग ..	71

पी0एस0यू0पी0—एल0 105 वि0सभा—(520)—1975—8401